पंचम माला, खंड 58, अंक 5, शुक्रवार, 12 मार्च, 1976/22 फाल्गुन, 1897 (शक)

Fifth Series, Vol. LVIII, No. 5, Friday, March 12, 1976/Phalguna 22, 1897 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 58 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LVIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price: Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/
CONTENTS

अंक 5, शुक्रवार, 12 मार्च, 1976 / 22 फाल्गुन, 1897 (शक)

No. 5, Friday, March 12, 1976/Phalguna 22, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	Oral Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 81, 82, 98 और 83 से 88	Starred Questions Nos. 81, 82, 98 and 83 to 88	1—15
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	Written Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 89 से 97, 99 और 100	Starred Questions Nos. 89 to 97 and 99 and 100	15—22
अतारांकित प्रश्न संख्या 444 से 489, 491 से 549, 551, 552 और 554 से 566	Unstarred Questions Nos. 444 to 489, 491 to 549, 551, 552 and 554 to 566 .	22—85
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	85—86
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	86—87
राज्य सभा द्वारा पास किये गये विधेयक	Bills as passed by Rajya Sabha .	87
सभा का कार्य	Business of the House .	87
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति	Joint Committee on Offices of Profit—	
सदस्य निर्वाचित करने के लिए राज्य सभा से सिफारिश	Recommendation to Rajya Sabha to elect a Member	88
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1975-76	Supplementary Demands for Grants (General), 1975-76	88—93
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi . .	88—89
विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1976—पुरःस्थापित	Appropriation (No. 3) Bill, 1976— Introduced	
विचार करने का प्रस्ताव--	Motion to consider—	
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi	93—94
खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	94

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
पारित करने का प्रस्ताव--	Motion to pass—	
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi . . .	94
रेल बजट, 1976-77--सामान्य चर्चा	Railway Budget, 1976-77—General Discussion—	
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee . .	95—97
प्रो० नारायण चन्द्र पराशर	Prof. Narain Chand Parashar . .	97—99
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvathi Krishnan . .	99—101
श्री एस० ए० कादर	Shri S.A. Kadar . . .	101—03
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	103—04
संविधान (संशोधन) विधेयक (भाग 3 का संशोधन)--श्री भोगेन्द्र झा द्वारा।	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Part III)— by Shri Bhogendra Jha—	
विचार करने का प्रस्ताव--	Motion to consider—	
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	105—07
श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Deb .	107—09
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B.R. Shukla . .	109
श्री एच० एन० मुखर्जी	Shri H.N. Mukerjee	109—110
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga .	110—11
श्री वीरेन दत्त	Shri Biren Dutta .	111—12
श्री निम्बालकर	Shri Nimbalkar	112—13
श्री सत पाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur	113—14
श्री प्रसन्नभाई मेहता	Shri P.M. Mehta .	114

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार ,12 मार्च, 1976/22 फाल्गुन 1897 (शक)

Friday, March 12, 1976/Phalguna 22, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

राज्य व्यापार निगम द्वारा वस्तुओं का आयात

***81. श्री पी० एम० मेहता** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा बहुत सी वस्तुओं का आयात उन्हीं वस्तुओं का सीधा आयात करने वाली फर्मों की अपेक्षा अधिक मूल्य पर किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). राज्य व्यापार निगम विश्वव्यापी पूछताछों के आधार पर सामान्य रूप से वस्तुओं की वल्क खरीदारियां करता है तथा इसलिए उसके द्वारा दी गई कीमतें प्रतियोगी हैं।

श्री पी० एम० मेहता : माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर न केवल टालमटोल करने वाला है अपितु सभा को गुमराह भी करता है । सारणीबद्ध प्रणाली का उद्देश्य आयातित वस्तुएं सस्ती दरों पर खरीदना है । परन्तु हुआ यह कि कुछ प्राइवेट पार्टियां राज्य व्यापार निगम द्वारा दिये गये अथारिटी पत्र और अपने निजी एस० टी० सी० लाइसेंसों के आधार पर सस्ती दरों पर वस्तुएं खरीद लेती हैं। यह कैसे हो सकता है ।

क्या यह सच नहीं है कि राज्य व्यापार निगम ने एक ऐसी वस्तु—एल० अमीनोडिओल 298 रु० प्रति किलो के हिसाब से आयात की जबकि उसी अवधि में मैसर्स सुनीता लेबोरेटरीस ने लाइसेंस नं० 75/506/61 दिनांक 20-11-75 के माध्यम से 232.50 रुपये प्रति किलो और मैक लेबोरेटरीस ने 260 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आयात की । दूसरी बात एम्पीसिलिन एन्हाईड्रोस की खरीद के बारे में है । जिससे 1 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हुई है । अतः मैं जानना चाहता हूं कि इन दो वस्तुओं तथा अन्य

वस्तुओं की ऊंचे मूल्य पर खरीद के बारे में सरकार क्या कार्यवाही करेगी जबकि उसी अवधि में एक प्राइवेट पार्टी ने अथारिटी पत्र के आधार पर वही वस्तु कम दर पर खरीदी है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमारा प्रयास यह रहता है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा उचित मूल्यों पर खरीद की जाये । राज्य व्यापार निगम द्वारा थोक खरीद विश्वव्यापी पूछताछ और टेंडर के आधार पर की जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने राज्य व्यापार निगम द्वारा ऊंची दर पर खरीदी गई दो वस्तुओं के बारे में पूछा है जबकि एक प्राइवेट पार्टी ने वही वस्तु कम दर पर खरीदी है । यदि आपके पास कोई सूचना नहीं है तो उन्हें बता दीजिए ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं इसका पता लगाऊंगा ।

श्री पी० एम० मेहता : क्या माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि राज्य व्यापार निगम विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय दरों की तुलना में 30 करोड़ रुपये की 32 सारणीबद्ध औषधियों के आयात के लिये डी० एण्ड पी० डिवीजन पर प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त विदेशी मुद्रा व्यय कर रहा है और ऐसा राज्य व्यापार निगम के डी० एण्ड पी० डिवीजन के ऊंचे अधिकारियों की मिलीभगत से किया जा रहा है । सरकार घोटाला करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमारे पास घोटाले के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

डा० रानेन सेन : राज्य व्यापार निगम के विरुद्ध लगातार यह शिकायत है कि वह कुछ औषधियों के आयात के लिए अधिक पैसा वसूल करता है । यह आरोप इस बात से सिद्ध होता है कि इन्डोमिथासिन नाम की औषधि बाहर 400 रुपये प्रति किलो मिलती है जबकि राज्य व्यापार निगम द्वारा यह 800 पये प्रति किलो बेची जाती है । इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि औषधि क्षेत्र में कुछ बहु राष्ट्रीय कम्पनियां अपनी मूल कम्पनियों से कच्चा माल और बनी हुई औषधियां ऊंचे मूल्य पर आयात करना चाहती हैं और राज्य व्यापार निगम और भारत सरकार की सारणीबद्ध नीति की निन्दा करने के लिए राज्य व्यापार निगम के आंकड़े उद्धृत करती हैं तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं इस भावना को दूर करना चाहता हूं कि राज्य व्यापार निगम ऊंचे मूल्यों पर आयात करता है । आयातित वस्तु के मूल्य में बिक्री कर और गोदाम प्रभार जोड़े जाते हैं । कुछ फर्मों को, जो सीधे आयात करती हैं, ये अतिरिक्त प्रभार नहीं देना पड़ता और इस बात का वे लाभ उठाती हैं । राज्य व्यापार निगम द्वारा जोड़े जाने वाले अतिरिक्त प्रभार से मूल्य बढ़ जाता है । गत वर्ष औषधियों और रसायन के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव रहा । राज्य व्यापार निगम ने एक समय खरीद की और बाद में कीमतें गिर गईं और लोगों ने कम मूल्यों पर माल खरीदा । इससे भी यह धारणा पैदा हो गई है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा दिये गये मूल्य ऊंचे थे । राज्य व्यापार निगम में विशिष्ट वस्तु परामर्शदात्री समिति है जिसमें उपभोक्ता और राज्य व्यापार

निगम के प्रतिनिधि हैं । वे विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों के बारे में सलाह देते हैं । निगम आर्डर देने से पूर्व मूल्य के बारे में उपभोक्ता की सलाह लेता है ।

डा० रानेन सेन : मैंने यह प्रश्न पूछा है कि क्या शिकायतें आई हैं और यदि हां, तो क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमने जो कदम उठाये हैं उनका मैंने उल्लेख कर दिया है ।

डा० रानेन सेन : क्या ये शिकायतें मिली हैं कि राज्य व्यापार निगम अधिक वसूल कर रहा है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं इससे सहमत नहीं हूं । मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है ।

श्री के० एस० चावड़ा : क्या विदेशी सप्लाईकर्त्ताओं के लिए हमारे देश में विद्यमान इंडेंट करने वाली एजेंसियां राज्य व्यापार निगम को उनसे माल खरीदने के लिये प्रभावित कर रही हैं और यदि हां, तो इन एजेंसियों को अभी तक काली सूची में क्यों नहीं रखा गया और विदेशी मुद्रा की हानि के लिए राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों को दण्ड क्यों नहीं दिया गया? सूची में सारणीबद्ध वस्तुओं को शामिल करने से पूर्व राज्य व्यापार निगम में कुप्रबन्ध को सरकार ने सही क्यों नहीं किया ? जिन वस्तुओं को खरीदने में निगम असफल रहा है । उन्हें सारणी से क्यों नहीं निकाला गया जिससे देश को हानि हो रही है और जनता को कठिनाई हो रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : राज्य व्यापार निगम पर ऐसा कोई दवाब नहीं है ।

पटसन उद्योग की समस्यायें

***82. श्री के० एम० मधुकर** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उद्योग के सामने आ रही समस्याओं की जांच करने के लिए तेरह सदस्यों की एक समिति गठित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और समिति ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख). एक विवरण नीचे दिया जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) समिति का गठन इस प्रकार है :

1. श्री एम० जी० बोस मलिक, वाणिज्य सचिव ।	अध्यक्ष
2. श्री एस० एम० घोष, संयुक्त सचिव भारी उद्योग विभाग ।	सदस्य

3.	डा० डी० एन० सक्सेना संयुक्त सचिव वित्त मंत्रालय (बैंकिंग विभाग)।	सदस्य
4.	डा० टी० राधाकृष्णन, निदेशक, भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान एसोसियेशन, कलकत्ता।	सदस्य
5.	डा० ए० सी० चक्रवर्ती, निदेशक, पटसन प्रौद्योगिकीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं, कलकत्ता।	सदस्य
6.	श्री बलदेव सिंह, प्रमुख, प्रौद्योगिकी उपयोगीकरण, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।	सदस्य
7.	श्री एस० दत्त मजुमदार, औद्योगिक सलाहकार, पश्चिम बंगाल सरकार।	सदस्य
8.	श्री पी० के० आहूजा, संयुक्त निदेशक, औद्योगिक लागत व मूल्य ब्यूरो, नई दिल्ली।	सदस्य
9.	श्री एम० सत्यपाल, सलाहकार, योजना आयोग, नई दिल्ली।	सदस्य
10.	श्री टी० के० बनर्जी, निदेशक, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, कलकत्ता।	सदस्य
11.	श्री के० रामानुजम, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली।	सदस्य
12.	श्री जी० उकिल, प्रबन्ध निदेशक, भारतीय पटसन निगम, कलकत्ता।	सदस्य
13.	श्री एस० एन० चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त, कलकत्ता।	सदस्य सचिव

समिति ने विचारार्थ विषयों से सम्बन्धित कुछ पहलुओं के बारे में 9-3-1976 को एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

पटसन उद्योग के बारे में ज्ञापन

†98. श्री वीरेन भट्टाचार्य : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पटसन उद्योग के बारे में सी०आई०टी०यू० पश्चिम बंगाल समिति से कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) सी०आई०टी०यू० पश्चिम बंगाल समिति ने पटसन उद्योग की समस्याओं के सम्बन्ध में एकीकृत दृष्टिकोण तैयार करने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति को ज्ञापन दिया है।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ ज्ञापन में बन्द पड़ी मिलों के अधिग्रहण पटसन उद्योग के राष्ट्रीयकरण उपजकर्ताओं के लिए लाभकारी कीमतों पर मिलों द्वारा सरकार से कच्चे पटसन की अनिवार्य खरीद तथा आधुनिकीकरण और मंजूरी अथवा रोजगार में कोई कटौती किये बिना उत्पादन लागत में कमी करने के लिए कहा गया है।

(ग) समिति अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देते समय इन सुझावों को ध्यान में रखेगी।

Shri K. M. Madhukar : I think the jute industry is facing all round crisis. Farmers have their own problem workers are being retrenched factories are being closed down. This industry is facing crisis which is artifici ally created by the industiralists themselves. No jute exports are being made resulting in foreign exchange problem. I want to know whether there jute mills cannot be nationalised in such circumstances as was done in the case of sick textile mills ? Keeping in view all these factors it has become essential to nationalise the jute industry and the Government should give proper facilities to workers, farmers and industry so that the industry could develop farmers could get reasonable prices and the problems of workers could be solved. What is your clear opinion about this ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय यह कठिनाई आन्तरिक नहीं है। ऐसा विदेशी बाजारों में मांग की कमी के कारण है। यदि विदेशी बाजार में उस मूल्य पर, जिस पर हमारा माल प्रतियोगी नहीं है पर्याप्त मांग नहीं है, हम उचित उपाय कर सकते हैं और हमने किये हैं परन्तु हम ये सब कठिनाइयां एकदम हल नहीं कर सकते। हमने निर्यात शुल्क में कुछ राहत दी है। भारतीय पटसन निगम द्वारा खरीद के मामले में पटसन उत्पादकों की कठिनाइयों पर भी हमने विचार किया है। इस उद्देश्य के लिये निगम को पर्याप्त धन दिया गया है।

हमने पटसन निगम को आश्वासन दिया है कि यदि कच्चे पटसन का मूल्य कानूनी तौर पर निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम चला जाता है तो हम हस्ताक्षेप करेंगे, परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि कच्चे पटसन का मूल्य इस वर्ष गत वर्ष और उससे पहले के वर्ष की तुलना में अधिक रहा है। यह मूल्य न्यूनतम मूल्य से काफी ऊंचा है। इस कारण स्थिति कुछ बेहतर है।

पटसन मिलों के राष्ट्रीयकरण से समस्या हल नहीं होती। हमने 100 से अधिक कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण किया है परन्तु कुछ अन्य मिलें भी संकट में हैं।

जहां तक पटसन मिलों का सम्बन्ध है केवल तीन मिलें कठिनाइयो के कारण बन्द कर दी गयीं। एक पुनः चालू कर दी गई है। दूसरी दो मिलें भी वित्तीय अथवा प्रबन्ध सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण बन्द करनी पड़ी हैं। इसलिए हमें यह नहीं कहना चाहिए कि उद्योग संकट में है।

Shri K.M. Madhukar : The hon. Minister has evaded them main question. He has said that industries in the Public Sector have made considerable progress. At the same time he has opposed the nationalisation of jute industry. The two things are contradictory.

Secondly the Minister's reply does not indicate that representatives of labour unions have been included in the Committee. Why their representatives have been ignored ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय: श्रमिकों के विचारों पर भी ध्यान दिया गया है। समिति ने कई बार उनके विचार सुने हैं।

उद्योग पक्ष की ओर से मांग की गई थी कि चूंकि कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, इसलिये उत्पादन में कमी की जानी चाहिए। समिति ने इस समस्या पर विचार किया और यह पाया कि कच्चे माल की कमी का भय निर्मूल है और उत्पादन में कमी करना ठीक नहीं। मजदूर नेता भी चाहते थे कि उत्पादन कम न किया जाये और मजदूरों की छंटनी न की जाये। समिति के निष्कर्ष भी वैसे ही हैं जैसे मजदूरों के प्रतिनिधियों के विचार थे।

Shri K M. Madhukar : He has not given reasons as to why their representatives have not been included.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि मजदूरों के विचारों पर गौर किया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बोस मलिक समिति उद्योग की स्थिति का अनुमान लगाने और सुधारात्मक उपाय बताने के लिए बनाई गई थी। श्री बोस मलिक ने स्वयं कहा है कि इण्डियन जूट मिल्ज एसोसियेशन का यह दावा सिद्ध नहीं हुआ कि मिलों में अधिक उत्पादन हो रहा है। बल्कि उन्होंने तो यह कहा है कि उत्पादन काफी होने की आशा है।

पटसन उद्योग अनुसंधान एसोसियेशन, कलकत्ता के निदेशक डा० टी० राधाकृष्णन के अनुसार पटसन निर्मित वस्तुओं के निर्यात सम्बन्धी स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी कि चित्रित की गई है। लेकिन यह जरूरी है कि कीमतों पर उचित नियंत्रण रखने के लिये उपाय किये जायें।

इसलिये मेरा प्रश्न यह है कि सरकार आई०जे०एम०ए० के कहने पर उन्हें अनेक प्रकार की सुविधाएं देकर सरकारी धन का अपव्यय न करे। मंत्री जी के प्रश्न से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार को निर्यात शुल्क हटाने आदि के कारण 47.70 करोड़ रुपये की हानि हो चुकी है। आप और कितनी रियायतें देने जा रहे हैं। क्योंकि ये मिल मालिक किस प्रकार काला धन एकत्र करते हैं, किस तरह मूल्य कम दिखाते हैं या अधिक दिखाते हैं और कैसे भावों को चढ़ाते-गिराते हैं, यह बात तो सरकार को पता ही है। क्या सरकार इस प्रकार के कदाचारों की जांच करायेगी ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : सदस्य महोदय ने मेरे उत्तर को घिसा-पिटा बताया है। लेकिन बात यह है कि इस उद्योग की समस्या ही ऐसी है। वर्षों से यह समस्या इसी प्रकार से चली आ रही है। उद्योग के सामने जो दिक्कतें हैं वे देशीय कारणों से नहीं हैं। जहां तक गलीचा-जूट उद्योग और बोरा उद्योग का सम्बन्ध है, उन्हें और राहत देने की जरूरत नहीं। लेकिन टाट उद्योग को कई दिक्कतें पेश आती हैं। जब तक हमारा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय का लेखा-परीक्षा विभाग इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता कि सहायता की जरूरत है, तब तक सहायता नहीं देते। अतः जो भी सहायता दी गई है वह उत्पादन लागत और विदेशों में उसके मूल्य को ध्यान में रखते हुए प्रदान की है। हमने उद्योग, उत्पादकों और श्रमिकों के हितों को दृष्टि में रख कर ही सहायता दी है अन्यथा कई कारखाने बन्द हो जाते और कठिनाइयां बढ़ जातीं।

अभी भी टाट उद्योग कठिन स्थिति में है और अन्य देशों के माल की तुलना में उसका ठहरना कठिन है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पटसन व्यापार में सट्टेबाजी की प्रवृत्ति, जिसके परिणामस्वरूप मूल्य स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, के बारे में क्या सरकार ने कोई जांच की है ? उत्पाद शुल्क के हटाये जाने के बाद भी सट्टेबाजी के कारण मूल्यों में वृद्धि हुई है। क्या आप इस बारे में कोई जांच कर रहे हैं ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : अन्य बातों के साथ इस पहलू पर भी विचार किया जा रहा है। हमने कुछ ऐसी कार्यवाहियां की हैं जिसके फलस्वरूप पिछले एक वर्ष के दौरान पटसन व्यापार थे सट्टेबाजी में कमी हुई है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : 24 जनवरी को एक अधिसूचना द्वारा इस समिति के गठन से पहले मंत्री महोदय ने पटसन कारखाने के मालिकों को उत्पादन मूल्य कम करने के लिये कहा था। हमें इस बात का भय था और यह भय सच सिद्ध हो रहा है कि पटसन कारखानों के मालिक अपनी पुरानी मशीनरी का कार्य भार बढ़ा रही हैं। कुछ कारखानों में तालाबंदी हो चुकी है और कुछ में होने वाली है। अन्तरिम प्रतिवेदन में कहा गया है कि इण्डियन जूट मिल्ज़ एसोसिएशन उत्पादन लागत में कमी करने के पक्ष में है। क्या इस बारे में कोई जांच की गयी है ? मंत्री महोदय के अपने वक्तव्य का क्या अर्थ है। वे पटसन उद्योग की परिस्थितियों से स्वयं परिचित हैं। उत्पादन लागत में कमी करने से उनका क्या तात्पर्य है, जबकि मालिक कार्य भार बढ़ा रहे हैं।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह जरूरी नहीं कि उत्पादन लागत में काफी कर्मचारियों की छटनी द्वारा ही नहीं बल्कि अन्य साधनों द्वारा भी की जायेगी जैसे कि अच्छा प्रबन्ध, अच्छा वित्तीय प्रबन्ध, अच्छा सम्पत्ति सूची प्रबन्ध आदि आदि इसके लिये सट्टेबाजी के अनावश्यक दबाब का सहारा लेना जरूरी नहीं। अतः लागत कार्यकुशलता का अर्थ जरूरी तौर पर कर्मचारियों की संख्या में कमी करना नहीं है हम इस बात को बिलकुल स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारा उद्देश्य कर्मचारियों की किसी न किसी तरह छटनी करना नहीं है ।

श्री बी० के० दासचौधरी : पटसन वस्तुओं के मूल्य तथा लागत के बारे में मंत्री महोदय ने अपनी दलीलें दी हैं। इसके कारण भीतरी नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय अथवा विदेशी बाजारों में व्याप्त परिस्थितियां हैं। मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि क्या देश में 1000 से 1200 करोड़ रुपये तक की लागत की पटसन वस्तुओं का उत्पादन होता है जिस में से मुश्किल से 25 प्रतिशत का निर्यात होता है । दूसरे निर्यात किये जाने वाले पटसन के माल, जिससे 300 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का अर्जन हो रहा है, इसमें से 60 प्रतिशत गालिचे आदि होता है । इनसे काफी ऊंचे मूल्य प्राप्त हो रहे हैं। सरकार तथा इंडियन जूट मिल्ज एसोसिऐशन यह तर्क देता आ रहा है कि लागत तथा मूल्यों के कारण देश में मंदी है लेकिन यह ठीक नहीं है ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं माननीय सदस्य की जानकारी में कुछ तथ्य लाना चाहता हूं। 50 प्रतिशत मात्रा का निर्यात किया जाता है । कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत भाग या अधिक जैसे भी मांग हो, का निर्यात किया जाता है । देश के अन्दर भी सीमेंट निगम तथा सीमेंट एककों तथा खाद्य निगम की बोरियों की मांग में कमी आ रही है क्योंकि वे भी इस बात को समझते हैं

कि यदि वे बोरियों के लिये प्राकृतिक धागा नहीं लेते तो वे अपने तैयार माल के लिये विदेशों में मूल्य में कमी नहीं कर सकते। इसके लिये भी कुछ लोग संकोच करते हैं। देश की मंडी में भी कुछ ढीलापन है । इन सब कारणों से कुछ समस्यायें पैदा हो गयी हैं।

प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध का हटाया जाना

*83. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्याज के निर्यात पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिबन्ध हटाये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सुधरे हुए उत्पादन तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने की आवश्यकता को देखते हुए प्रतिबन्ध हटा लिया गया है ।

श्री सरोज मुखर्जी : क्या मंत्री महोदय हमें बतायेंगे कि निर्यात के कारण ही प्याज के मूल्य इतने ऊंचे अर्थात् 4 रुपये प्रति किलो हैं या इसके कुछ और कारण हैं ? कितनी मात्रा में किन किन देशों को इसका निर्यात किया जाता है ? कितनी मात्रा का निर्यात हुआ ? देश के अन्दर कुल कितना उत्पादन होता है ? निर्यात से क्या कोई कमी हुई है अथवा मूल्य में वृद्धि हुई है अथवा यह कहा जा सकता है कि यह सब जमाखोरों की गतिविधियों के कारण हुआ है ? मुझे इन प्रश्नों के उत्तर चाहिये।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : प्याज की फसल में कमी के कारण ही इसके मूल्यें में ,असामान्य वृद्धि हुई है । महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में तो फसल बहुत ही कम हुई। फसल में वृद्धि होने के कारण अब मूल्य कम हुये हैं। अतः मूल्य वृद्धि का कारण निर्यात नहीं है । कुल उत्पादन के केवल 4.7 प्रतिशत भाग का ही निर्यात होता है। इस अवधि के दौरान निर्यात के बारे हमने बहुत सावधानी से काम लिया है । प्रति वर्ष 10 से 12 लाख टन का उत्पादन होता है 1973-74 के दौरान 64,440 टन, 1974-75 के दौरान 68,983 टन तथा 1975-76 (अप्रैल-जुलाई) के दौरान 55,749 टन का निर्यात हुआ है । 10 से 12 लाख टन में से 55 से 68 हजार टन का निर्यात हुआ है ।

अतः यह प्रतिशत अधिक नहीं है । मलेशिया, सिंगापुर, दुबाई,, कुवैत, इरान तथा बेहरीन आदि देशों को प्याज का निर्यात किया जाता है। मेरे विचार में मैंने माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर द दिये हैं।

श्री समर मुखर्जी : क्या यह सच है कि व्यापारियों को प्याज जमा करने तथा कृत्रिम मूल्य वृद्धि पैदा करने के लिये बैंकों से ऋण दिये गये थे। क्या मंत्री महोदय को इस बारे में कोई जानकारी है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी नहीं। जमाखोरी के लिये कोई ऋण नहीं दिये गये।

श्री अनंत राव पाटिल : मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि दिसम्बर, 1974 के दौरान प्याज के मूल्यों में वृद्धि हुई थी। उन्होंने महाराष्ट्र का जिक्र किया था जहां देश के कुल उत्पादन में से 80 प्रतिशत उत्पादन होता है। वहां मूल्य बढ़ कर 300 रूपये प्रति टन हो गये थे। आज महाराष्ट्र में प्याज का भाव 40 रूपये प्रति क्विंटल है। प्याज का निर्यात खाड़ी के देशों को किया जाता है। लेकिन 300 रुपये प्रति क्विंटल के लिये खाड़ी देशों में कोई मार्केट नहीं है और वे मूल्य में 50 प्रतिशत कमी करने के लिये कह रहे हैं। इस वर्ष महाराष्ट्र में 8 लाख टन प्याज का उत्पादन हुआ जो मार्केट में बिना बिके पड़ा है। अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे खाड़ी के देशों की मांग के अनुसार मूल्यों में कमी करने के लिये तैयार हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं माननीय सदस्य की भूल सुधारना चाहता हूं। महाराष्ट्र का उत्पादन कुल देश के उत्पादन का 28 प्रतिशत है। मूल्य में कमी आई है। दिसम्बर में यह 250 रुपए के असामान्य मूल्य पर चल रहा था। अब यह 55 रुपए रह गया है। अतः हमने इसके निर्यात की अनुमति दे दी है।

केन्द्र द्वारा नियंत्रित एक मद के न्यूनतम मूल्य को कम करने के लिये ऐसा ही अनुरोध किया गया था। बाद में पता चला उसी विशेष पार्टी ने उसी अधिकतम मूल्य पर वह किया जिस पर कि हमारा आग्रह था। इस बारे में हमें आतंकित हो कर अपनी विदेशी मुद्रा नहीं खोनी चाहिए। इस बारे में हम व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं और उचित मूल्यांकन के पश्चात् आवश्यक परिवर्तन करते हैं।

केरल में हथकरघा उद्योग का विकास

*84. **श्री ए० के० गोपालन :**
श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा केरल में हथकरघा उद्योग के विकास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम का सुझाव दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) कार्यक्रम में शामिल की गई योजनाएं दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) कार्यक्रम में शामिल की गई योजनाएं राज्य सरकार द्वारा केन्द्र तथा वित्त पोषक संस्थाओं की सहायता से और राज्य सरकार के अपने संसाधनों से चलाई जाएंगी। कतिपय कार्यक्रमों को पहले ही क्रियान्वित किया जा रहा है। केन्द्रीय योजना के भाग के रूप में एक गहन विकास परियोजना का, जिस पर 1.85 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा, और निर्यात-अभिमुख परियोजना का, जिस पर 40 लाख रुपये का परिव्यय होगा, अनुमोदन कर दिया गया है।

विवरण

क्रमांक	योजना	प्रस्तावित परिव्यय (लाख रु० में)
1	हथकरघा परियोजनाएं	12.67
2	शीर्ष समिति को सुदृढ़ बनाना	54.19
3	फैक्टरी-टाइप औद्योगिक सहकारी समितियों का संगठन .	484.28
4	विद्यमान औद्योगिक सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाना .	50.00
5	सामूहिक बुनाई केन्द्र	122.36
6	ब्याज हानि के आधार पर सहकारी बैंकों को उपदान . .	12.00
7	विद्यमान मूल हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को फिर से चालू करना तथा सुदृढ़ करना	115.00
8	मूल समितियों के लिए प्रबन्धकीय व्यय . . .	12.00
9	विदेशों में व्यापार प्रतिनिधि मंडल . . .	5.00
10	आवास योजनाएं	180.00
11	बुनकर सेवा केन्द्र	26.74
	योग . .	1074.24

श्री ए० के० गोपालन : क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने 17 करोड़ रुपये का एक कार्यक्रम भेजा था और बाद में उसे बदलने को कहा गया ? उन्होंने इसे घटा कर 10 करोड़ रुपये कर दिया । यह होते हुये भी उन्हें इतना भी धन क्यों नहीं दिया गया ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : संसाधनों की समग्र रूप से उपलब्धता तथा विभिन्न राज्यों को क्या वितरित किया जा सकता है इसको ध्यान में रख कर ऐसा किया गया है ।

श्री ए० के० गोपालन : केरल के उस भाग में [अर्थात् मालाबार विशेषतः कन्नौर और कोजीकोड जिलों में हथकरघा उद्योग विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले हैं; इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार राज्य की सहायता में वृद्धि करने पर विचार करेगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह 20 सूत्री कार्यक्रम में सम्मिलित है । अतः इसे हम जहां तक सम्भव हो पूरा करना चाहते हैं । परन्तु मैं वृद्धि के बारे में विशेष आश्वासन नहीं दे सकता ।

श्री एन० श्रीकानतन नायर : इसे भी भारत सरकार की अनुमति प्राप्त थी। यह राशि 10.74 करोड़ रुपये की बैठती है। केन्द्रीय योजना के रूप में 1.85 करोड़ रुपये की सघन विकास परियोजना और 40 लाख रुपये की निर्यात प्रधान परियोजनायें स्वीकार की गई हैं। परन्तु यह केरल राज्य द्वारा दी गई परियोजनाओं की संरचना से किसी भी प्रकार अनुरूप नहीं बैठतीं। इस प्रकार संरचना में यह परियोजनाएं कैसे सही उतरेंगी ? क्या सरकार ने केरल सरकार को बता दिया है कि सरकार उनकी परियोजनाओं में उनकी मदद जारी रखेगी अथवा उन्हें बता दिया है कि और आगे सहायता नहीं दी जा सकेगी तथा केरल सरकार को अपनी परियोजनाओं की क्रियान्विति के बारे में अपने उत्तरदायित्व का पता रहे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह निश्चय ही प्रायोजित योजनाएं हैं। इसके अलावा केरल सरकार के निर्यात वृद्धि के लिये अनुदान अथवा छूट देने सम्बन्धी कुछ और भी प्रस्ताव हैं जिनके लिये 60 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

श्री था० किरुतिनन : दक्षिण भारत का हथकरघा उद्योग मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है एक सूत की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि तथा दूसरे निर्मित माल की निकासी। दक्षिण में हथकरघा उद्योग को इन दो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन दो अभावों की पूर्ति के लिये क्या विशेष कार्यवाही की गई है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तैयार होने वाली नई मिलों के लिये अनिवार्य होगा कि अपने सूत के उत्पादन का 65 प्रतिशत भाग हथकरघा उद्योग के लिये दें। जो मिलें पहले से सूत तैयार कर रही हैं, उनका दायित्व 1972 के उत्पादन की तुलना में 110 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा कताई क्षेत्र में लाइसेंस जारी करने की पद्धति को सरल बनाया गया है तथा एम० आर० टी० पी० के अन्तर्गत आने वाली मिलों अथवा महानगरों में स्थित मिलों को छोड़कर 50,000 तकलों तक कोई लाइसेंस आवश्यक नहीं है। बुनकरों के सहकारी क्षेत्र में कताई मिलों के उत्पादन के लिये एन० सी० डी० सी० को 50 लाख रुपये दिये गये हैं। सघन विकास परियोजनाओं तथा निर्यात प्रधान परियोजनाओं के 'सूत बैंक' स्थापित करने की योजना है जिससे सूत की उपलब्धता में पर्याप्त सहायता मिलेगी।

बिक्री के लिये सरकार का इरादा राज्य स्तर पर विभिन्न शिखर निकायों तथा आल इण्डिया हैण्डलूम फैबरिक्स मार्किटिंग सोसायटी को सुदृढ़ बनाने का है और हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम एक्सपोर्ट कार्पोरेशन आफ इण्डिया की सेवाओं को भी पूरी तरह उपयोग में लाने का है। और राज्य सरकारों को सहकारी निकायों के पूंजी निवेश बढ़ाने में सहायता देने के लिये सहायता दी जायेगी।

जीवन बीमा निगम द्वारा लाभ वाली पालिसियों पर बोनस

*85. **श्री वसन्त साठे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम द्वारा लाभ वाली पालिसियों पर घोषित बोनस गत चार वर्षों में एक सा रहा है ;

(ख) क्या जीवन बीमा निगम के खर्च में वृद्धि इसकी आय में वृद्धि से अधिक हो रही है, प्रबंधकीय व्यय 50 प्रतिशत से अधिक है और चालू पालिसियों सम्बन्धी कार्य पर होने वाला व्यय 15 प्रतिशत की सांविधिक सीमा से बढ़ गया है ; और

(ग) यदि हां, तो पालिसी होल्डरों के हित की रक्षा करने और जन साधारण के लिये जीवन बीमा आकर्षक बनाने के लिये क्या कदम उठाये जाने हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1974–75 के सम्बन्ध में समग्र व्यय का अनुपात तथा नवीकरण व्यय का अनुपात क्रमशः 30.48 प्रतिशत और 18.97 प्रतिशत था।

(ग) मुद्रास्फीति के दुष्प्रभाव को विफल करने के लिये जीवन बीमा निगम ने अपने कारोबार को बढ़ाने, व्यय को सीमित रखने और अपने निवेशों पर मिलने वाले लाभ में वृद्धि करने की दृष्टि से जोरदार उपाय किये हैं।

श्री वसन्त साठे : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि व्यय का अनुपात बढ़ गया है। 80 प्रतिशत पालिसियां ऐसे व्यक्तियों द्वारा ली जाती हैं जो 10,000 रुपये से कम की पालिसियां लेते हैं, जिनमें बीमा की गई राशि का 46 प्रतिशत दिया जाता है। लाभ सहित पालिसियों में यह एक बचत करने एवं जोखिम में राहत पाने के लिये लोगों को आकर्षित करने का मुख्य स्रोत है, ब्याज बहुत कम है, सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करना चाहती है। यदि 15 वर्ष के लिये 10,000 की पालिसी ली जाये तो ब्याज 2.1 प्रतिशत बैठता है जब कि बैंक में 7 वर्ष के लिये जमा राशि दुगुनी हो जाती है। ऐसे हालात में मध्यम वर्ग के तथा छोटे व्यक्ति लाभों सहित पालिसी क्यों लेंगे। वे मात्र जोखिम वाली पालिसी ले लेंगे तथा धन बैंकों में जमा करेंगे। इस दोष को दूर करने तथा उन्हें और आकर्षित बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं माननीय सदस्य को याद कराना चाहता हूं कि यह भावी बोनस के लिये नहीं अपितु जो बोनस पहले घोषित किये जा चुके हैं उसके बारे में है। पिछले दो वर्षों में बढ़ते हुये व्ययों वेतनों के पुनरीक्षण तथा महंगाई भत्ते में वृद्धि तथा अन्य कारणों से प्रबन्ध व्यय बढ़ गये हैं। अतः स्वाभाविततः बोनस कुछ वर्षों से वही बने हुये हैं। उन्होंने जिन बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया है उन पर गम्भीरता से विचार हो रहा है। मैं स्वीकार करती हूं कि इन सभी बातों पर विचार किया जाना चाहिये।

श्री वसन्त साठे : क्या यह सच नहीं है कि लाभ बहुत कम है। इसीलिये आय-व्यय के अनुपात में बहुत अन्तर है ? क्या यह सच नहीं है कि जीवन बीमा आज भी उद्योगों को कम ब्याज पर अर्थात् 8–10 प्रतिशत पर धन देता है, जबकि बैंक आज भी बहुत अधिक ब्याज ले रहे हैं ? इस प्रकार यह कल्पनातीत नीति नहीं है कि लगाई गई पूंजी पर लाभ मिले, प्रबन्ध तथा लाभ-पूर्ण नीतियों से धन लगाने में प्रोत्साहन मिले ? इस बारे में आप क्या कर रहे हैं ? मैं इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं, वाद-विवाद नहीं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : इस पर वाद-विवाद का कोई इरादा नहीं है, इन्होंने अति विशिष्ट प्रश्न किया है। मुझे सभा को विश्वास में लेते हुये प्रसन्नता है कि गत 6—8 महीनों में आपात-स्थिति में बेहतर अनुशासन लाया जा सका है। जिसकी कि श्रेष्ट प्रबन्ध के लिये नितान्त आवश्यकता थी, तथा बनाये जा सकने वाले व्ययों में कटौती करने से, समग्र रूप से व्यय अनुपात में कुल लगभग 2 प्रतिशत की कमी आई है। मैं समझती हूं यदि यह लक्ष्य बनाये रखा जा सके तो जीवन बीमा निगम कुछ समय पश्चात् सफलता प्राप्त कर सकेगा।

श्री वंसत साठे : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैंने इसे मुख्य प्रश्न में उठाया था। इस प्रकार मैंने सोचा था कि वह कम से कम विशिष्ट प्रश्न का उत्तर देने को उद्यत होगी।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कम से कम इसका स्वागत तो किया है ?

Shri R. S. Pandey : If a person gets his life insured, he has two things in mind, one is saving and the other is building a better future. It is the international policy that whether it be rupee, pound or dollar it is based on the higher or lower rates. A person who gets his life insured at 20 years of age when the value of a rupee was 67-68 paise and now it has fallen down to 29 paise paid the premium at these rates. May I know whether the said principle has been made the base or will it be so made ? May I know whether in place of developing the insurance would it be up valued as ultimately the person who has insured himself with the aim of future building . How would that be reconciled with ? Has the Government thought over this matter.

Shrimati Sushila Rohatgi : I would like to reply it briefly. Apart from these two bases the L. I. C. has another base in respect of future security. You have said that it is losing attraction I would only say. in respect of the bases referred to by you, that the attraction has not declined and in the recent past the business of the L.I.C. has registered an increase of 20-22 per cent. The suggestions made by you would receive due consideration in the future.

श्रीमती माया राय : क्या मंत्री महोदय प्रश्न के (ख) भाग के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे जीवन बीमा निगम के कार्यकरण से और उस की कार्यक्षमता से सन्तुष्ट हैं ? मैं विशिष्ट उदाहरण नहीं देना चाहती, क्योंकि कई पन्नो में चला जायेगा।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : निश्चय ही मैं कार्य क्षमता के बारे में पूर्णतः सन्तुष्ट नहीं हूं और निश्चय ही इसमें सुधार की गुंजाईश है। हमारा यह निरन्तर प्रयन्न रहता है कि इन मामलों में सुधार लाया जाये।

तैयार चमड़े और चमड़े के सामान का निर्यात

*86. **श्री राजदेव सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय जूता और चर्मकार महा संघ के प्रतिनिधि मंडल के अनुसार जिसने हाल ही में भारत का दौरा किया था यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई० ई० सी०) को तैयार चमड़े के सामान के निर्यात से होने वाली आय ही निकट भविष्य में इस देश द्वारा वहन किये जाने वाले अतिरिक्त तेल के बिल के भुगतान के लिये पर्याप्त, होगी; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्ष में उपर्युक्त वस्तुओं का कुल कितना निर्यात हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :

(क) निकट भविष्य में चमड़े के निर्यातो में पर्याप्त वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

(ख) गत दो वर्षो में जूतों सहित तैयार चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित वस्तुओं के समग्र निर्यात निम्नोक्त प्रकार है :--

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

1974-75	1975-76 (अप्रैल-जनवरी) (अनुमानित)
60.85	45.09

Shri Rajdeo Singh : In reply to part I of my question the Law Minister has stated that there is hope for increasing export in the near future. May I know the basis for such a hope and also the proportion in export of the tiger, crocodile and snake skin ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : टाइगर घडियाल आदि खालों के अनुपात बता सकना सम्भव नहीं होगा। परन्तु यह जानकारी एकत्र करके दी जा सकती है। चमड़े के आयात की क्षमता को बढ़ावा देना तैयार चमड़े की क्षमता पर निर्भर करता है। जूतों के निर्यात के आंकड़ों से पता चलता है कि चमड़े के जूतों का निर्यात वर्ष 1973-74 में 16.78 करोड़ से बढ़ कर वर्ष 1974-75 में 30.56 करोड़ रुपये हो गया है। चमड़े की निर्मित वस्तुओं का निर्यात वर्ष 1973-74 में 6.17 करोड़ रुपये से बढ़कर 1974-75 में 12.83 करोड़ रुपये हो गया चमड़े के जूतों का निर्यात वर्ष 1973-74 में 11.30 रुपये के स्थान पर 17.46 करोड़ रुपये का हुआ।

Shri Rajdeo Singh : In reply to second part of the question the Law Minister has stated and given statistics that in the year 1974-75 the value of export was Rs. 60·85 crores whereas for the 10 months of 1975-76 its export was worth Rs. 45 crores and 9 lakhs. Still about two months are left in the year. But these figures indicate that the exports during 1975-76 has been less. In spite of these figures the Law Minister hopes that our export would increase day by day. May I know as to how it would be possible ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह पूरे आंकड़े नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें इन दो महीनों में अधिक निर्यात की उम्मीद है ---(व्यवधान)

Closure of Textile and Jute Mills in Kanpur

***37. Shri Chandra Shailani :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) Number of textile and jute mills lying closed in Kanpur ;

(b) Whether Government propose to take them over and if so, by what time ; and

(c) number of persons to be provided with employment on reopening of these mills ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) इस समय कानपुर में एक पटसन मिल तथा दो वस्त्र मिलें बन्द पड़ी हैं।

(ख) सरकार द्वारा मिलों का अधिग्रहण अनेक बातों पर निर्भर करता है जैसे वित्त को उपलब्धता, प्रबन्ध कुलशता आदि जो कि मिलों को पुनः शुरू करने के लिये आवश्यक है। सरकार इस मामले में कार्यवाही कर रही है और मिलों को शीघ्रताशीघ्र पुनः शुरू करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) इन मिलों में कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया जायेगा यह मिलों के पुनः शुरू किये जाने के समय आवश्यकता पर निर्भर करेगा।

Shri Chandra Shailani : May I know the date on which these mills were closed and the number of workers working there before closure.

I shall also like to know whether in the month of February the Chief Minister of U. P. had met the Union Commerce Minister Shri Chattopadhyaya, Industries Minister Shri Pai and the Finance Minister Shri Subramaniam in connection with the reopening of these three mills, if so, what assurance had been given by the Government of India ? What is the amount of arrears to be realised from the mill owners in respect of pay etc. of workers working in these mills and what steps the Government have taken to realise the amount and by what time payment will be made ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इन दो मिलों में निम्नलिखित संख्या में मजदूर कार्य कर रहे हैं :

लक्ष्मी रतन काटन मिल्ज लिमिटेट.......2576

एथरटन वेस्ट मिल्ज 2666

कुल प्रभावित श्रमिकों की संख्या 5242 है। दूसरे हम उत्तर प्रदेश सरकार से भी सम्पर्क बनाये हैं और कई बार वार्ता हो चुकी है। यह सच है कि माननीय वित्त मंत्री, माननीय उद्योग मंत्री और मैंने बातचीत की है मैं आपको और सभा को विश्वास दिलाता हूं कि शीघ्र ही कोई समाधान निकल आयेगा। यहां मुख्य समस्या प्रबन्ध विषयक है क्योंकि राज्य सरकार इन मिलों का प्रबन्ध नहीं सम्भाल सकती। कुछ वित्तीय कठिनाईयां भी हैं और हम वित्त मंत्रालय से सम्पर्क बनाये हुये हैं। हमें आशा है कि इन मिलो के खुल जाने के बाद श्रमिकों तथा उनसे सम्बन्धित अन्य समस्याओं पर भी ध्यान दिया जा सकेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : माननीय मंत्री जी क्या यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने हाल ही में उन से तथा वित्त मंत्री से मुलाकात करके यह आग्रह किया था कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम इन मिलों को अपने अधिकार में लेले क्योंकि यह केवल 5000 श्रमिकों का ही प्रश्न नहीं बल्कि यदि आप अस्थायी कर्मचारियों को भी शामिल करें तो यह संख्या 10000 हो जायेगी। ये सभी कर्मचारी पिछले एक वर्ष से भूख का शिकार हो रहे हैं। क्या सरकार ने इन मिलों को सरकारी अधिकार में लेने का कोई पक्का निर्णय लिया है। यह मिलें श्री राम रतन गुप्त को नहीं सौंपनी चाहिये क्योंकि उन्होंने इसे बर्बाद कर दिया है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जी हां। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने ऐसा अनुरोध किया है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हम इस सम्भावना पर विचार कर रहे हैं जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है तो मेरा यह कहना है कि जिन लोगों ने इन मिलों को खराब किया है, हम उन लोगों को फिर से अधिकार नहीं देंगे।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सीमान्त तथा छोटे किसानों को दिए गए ऋण

*88. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री राष्ट्रीयकृत तथा अन्य बैंकों में जमा धनराशि तथा उन बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के बारे में 23 जनवरी, 1976 के तारांकित प्रश्न संख्या 253 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत एवं अन्य बैंकों ने गत तीन वर्षों में सीमान्त तथा छोटे किसानों और ग्रामीण दस्तकारों को राज्यवार कितनी राशि के ऋण दिये,

(ख) उपरोक्त अवधि में वरीय ब्याज दर योजना के आधार पर कमजोर वर्गों के कितने लोगों को ऋण दिये गये ; और

(ग) क्या सारे देश को इस योजना के अन्तर्गत लाने का विचार है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग). सदन के पटल पर एक विवरण रखा जा रहा है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10423/76]

श्री भोगेन्द्र झा : विवरण में कहा गया है कि सांख्यिकीय सूचना देने की वर्तमान प्रणाली में 'ग्रामीण शिल्पियों' जैसे विशिष्ट समूहों को दिये गये बैंक ऋणों के सम्बन्ध में अलग से आंकड़े एकत्र करने की व्यवस्था नहीं है। यह भी कहा गया है कि यद्यपि विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया ऋणों की स्थिति सम्बन्धी आंकड़े प्राप्त हुए हैं लेकिन अब तक इस विषय में कोई निर्णय नहीं किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस समय हम ग्रामीण क्षेत्रों में सूदखोरी के विरुद्ध 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अभियान चला रहे हैं ताकि निर्धन ग्रामीणों पर ऋण को कम किया जा सके। सीमान्त तथा निर्धन किसानों को संस्थागत ऋण के अन्तर्गत लाना अत्यन्त आवश्यक है। क्या कारण है कि वरीय ब्याजदर योजना को देश के सभी भागों के सभी जिलों में लागू करने की योजना पर विचार नहीं किया गया है ? ग्रामीण शिल्पी सामूहिक रूप से सूदखोरों के चंगुल में हैं और इस बारे में दो राय नहीं हो सकती कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि के लिये सहायता की आवश्यकता है। क्या भविष्य में उनके लिये अलग से कोई योजना तैयार की जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम) : यह इस बात पर निर्भर करता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक कितने ग्रामीण क्षेत्र को सुविधाएं प्रदान करते हैं। अभी तक तो बहुत सीमित क्षेत्र में ये सुविधाएं उपलब्ध थीं। इसी लिये ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बल वर्गों को बेहतर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए हम ग्रामीण बैंक खोल रहे हैं। 10 बैंक पहले हा खोले जा चुके हैं और 31 मार्च, से पूर्व 5 और खोले जाने हैं। अगले वर्ष के दौरान 30 से 35 तक और बैंक खोले जाने हैं। वाणिज्यिक बैंक तो इन सब बातों में रुचि नहीं लेते। इसीलिए हम वैकल्पिक ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने की सोच रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

विश्व के बाजारों में भारतीय कपड़े की खरीद बंद हो जाने का खतरा

*89. **श्री डी० डी० देसाई** : : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक मिशन ने चेतावनी दी है कि विश्व के बढ़िया बाजारों में भारतीय सूती कपड़े की खरीद शनैः शनैः बन्द हो जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो इस निष्कर्ष के लिये मिशन ने क्या कारण बताये हैं ; और

(ग) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) : इस विषय में विश्व बैंक से कोई औपचारिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, विश्व बैंक द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों के बारे में कुछ रिपोर्टें जो अखबारों में छपी थीं, सरकार के ध्यान में आई है।

भारत और पश्चिम जर्मनी के बीच व्यापारिक समझौता

*90. श्रीमती पार्वती कृष्णन् : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सिंथेटिक फाइबर' में आत्म निर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से हाल में नई दिल्ली में भारत और पश्चिम जर्मनी के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) संश्लिष्ट रेशों के उत्पादन के लिए प्रदर्शन सयन्त्र की स्थापना के लिए भारत सरकार, जर्मन संघीय गणराज्य और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बीच एक करार पर 12 फरवरी, 1976 को हस्ताक्षर हुए ।

(ख) परियोजना के लिए जर्मन संघीय गणराज्य और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 15 प्रतिशत घट बढ़ सहित क्रमशः 50 लाख जर्मन मार्क और 7,35,000 अमरीकी डालर मूल्य के उपस्कर, विशेषज्ञता प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करेगा । भारत सरकार परियोजना के संस्थापन, परिचालन तथा रख-रखाव के लिए, जिनमें भवन, मशीनों आदि की स्थापना, स्थानीय रूप में उपलब्ध उपस्कर, कच्चे माल, सुविधा-साधन और जनशक्ति शामिल है, आवश्यक अन्य सारे अंशदानों को (मौजूदा अनुमान 1,98,59,600 रु०) स्वयं व्यवस्था करेगी । यह परियोजना रेशम तथा कृत्रिम रेशम मिल अनुसन्धान एसोसिएशन (सासमिरा) द्वारा क्रियान्वित की जाएगी और जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की सहकारी अनुसन्धान एसोसिएशनों में से एक है ।

ग्रामीण विकास के लिए 'स्वयंसेवी एजेंसी–एसोसिएशन' के पदाधिकारियों द्वारा निर्यात

*91. श्री शशि भूषण : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'एवार्ड' (ग्रामीण विकास स्वयंसेवी एजेंसी—एसोसिएशन) के कुछ पदाधिकारी तथा इससे सम्बद्ध कुछ अन्य संगठन चांदी, हाथी दांत तथा पुस्तकों का निर्यात व्यापार कर रहे थे; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). हमारे पास इस समय ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे यह पता चल सके कि क्या उल्लिखित एसोसिएशन का कोई पदाधिकारी या इससे सम्बद्ध अन्य संगठन किसी चीज का निर्यात करते रहे हैं । तथापि इस विषय से सम्बन्धित जानकारी एकत्र की जा रही है ।

कालीकट हवाई अड्डा

*92. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट हवाई अड्डे का निर्माण इस समय किस अवस्था में है; और

(ख) इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). कालीकट में एक विमानक्षेत्र के निर्माण की परियोजना पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में शामिल की गई थी। कालीकट में भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था और वहां बाड़ भी लगा दी गई थी। किन्तु विमानन इंधन के मूल्यों में वृद्धि से हुई परिचालन लागत की बढ़ोत्तरी तथा अपने विमान-बेड़े की तंग स्थिति के कारण इण्डियन एयर लाइन्स को अपनी योजनाओं का पुनरीक्षण करना पड़ा और कारपोरेशन ने अपने आप को पंचवर्षीय योजना में कालीकट के लिये परिचालन करने में असमर्थ पाया। नागर विमानन के महानिदेशक ने जिन 9 मार्गों पर अनुसूचित परिचालकों को परिचालन का आफर दिया है उनमें बम्बई कालीकट-कोचीन भी एक है। एक या दो अनुसूचित परिचालकों ने इस मार्ग के परिचालन में अपनी दिलचस्पी जाहिर की है और उनका आवेदन-पत्र विचाराधीन है। कालीकट के समीप एक निजी हवाई पट्टी का इन परिचालनों के लिये सुधार करने का प्रस्ताव है।

पये का मूल्य

*93. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आपात-स्थिति की घोषणा के पश्चात् आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आने और बहुत तेजी से बढ़ रही मुद्रास्फीति के रुक जाने से पये के मूल्य में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भी दो वर्ष पूर्व की स्थिति की तुलना में रुपये के मूल्य की स्थिति में सुधार हुआ है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) रुपये की आन्तरिक क्रय शक्ति अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960–100) के अनुसार आंकी जाती है। जून, 1975 में, जिसके अन्त में आपात-स्थिति की घोषणा की गई थी, 1960 के मूल्यों के अनुसार पए की क्रय शक्ति 30.49 पैसे थी जो जनवरी, 1976 में बढ़ कर 33.56 पैसे हो गई।

(ग) यह जरूरी नहीं कि अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में रुपए के मूल्य में रुपए की आन्तरिक क्रय शक्ति में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार ही घट-बढ़ हो, क्योंकि पए की विनिमय दर पर विदेशी विनिमय बाजारों में होने वाली घटनाओं तथा विनिमय प्रणाली का भी प्रभाव पड़ता है। 25 सितम्बर, 1975 से अपनाई गई विनिमय दर प्रणाली का उ श्य आन्तरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की घटनाओं को देखते हुए रुपए की विनिमय दर में समायोजन करना है। तदनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने पौं० स्टर्लिंग की बिक्री और खरीद के लिए 8 मार्च, 1976 को 17.75 पए की मध्यम दर निर्धारित की है, जो मार्च, 1974 की 18.80 रुपए की दर से अपेक्षाकृत कम है।

टाटा समिति का प्रतिवेदन

*94. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** :
श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन सम्बन्धी टाटा समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिश की गई हैं और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण, जिसमें समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें दी गयी हैं, संलग्न हैं। समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

विवरण

(1) संगठन

नागर विमानन विभाग का नाम बदल कर उसे "नागर विमानन प्राधिकरण" की संज्ञा दी जाये, परन्तु उसकी एक सरकारी विभाग के रूप में वर्तमान समस्त संवैधानिक तथा कार्यात्मक विशेषताएं वैसी ही बनी रहेंगी।

(2) कर्मचारी वर्ग

विभिन्न सम्बन्धित राजपत्रित संवर्गों के प्रतिनिधियों से पहले विचार-विमर्श करके तकनीकी कार्यों में लगे नागर विमानन विभाग के समस्त राजपत्रित अधिकारियों के लिए नागर विमानन सेवा नाम की एक नई सेवा का सृजन किया जाए।

(3) प्रशिक्षण तथा लाइसेंस देना

वाणिज्यिक विमान चालकों के प्रारम्भिक प्रशिक्षण के लिए एक केन्द्रीय उड़ान प्रशिक्षणालय स्थापित किया जाए तथा नागर विमानन विभाग द्वारा उसका परिचालन किया जाए। जबकि इस-प्रशिक्षणालय का संस्थापन कार्य क्रमशः सम्पन्न होगा, उड़ान क्लबों के स्तर में सुधार करने के लिए और अधिक तत्काल उपाय करने आवश्यक हैं, जो कि विमान चालकों को निजी विमान चालक लाइसेंस (पी० पी० एल०) स्तर तक प्रशिक्षण देना जारी रखें।

(4) इलाहाबाद स्थित नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र को विमान यातायात नियन्त्रण (ए० टी० सी०) और इलैक्ट्रानिक्स से सम्बन्धित कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए और अधिक सुदृढ़ किया जाये तथा उसका आधुनिकीकरण किया जाए।

(5) उड़ान निरीक्षण

नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा एयर लाइनों के उड़ान कार्मिको की कार्य-दक्षता की स्वतन्त्र जांच करने की एक प्रणाली चालू की जाए और इस प्रयोजन के लिए नागर विमानन विभाग के विमान सुरक्षा पक्ष के भाग के रूप में एक उड़ान निरीक्षण निदेशालय का सृजन किया जाए।

(6) दुर्घटनाओं की जाँच तथा विमान सुरक्षा

गम्भीर दुर्घटनाओं की जांच के कार्य को पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में एक दुर्घटना जांच आयोग को हस्तान्तरण कर दिया जाए जो सीधे मन्त्री महोदय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

विमान दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए आयोग तथा नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण अथवा अनुमोदन करने, गम्भीर दुर्घटनाओं से सम्बन्धित

रिपोर्टों का विश्लेषण तथा मूल्यांकन करने, दुर्घटना जांच आयोग तथा विमान सुरक्षा निदेशालय के कार्यचालन का मूल्यांकन करने और विमान सुरक्षा के सम्बन्ध में सामान्यत: सरकार को परामर्श देने के लिए एक छोटी सी उच्चाधिकार समिति नियुक्त की जाए ।

(7) विमानक्षेत्र

नागर विमानन विभाग को भारत के समस्त सिविल विमान क्षेत्रों की व्यापक रूप से पुनरीक्षण करना चाहिए तथा निर्माण और विकास का एक विस्तृत क्रमबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए जिसके लिए विभाग को एक सुसंगठित विमान क्षेत्र योजना कक्ष की स्थापना करनी चाहिए ।

सरकार को यह सुनिश्चित करने के कार्य को परम अग्रता प्रदान करनी चाहिए कि भारत में समस्त विमान क्षेत्रों पर, विशेषत: अन्तर्राष्ट्रीय और बड़े विमान क्षेत्रों पर अग्नि-शमन सेवाएं पर्याप्त रूप से उपकरणों से सुसज्जित हों, उनमें कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त हो तथा वे सुप्रशिक्षित अग्नि-शमन सेवाएं हों ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा डिजाइन व निर्माण का कार्य भविष्य में एक विशेष यांत्रिक एवं विद्युत् इंजीनियरी पक्ष द्वारा किए जाएं, जिसका गठन नागर विमानन विभाग के ही अन्तर्गत किया जाए और जिसका अध्यक्ष अधीक्षक अभियन्ता के पद का वरिष्ठ निदेशक होवे ।

(8) नागर विमानन सलाहकार बोर्ड

नागर विमानन सम्बन्धी नीति तथा प्रशासन के समस्त मामलों पर सरकार को परामर्श देने के लिए पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक नागर विमानन सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाए ।

एयर इंडिया का विस्तार कार्यक्रम

***95. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया और अधिक 'बोइंग जम्बो जेट' विमान खरीदने के अपने कार्यक्रम का विस्तार करने के प्रश्न पर पुनर्विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और इसके कारण क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). एयर इंडिया की पांचवीं योजना के प्रारूप में तीन चौड़ी बाडी वाले जम्बो-आकार जेट विमानों का प्रावधान किया गया है । इनमें से एक बोइंग-747 विमान दिसम्बर, 1975 में खरीदा जा चुका है । इसी प्रकार के एक और विमान की खरीद का प्रस्ताव इस समय कारपोरेशन के विचाराधीन है ।

भारत और ईराक के बीच विमान सेवायें

***96. श्री हरि सिंह :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ईराक, दिल्ली तथा बम्बई जैसे भारतीय नगरों और बगदाद के बीच बेहतर तथा अधिक विमान सेवाएं चाहता है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां। ईराकी एयरवेज ने जो दिल्ली में समाप्त होने वाली एक साप्ताहिक सेवा का परिचालन कर रहे हैं, प्रारम्भ में भारत के लिये दूसरी आवृत्ति के लिये अनुरोध किया था। बाद में उन्होंने वर्तमान बगदाद-दिल्ली सेवा को बैंकाक और कुआलालमपुर तक विस्तार करने का अनुरोध किया, जो 1–4–1976 से बोइंग 727 तथा बाद में 5–7–1976 से बोइंग––747 द्वारा परिचालित होगी :

(ख) सरकार इन मामलों पर विचार-विमर्श के लिये नागर विमानन के एक प्रतिनिधि-मण्डल को ईराक भेजने के बारे में विचार कर रही है ।

आयकर तथा अन्य विभागों के कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन का भुगतान

***97. श्री इरज्मु दे सेहेरा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत आयकर तथा अन्य विभागों के कर्मचारियों को सराहनीय कार्य करने के लिए एक महीने के मूल वेतन के भुगतान की मंजूरी दे दी गयी है ;

(ख) इससे प्रत्येक विभाग के किस-किस श्रेणी के कर्मचारियो को लाभ होगा; और

(ग) क्या कोई न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की गई हैं

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) और (ख) सराहनीय काम करने के लिये आयकर और अन्य राजस्व विभागों के सभी कर्मचारियों को, जिनमें वित्त मंत्रालय के राजस्व पक्ष में काय करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं, एक महीने का मूल वेतन दिये जाने के आदेश दिये गये हैं।

(ग) आयकर विभाग में यह इनाम कर्मचारियों को मिलेगा जो 1–10–1975 से 31–12–75 तक को अवधि में ड्यूटी पर थे। यह अवधि मोटे तौर पर स्वेच्छया आय।धन प्रकटन योजना की अवधि के अनुरूप है । सोमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और नारकोटिक विभागों में यह इनाम उन कर्मचारियों को मिल सकेगा; जिन्होंने तस्करों को निरोध-नजरबंदी चालू की जाने की तारीख, 17 सितम्बर, 1974 से 31 जनवरी 1976 तक की अवधि के बीच कम से कम 10 महीने की अवधि के लिये वस्तुतः ड्यूटी अंजाम दी होगी। यह इनाम उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा जो मुअत्तिल थे अथवा जिनको सेवानिवृत्ति के नोटिस दिये जा चुके थे।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान

***99. श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की छठी किस्त का भुगतान कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) हाल के महीनों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में तेजी से गिरावट आयी है और नवीनतम उपलब्ध संकेतों के अनुसार

नवम्बर, 1975, दिसम्बर, 1975 और जनवरी, 1976 के मासिक सूचकांक ही नहीं बल्कि 12 महीने का औसत भी 320 के अंक से नीचे गिर गया है । मामले पर इस संदर्भ में विचार करना होगा। सरकार अंतिम निर्णय लेने से पहले कर्मचारियो के प्रतिनिधियों से परामर्श करेगी।

विश्व बैंक से ऋण

*100. श्री पी० गंगादेव : क्या वित्त मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु हाल ही में विश्व बैंक के साथ कोई बातचीत हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधो मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) विश्व बैंक ने भारत को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक कुल कितने ऋण दिये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) और ख). अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ 26 फ़रवरी, 1976 को, 20 करोड़ डालर के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस ऋण से, तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकृत सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में चुने हुए प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों के लिए कच्चे माल, संघटकों तथा फ़ालतू पुर्जों का आयात किया जाएगा।

ऋण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, बल्कि इस पर केवल एक प्रतिशत के 3/4 की वार्षिक दर से सेवा प्रभार लगेगा और यह ऋण 10 वर्ष की रियायती अवधि सहित 50 वर्षों में वापस चुकाना होगा ।

(ग) विश्व बैंक ग्रुप ने, चालू वर्ष में भारत को अब तक कुल 8170 लाख डालर के ग्यारह अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण और 1000 लाख डालर का एक विश्व बैंक ऋण दिया है ।

हथकरघा उद्योग के लिए एक पृथक विकास आयुक्त की नियुक्ति

*444. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा उद्योग के लिये एक पृथक विकास आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो आयुक्त के कृत्य क्या हैं; और

(ग) उसने बुनकरों को क्या संरक्षण दिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) हथकरघा विकास आयुक्त अनन्य रूप से हथकरघा क्षेत्र पर, विशेषत: उसे पुन: सशक्त बनाने तथा उसका विकास करने पर ही ध्यान देगा ताकि हथकरघा बुनकर को लाभ हो और वह बाजार में अधिक प्रभावी रूप से प्रतियोगिता कर सके ।

विकास की योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों तथा केन्द्र को, वित्तीय संस्थाओं के साथ मिल कर करना है । विकास आयुक्त अपेक्षित समन्वय सुनिश्चित करने के लिये केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगा ।

सरकारी उपक्रमों में भर्ती के लिए नियुक्ति समिति

445. **श्री राज राज सिंहदेव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी उपक्रमों में भर्ती के लिए एक केन्द्रीय नियुक्ति अभिकरण की स्थापना का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बात क्या हैं ; और

(ग) इसे कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप-वित्त मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क), (ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र की नई प्रबन्धकीय कार्मिक नीति के अन्तर्गत सरकार ने एक सरकारी उद्यम चयन मंडल बनाया है । इस चयन मंडल को बीमा और बैंकिंग के क्षेत्र के उद्यमों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार स्वामित्व में या प्रबन्धाधीन सरकारी क्षेत्र के जितने भी उद्यम हैं, उनमें अंशकालिक तथा पूर्णकालिक अध्यक्षों और प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति हेतु व्यक्तियों के चयन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है । सभी पूर्ण कालिक अधिशासी/कार्य निदेशकों के चयन के मामले में प्रशासनिक मंत्रालय चयन समितियां गठित करेगा, जिनमें सरकारी उद्यम चयन मंडल का भी एक प्रतिनिधि होगा । बोर्ड के स्तर से नीचे के सभी पदों पर नियुक्तियां करने की शक्तियां उद्यमों के बोर्डों को दे दी गई हैं । किन्तु तीसरे स्तर के पदों अर्थात् महाप्रबन्धकों के सिलेक्शन में सरकारी उद्यम चयन मण्डल के सचिव को भी चयन प्रक्रिया शामिल किया जाएगा । बोर्ड स्तर से नीचे के सभी पदों के लिए उद्यम जहां, आवश्यक समझें सरकारी उद्यम कार्यालय में सरकारी उद्यम चयन मंडल के सचिवालय में रखे गए डेटा बैंक से उपयुक्त नाम प्राप्त कर सकते हैं और अन्य आवेदन-कर्ताओं तथा उद्यम के अपनेउम्मीदवारो के साथ उन पर विचार किया जा सकता है ।

इस प्रकार विभिन्न सरकारी उद्यमों में बोर्ड स्तर के शीर्ष पदों के लिए पदधारियो का चयन करने हेतु एक केन्द्रीकृत भर्ती प्रणाली अपनाई गई है । बोर्ड स्तर से नीचे के पदों के लिए कोई ऐसी केन्द्रीकृत भर्ती प्रणाली नहीं है और उद्यमी को दी गई शक्तियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी कोई प्रणाली स्थापित करने का विचार भी नहीं है । किन्तु बोर्ड स्तर से नीचे के पदों के लिए सेलेक्शन के सम्बन्ध में उद्यमों के बोर्डों से यह अपेक्षा की गई है कि वे सरकारी उद्यम चयन मंडल द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मुख्य-मुख्य मार्ग निर्देशो को ध्यान में रखते हुए छानबीन (स्क्रीनिंग) और चयन (सेलेक्शन) के लिए आवश्यक प्रबन्ध करेंगे ।

हमीरपुर जिले में (हिमाचल प्रदेश) में तौनी देवी और जाहू में पंजाब नैशनल बैंक की शाखाओं का खोला जाना

446. **श्री नारायण चन्द्र पराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के लिए लीड बैंक, पंजाब नेशनल बैंक ने हमीरपुर जिले में (1) तौनी देवी और (2) जाहू में नयी शाखाएं खोलने की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया द्वारा अपेक्षित लासेन्इस कब तक जारी कर दिये जायेंगे और ये शाखायें कब तक खोल दी जायेंगी ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के **टौनी** देवी और जाहू में अपनी शाखाएं खोलने के लिए पंजाब नेशनल बैंक को अनुमति दी जा रही है। आशा है ये कार्यालय चालू वर्ष में खुल जायेंगी।

फ्लाइंग क्लबों को सहायता

447. **श्री विश्व नाथ झुंझुनवाला :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्य में कमी करने के लिये उद्देश्य से देश में 'फ्लाइंग क्लबों' को कोई राज सहायता देती है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में वर्षवार ऐसी कितनी सहायता दी गई हैं ;

(ग) क्या यह प्रशिक्षण रोजगाररोन्मुख नहीं है और इसके परिणामस्वरूप भारी खर्च के बावजूद प्रशिक्षित विमान चालक बेरोजगार रह जाते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन क्लबों के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करने का है और उन्हें अबकी अपेक्षा अधिक लाभदायक बनाने का है ;

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) अवधि	दिया गया अनुदान राजकीय सहायता
1-3-72 से 28-2-73 . .	22.05 लाख रुपये
1-3-73 से 28-2-74	16.93 लाख रुपये
1-3-74 से 28-2-75 . .	14.11 लाख रुपये

(ग) फ्लाइंग क्लबों में दिये जाने वाले प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य देश के युवा वर्ग में वैमानिकता के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना है। परन्तु, उनमें ऐसे व्यक्ति जो विमानन को ही अपने रोजगार के रूप में अपनाना चाहते हैं, वे वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस का प्रशिक्षण लेते हैं। इस समय लगभग 200 वाणिज्यिक विमान चालक लाइसेंसधारी बेरोजगार हैं। सरकार ने उन्हें रोजगार दिलाने मे सहायता के रूप में निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(1) नागर विमानन विभाग में सहायक विमानक्षेत्र अधिकारी के सीधे भर्ती नियमों में संशोधन कर दिया गया है और वाणिज्यिक विमान चालक लाइसेंस को एक स्वीकार्य अर्हता के रूप में शामिल कर लिया गया है।

(2) इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर-इंडिया को सलाह दी गई है कि वे जहां कहीं सम्भव हो बेरोजगार वाणिज्यिक विमान चालकों का उपयोग करें।

(3) राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि वे जहां कहीं सम्भव हो अपने अधीन नियुक्तियों के लिये वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंसधारियों पर विचार करें।

(घ) सरकार ने अपने दृष्टिकोण का पुनरीक्षण किया है। अब फ्लाइंग क्लबों में केवल निजी विमानचालक लाइसेंस स्तर तक के लिये ही उड़ान अनुदान दिया जाता है।

Circulation of Currency Notes

448. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(*a*) Whether circulation of currency notes had gone up from 132·56 crores to 6402 crores at the end of January. 1976 ;

(*b*) whether the number of currency notes has similarly increased from 96·24 crores to 6408·94 crores; and

(*c*) if so, whether this has had an adverse affect on the trade ?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam) (*a*) & (*b*). Notes in circulation declined by Rs. 47·29 crores over the week ended January 30, 1976. while they did show a rise of Rs. 132·56 crores in the week ended February 6, 1976, when outstanding notes in circulation stood at Rs. 6402·68 crores. Similarly total notes issued which declined by Rs. 49·05 crores during the last week lf January 1976, increased by Rs. 96·24 crores in the subsequent week and stood at Rs. 6408·94 crores as on February 6, 1976.

(*c*) Currency notes form only a part of money supply with the public. Week to week variations in the volume of currency notes in circulation. therefore, scarcely affect the price level or trade. It is only a sustained increase or decrease in total money sup'ply that affects price level trade etc. together with other factors, such as . the velocity of circulation of money, the availab-ability of goods and price expectations in general.

कलकत्ता से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें

*449. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विशेष रूप से कलकत्ता से पूर्व की ओर आने वाली अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ाने और नयी टर्मिनल इमारत तथा हवाई अड्डे का उपयोग करने के लिये कोई प्रयास किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) सरकार किन कारणों से कलकत्ता हवाई अड्डे से एयर इण्डिया के जम्बो जेट विमान उड़ाने में असमर्थ है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). जी हां। कलकत्ता से होकर जाने वाली उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है। जब भी विमान सेवाओं के विपक्षीय करारों के अन्तर्गत मार्ग अनुसूची पर वार्ता होती है। कलकत्ता को अवश्य ही एक प्वाइंट के रूप में आफर किया जाता है। इस समय एयर इंडिया तथा इंडियन एयर लाइन्स के अतिरिक्त बंगला देश विमान, ब्रिटिश एयरवेज, रायल नेपाल एयरलाइन्स कारपोरेशन, स्केण्डिनेवियन एयरलाइन्स सिस्टम, थाई एयरवेज और बर्मा एयरवेज, द्वारा कलकत्ता से होकर जाने वाली उड़ानों का परिचालन किया जा रहा है। अप्रैल, 1976 से एरोफ्लोट् को कलकत्ता से दोनों दिशाओं में जाने वाली सेवाओं का प्राधिकार प्रदान किया गया है।

पूर्व की ओर जाने वाली उड़ानें कलकत्ता से ढाका, रंगून, सिंगापुर, बैंकाक, हांगकांग, मनीला, टोकियो और ओसाका से सम्बन्धित हैं। एरोफ्लोट को मास्को से कलकत्ता और वहां से कुआलालम्पुरा सिंगापुर के लिये परिचालन अधिकार दिया गया है।

(ग) एयर-इंडिया का नवम्बर, 1976 से पश्चिम के लिये बोइंग-707 द्वारा कलकत्ता से प्रारम्भ होने वाली। समाप्त होने वाली सेवाओ के परिचालन का प्रस्ताव है। जहां तक कलकत्ता होती हुई बोइंग-747 विमान सेवाओं का प्रश्न है, पांचवें बोइंग747 विमान को भारत आस्ट्रेलिया मार्ग पर चलाने का प्रस्ताव है, अतः इस समय एयर-इंडिया के पास कलकत्ता के लिये परिचालन हेतु कोई बोइंग-747 अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध नहीं है। तथापि बम्बई में समाप्त होने वाली किसी वर्तमान बोइंग 747 सेवा के कलकत्ता तक के विस्तार के प्रश्न को एयर-इंडिया द्वारा उच्च प्राथमिकता दी जा रही है और इसके 1 अप्रैल, 1977 तक कार्यान्वित होने की आशा है।

सरकारी क्षेत्र में होटलों का निर्माण

*450. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में सरकारी क्षेत्र में कितने होटल कहां-कहां खोले जायेंगे ; और

(ख) प्रत्येक होटल पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) (क) और (ख). चालू वितीय वर्ष 1975-76 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम ने, जो कि एक सरकारी उद्यम है, 300 लाख और 160 लाख रूपये की अनुमानित लागत से क्रमशः कलकत्ता और कोवालम में दो नये होटल चालू किये हैं। एयर इंडिया के एक अधीनस्थ निगम, होटल कार्पोरेशन आफ इंडिया ने भी 690 लाख रूपये की अनुमानित लागत से बम्बई में एक होटल का निर्माण पूरा कर लिया है।

Export of Onions

451. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the **Minister of Commerce** be pleased to state ;

(*a*) the names of the countries to which onions are exported at present and the amount of foreign exchange earned thereby during the last year; and

(*b*) the salient features of the scheme if any formulated for increasing the production of onion in view of its foreign trade ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh)

(*a*) The major countries to which onion were exported during 1974-75 are Malaysia, Singapore, Dubai, Kuwait, Iran, Behrein Is, Quatar, Nepal and Mauritins. and the export realisations during the year amounted to Rs. 534·33 lakhs.

(*b*) No schemes have been formulated for incresing the production of onions by Central Government.

Hotel-cum-Cottage Complex in Madhya Pradesh

452. **Shri G. C. Dixit** Will the **Minister of Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(*a*) whether India Tourism Development Corporation has so far delayed the work regarding setting up of a hotel-cum-cottage complex in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh): (a) & (b) The India Tourism Development Corporation has approached the Government of Madhya Pradesh for allotment of a suitable site for construction of a motel at Bhopal. The matter is under correspondence with the State Government. Work on preparation of a feasibility study has been initiated.

Aircraft sold by Government

453. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the **Minister of Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of aircraft sold by Government during 1972-73, 1973-74 and 1974-75 which were considered unserviceable, the names of firms/parties to whom they were sold and also the cost and sale price thereof ; and

(b) whether the buyers of these aircrafts are utilising them for transporting eatables and and essential commodities to foreign countries and, if so, the names of those countries ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur): (a) The requisite information is given in the attached statement (Placed in Library, *see* No. LT/10424/76.

(b) According to information available, some of the aircraft sold are being utilised by private parties for transporting eatables and other commodities to Gulf destinations (Middle East).

निर्यात संबंधी आंकड़े

454. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में 31 दिसम्बर, 1975 तक कितने-कितने मूल्य की कौन कौन सी मुख्य मदों का निर्यात किया गया और इन आंकड़ों को गत दो वर्षों के इसी अवधि के निर्यात आंकड़ों से क्या तुलना है ; और

(ख) यदि इस वर्ष निर्यात में कमी हुई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) दिसम्बर, 1975 में समाप्त होने वाले चालू वित्तीय वर्ष से पहले नौ महीनों के दौरान भारत के समग्र निर्यात 2689.5 करोड़ रुपये के हुये हैं तो गत वर्ष की इसी अवधि में हुये 2346.4 करोड़ रुपये के निर्यातो से 14.5 प्रतिशत अधिक हैं। अप्रैल-दिसम्बर, 1975 अवधि के लिये वस्तुवार निर्यातों के ब्यौरे अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयर लाइंस द्वारा विमान की खरीद

455. **श्री समर गुह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के अमरीकी लोकपेड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन से कभी कोई विमान खरीदा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि उक्त कारपोरेशन ने विदेशों के खरीद करते समय अधिकारियों को गुप्त रूप से भुगतान किया है ;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में यह पता लगाने हेतु कोई जांच की है कि क्या कोई भारतीय अधिकारी ऐसे गुप्त सौदे में अन्तग्रस्त है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सरकार ने समाचारपत्रों में इस प्रकार की रिपोर्टें देखी हैं ।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुये प्रश्न नहीं उठते ।

Setting up of Rural Banks in Rajasthan

456. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state

(a) the names of the places in Rajasthan where branches of the rural banks will be opened; and

(b) whether any branch is proposed to be opened in Pali-Marwar (Rajasthan) and if so, the time by which it will be done ?

Minister of State in charge of Deptt. of Revenue and Banking (Shri Pranab Mukherjee): (a) & (b) So far one Regional Rural Bank has been established in Rajasthan which will operate within the area covered by the districts of Jaipur and Nagaur. This bank has so far opened 4 branches at Lawan (Jaipur), Balaji (Nagaur), Batika (Jaipur) and Mad (Jaipur) Further branches within its area of operation will be opened by the Bank for which survey is being conducted.

Further locations of Regional Rural Banks are under consideration of Government.

जनता फेब्रिक (कपड़ा)

457. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने जनता फैब्रिक नामक कपड़े की एक नई किस्म बाजार में लाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उसके समुचित वितरण के लिये क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय निर्धन तथा मध्यवर्ग के उपभोक्ताओं के लिये धोती, साड़ी, पापलीन कोरा लट्ठा, विरंजित लट्ठा, छींट, कम्बल तथा चादरें मिल से निकलते समय की कीमत पर अधिक से अधिक 20 प्रतिशत के मार्जिन से बेची जायेंगी । माल देखने में, फिनिश में तथा बनावट में कंट्रोल के कपड़े से बेहतर होगा और उपभोक्ता की आवश्यकता एवं रुचि के मुताबिक होगा । कीमत कपड़े के प्रत्येक मीटर पर नीले रंग में मुद्रांकित होगी ।

(ग) जनता कपड़ा राष्ट्रीय वस्त्र निगम की दुकानों से अथवा राष्ट्रीय वस्त्र निगम की वितरण प्रणाली से सम्बन्धित दुकानों में समस्त भारत में एक समान कीमतों पर बेचा जाएगा ।

केरल में पावरलूम कम्प्लैक्स

458. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने केरल में पावरलूम कम्प्लेक्स का हाल ही में शिलान्यास किया था ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं और इसके कब तक पूरा हो जाने की आशा है ;

(ग) क्या केन्द्र ने इस परियोजना के लिये कोई सहायता प्रदान की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

तमिलनाडु के पदुकोट्टई जिले में स्थित कावेरी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड का बन्द होना

459. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित कावेरी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड कुप्रबन्ध के कारण बन्द हो गई है ;

(ख) क्या आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की राज्य शाखा ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा इसे अपने नियंत्रण में लिये जाने की मांग की है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने जुलाई, 1975 में ही इस सरकारी नियंत्रण में लिये जाने की सिफारिश की थी ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ). कावेरी स्पिनिंग तथा वीविंग मिल 1–12–1975 से बन्द पड़ी है । इससे पूर्व भी इसके कार्य में रुकावट आ गई थी । तमिलनाडु सरकार से तथा साथ ही आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से भी पत्र प्राप्त हुये हैं जिनमें इस बात पर जोर दिया गया है कि सरकार मिल को अपने हाथ में ले ले । केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार कर रही है तथा नवीनतम स्थिति यह बताई जाती है कि मिल को पुनः चालू करने की एक योजना तैयार की जा रही है ।

Loans given by Nationalised Banks to Small and Cottage industries in Districts of Tikamgarh and Chhatarpur (Madhya Pradesh)

460. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of persons given loans for small and cottage industries by the natilonaised banks in Tikamgarh and Chhatarpur (Madhya Pradesh) districts during the period from Ist January, 1975 to 15th February, 1976 ; and

(b) the number of those persons who have repaid their previous loans but have not again been given loans as also the reasons therefor ?

Minister of State in charge of Deptt. of Revenue and Banking (Shri Pranab Mukherjee): (a) The present statistical reporting system of the commercial banks provides, for collection of data on a six-monthly basis as at the end of June and December every year. Due to the larger number of branches from which the data is being collected by the Reserve Bank of India and also the volume involved, there is an inevitable time lag in the reporting and processing of such data. The latest available districtwise information, therefore, relates to end-December 1974. As on that date the public sector banks' outstanding credit to small scale industries amounted to Rs. 1·02 lakhs involving 8 accounts in District Tikamgarh and Rs. 5·8 lakhs involving 30 accounts in District Chattarpur.

(b) The statistical reporting system does not provide for compilation of this information. However, whenever any such cases are brought to the notice of the Government or the Reserve Bank of India, these are investigated.

मनीला में "77 देशों के ग्रुप" का सम्मेलन

461. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीला में आयोजित "77 देशों के ग्रुप" के सम्मेलन में क्या निर्णय लिए गये तथा सुझाव पेश किये गये ; और

(ख) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) "77 देशों के ग्रुप" की तृतीय मंत्रिस्तरीय बैठक में, जो 26 जनवरी, से लेकर 7 फ़रवरी 1976 तक मनीला में हुई थी एक घोषणा पत्र और कार्यवाही प्रोग्राम स्वीकार किया गया । सम्मेलन में उन अनेक प्रश्नों पर विचार किया गया जिन पर मई, 1976 में नैरोबी में होने वाले अंकटाड-4 में विचार किया जाना है और उसमें उनके बारे में सामान्य दृष्टिकोण निश्चित किये गये । ये प्रश्न इनके बारे में थे : (1) वस्तुएं, (2) विनिर्मित चीजें, तथा अर्ध-निर्मित चीजें, (3) बहुपक्षीय व्यापार वार्ताएं, (4) मुद्रा तथा वित्त और विकास के लिये वास्तविक संसाधनों का अन्तरण, (5) प्रौद्योगिकी का अन्तरण, (6) विकासशील देशों में अल्पतम विकसित देश, विकासशील द्वीप देश एवं विकासशील भूवेष्टित देश, (7) विकासशील देशों में आर्थिक सहयोग तथा (8) विभिन्न आर्थिक व सामाजिक प्रणालियों वाले देशों के बीच व्यापार सम्बन्ध ।

सम्मेलन में सभी प्रश्नों पर सविस्तार विचार किया गया और अन्य बातों के साथ साथ इन के सम्बन्ध में सहमति व्यक्त की गई : वस्तुओं के एकीकृत कार्यक्रम का समर्थन करना, विनिर्मित वस्तुओं और अर्ध-विनिर्मित वस्तुओं के मामले में विकासशील देशों के व्यापार का विस्तार करने और उसका विविधीकरण करने के लिये व्यापक नीति पर जोर देना जिससे वे विकसित देशों के बाजारों में अधिक अबाध रूप में केवल प्रवेश ही प्राप्त न कर सकें बल्कि अपनी निर्यात क्षमता बढ़ाने के उपाय भी कर सकें, गाट बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं में विकासशील देशों के लिये भिन्नक उपाय अपनाने और 1 जनवरी, 1977 तक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में तय की गई स्वीकृत रियायतों को अमल में लाने की बात को दोहराना ; विकासशील देशों को वित्तीय संसाधनों के प्रवाह में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों प्रकार के सुधार करना ; और उनकी गम्भीर ऋण समस्याओं को दूर करने के लिये तुरन्त कार्यवाही करना ; विकासशील देशों की प्रौद्योगिकीय क्षमता को और मजबूत बनाने के लिये कार्यवाही करने का आग्रह करना ; प्रौद्योगिकी के अन्तरण और वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट प्रणाली में संशोधन के लिये शीघ्र ही अन्तर्राष्ट्रीय आचरण संहिता

स्वीकार करना। सम्मेलन में अल्पतम विकसित और भूवेष्टित विकासशील देशों की समस्याओं के सम्बन्ध में विशेष उपाय करने की आवश्यकता की पुनः पुष्टि की और कार्यवाही वाले क्षेत्रों को अभिज्ञात किया। सम्मेलन में विकासशील देशों के बीच और अधिक आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग बढ़ाने के उपायों और पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों एवं विकासशील देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धों का विस्तार करने, विविधीकरण करने और उन्हें मजबूत बनाने की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया गया।

भारत सरकार ने सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया है और जो निष्कर्ष निकाले गये उनमें अपना सहयोग दिया है।

भरतपुर में शुष्क पत्तन

462. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने भरतपुर में एक शुष्क पत्तन की स्थापना के लिये केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एक विशेषज्ञ पैनल उत्तरी क्षेत्र के लिये एक शुष्क पत्तन के सम्भावित स्थान की व्यावहार्यता के प्रश्न का अध्ययन कर रहा है।

क्रोमाइट अयस्क का निर्यात

463. **श्री कुमार माझी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) क्रोमाइट अयस्क के निर्यात से गत वर्ष कितनी राशि की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(ख) क्रोमाइट अयस्क का निर्यात किन एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1974–75 में 9.25 करोड़ रु०।

(ख) 6 अगस्त, 1976 से पहले क्रोम अयस्क के अनुमेय ग्रेडों के निर्यातों को मुक्त रूप से लाइसेंस दिये जाते थे। 6 अगस्त, 1975 से क्रोम अयस्क के निर्यात पर रोक लगा दी गई। फिर भी, अलग अलग निर्यातकों को रोक लगाने से पहले की उन वचन बद्धताओं के आधार पर निर्यातों की अनुमति दी गई थी जिनके साथ अप्रत्यावर्तनीय साख पत्र लगे हुए थे और जिन्हें उस तारीख से पहले भारतीय बैंकों द्वारा स्वीकार किया जा चुका है।

अगरतला हवाई अड्डा

464. **श्री दशरथ देव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला हवाई अड्डे की उड़ान पट्टी बोइंग विमानों के उतरने लायक बना दी गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा कब तक होगा और वहां से बोइंग सेवा कब तक चालू होगी ; और

(ग) इस पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) अगरतला विमानक्षेत्र को बोइंग-737 विमानों के परिचालन योग्य बनाने के लिये लगभग 160 लाख रुपये की अनुमानित लागत का एक विकास प्रस्ताव विचाराधीन है । इस परियोजना को नागर विमानन विभाग की 1976–77 की वार्षिक योजना में सम्मिलित किया गया है । बोइंग 737 सेवा के प्रारम्भ होने में परियोजना के अनुमोदन की तारीख से लगभग तीन वर्ष का समय लगेगा ।

सूती धागे का जमा हो जाना

465. **श्री रानेन सेन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती धागे के स्टाक गोदामों में जमा हो रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जनवरी, 1976 के अन्त में मिलों के पास 115200 सूत की गांठें जमा पड़ी थी जिनमें से 84200 गांठे ऐसी हैं जो बिकी नहीं है और 31000 गांठे एसी हैं जिन्हें उठाया नहीं गया है। उपरोक्त आंकड़े लगभग पांच सप्ताह के उत्पादन के बराबर ठहरते हैं जो इतने असामान्य नहीं समझे जाते जिनसे चिन्ता पैदा हो ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

ट्रैवल एजेंट

466. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली और बम्बई में ट्रेवल एजेन्टों द्वारा की जा रही कथित धोखा-धड़ी से अवगत है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक पकड़े गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग को हाल के महीनों में भारतीय यात्रा अभिकर्ताओं द्वारा खोखा धड़ी करने की कोई रिपोर्ट या शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

आय-कर विभाग के छापों से धन तथा परिसंपत्तियाँ जब्त किया जाना

467. **श्री दिनेश जोरदार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयकर अधि-

कारियों ने जनवरी, 1975 से जनवरी, 1976 के दौरान देश भर में मारे गए छापों में कुल कितना धन तथा कितने मूल्य की परिसंपित्तियों को जब्त किया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : आयकर अधिकारियों ने जनवरी, 1975 से जनवरी, 1976 तक की अवधि में (जिसमें दोनों महीने शामिल हैं), देश भर में जो तलाशियां लेने और अभिग्रहण करने की कार्यवाहियां की उनमें 400 लाख रु० से कुछ अधिक नकद रकमें और 1893 लाख रु० से कुछ अधिक मूल्य की अन्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गयीं ।

डाकुओं तथा बैंगन तोड़ने वालों का आय-कर की परिधि में आना

468. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता के आय-कर आयुक्त, श्री के० श्रीनिवासन द्वारा दिये गये दिनांक 6 फ़रवरी, 1976 के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि डाकू और वैगन तोड़ने वाले भी आय-कर की परिधि में आते हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उनसे अब तक कुल कितनी धन-राशि वसूल की गई है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) कर निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष में किसी भी समय किये गये किसी कारोबार अथवा व्यवसाय के लाभ और प्राप्तियों पर, आयकर अधिनियम 1961 की व्यवस्थाओं के अनुसार, आयकर लगना होता है । अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि केवल कानूनी अथवा नैतिक जरियों से प्राप्त आय पर ही कर लगेगा । फ़िर भी, विभाग को ऐसी कोई सूचना नहीं है कि आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल के अधिकार क्षेत्र में विद्यमान कर निर्धारितियों को इस प्रकार के गैर-कानूनी जरियों से कोई आय हुई हो, अथवा कोई धन उदभूत हुआ हो ।

विदेशों में संयुक्त उपक्रम

469. **श्री सुरेन्द्र महन्ती** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विदेशों के लिये स्वीकृत 223 संयुक्त उपक्रम परियोजनाओं में से भारतीय उद्योगपतियों ने 100 को त्याग दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रवृत्ति को रोकने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) परियोजनाओं को कार्यान्वित न करने या उनका परित्याग करने के जो मुख्य कारण सम्बन्धित भारतीय उद्योगपतियों ने बताये हैं, ये हैं : उपयुक्त स्थानीय सहयोगकर्ताओं के पाने में कठिनाइयां / स्थानीय सहयोगकर्ताओं का मुकर जाना, और अतिथि देशों में आर्थिक तथा

अन्य स्थितियों में ऐसे परिवर्तन जिनसे कि उत्पादन तथा बिक्री संभावनाओं पर प्रभाव पड़ सकता है।

विगत में, भारतीय उद्योगपतियों ने वित्त जुटाने, प्रबन्ध तथा माल बेचने का समस्याओं को ठीक प्रकार नहीं समझा और उन समस्याओं को कम मान कर अनुमान लगाया। समुचित निवेश सर्वेक्षण किये बिना ही परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की कोशिश की गई।

(ग) अनुमोदिन देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बना दिया गया है और अब प्रस्तावित परियोजनाओं की तकनीकी तथा वित्तीय क्षमता पर विस्तृत विचार करके ही अनुमोदन प्रदान किये जाते हैं जिससे सफल परिणाम निकले हैं।

चाय के लिए पैकेजों की कम लागत वाली सामग्री

470. **मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय व्यापारी चाय के पैकेजों की कम लागत वाली सामग्री की खोज कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे पैकेजों के प्रयोग से चाय उद्योग को कितनी सहायता मिलेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : : (क) जी हां।

(ख) बढ़िया क्वालिटी की प्लाईवुड की चाय-पेटियों की कीमत में लगातार बढ़ोतरी के प्रश्न के अलावा, कई विदेशी खरीदार ऐसी पेटियों में चाय प्राप्त करना पसन्द करेंगे जो आसानी से बिक सकें।

(ग) कम कीमत की पेटियां मिलने से चाय उद्योग के लिये चाय के बल्क पैकिंग की लागत में कमी हो सकेगी।

कृत्रिम रेशा के निर्यात पर लगा प्रतिबन्ध हटाना

471. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम् :**
श्री मौलाना सहाक सम्भली :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लगभग 2000 टन रेशा सूत के निर्यात के सम्बन्ध में पूछताछ की गई है;

(ख) क्या इसको देखते हुए सरकार का कृत्रिम रेशा के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) जी नहीं। सरकार की नीति यह है कि कपड़ों, बनी बनाई चीजों तथा परिधानों जैसे तैयार उत्पादों के निर्यात को अनुमति दी जाए न कि रेशा अथवा धागे के निर्यात को घरेलू बाजार में विस्कोस स्टेपल रेशा की मांग में सुधार आ गया है और विस्कोस स्टेपल रेशा के निर्यात के बारे में तदर्थ आधार पर भी विचार करने के लिए कोई विशेष परिस्थितियां नहीं हैं।

Increase in the price of staple yarn

472. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the **Minister of Commerce** be pleased to state :

(a) whether price of staple yarn has gone up by more than 60 per cent during the last few months ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether the 'Bihar Rajya Karagha Bunker Ekata Samiti' has submitted a memorandum to him in this regard ; and

(d) if so, the action Government have taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) There has been some rise in the price of staple yarn during the last few months, but not to the extent of 60%.

(b) Revival of market demand and the withdrawal of the rebate that was being given by the staple fibre manufacturers have been contributory factors.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

सिले-सिलाए हथकरघा वस्त्रों की मांग

473. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में सिले-सिलाए हथकरघा वस्त्रों की मांग में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन वस्त्रों के निर्यातकों को क्या प्रोत्साहन दिये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) आयात प्रतिपूर्ति, जिसकी व्यवस्था आयात व्यापार नियन्त्रण नीति (खण्ड--ii) में है, तथा शुल्क की वापसी के अतिरिक्त हथकरघा परिधानों के निर्यात भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ की प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत विशिष्ट दरों पर सहायता के पात्र हैं।

राज्य सरकारों के बकाया ऋण

474. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों के ऋणों की बकाया राशि कितनी है;

(ख) क्या मार्च, 1975 के अन्त में बकाया ऋणों की राशि पर इसमें 8.1 प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) राज्यों के 1975-76 के बजटों के अनुसार 31-3-1976 तक राज्यों के नाम 13746 करोड़ रुपए के बकाया कर्ज का अनुमान है।

(ख) ऊपर (क) में दिए गए अनुमानों के आंकड़े राज्य सरकारों के बजटों में लगाए गए अनुमानों के हैं। वास्तविक आंकड़े चालू वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर ही उपलब्ध होंगे।

(ग) राज्यों के कर्ज में वृद्धि इसलिए हुई है कि वे पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष विकास कार्यों पर अधिक राशि खर्च कर रहे हैं।

भारत तथा समाजवादी देशों के बीच संयुक्त उपक्रम

475. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पूर्वी योरुप के समाजवादी देशों के साथ सन्तोषजनक शर्तों पर व्यापार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के लिये तैयार किये गए अध्ययन में भारत द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं के निर्यात के विस्तार पर बल दिया गया है;

(ग) क्या अध्ययन में तीसरे देशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के बारे में भारत और समाजवादी देशों के बीच सहयोग पर भी बल दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अध्ययन में, अन्य क्षेत्रों के अलावा, यह सुझाव दिया गया है कि "इंजीनियरी क्षेत्र से उपभोक्ता उत्पादों" के निर्यातों के विस्तार पर विचार करना आवश्यक है।

(ग) जी, हां।

(घ) अध्ययन में बताए गए विचारों और टिप्पणियों पर सरकार पहले से ही ध्यान दे रही है

व्यापार और विकास के बारे में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

476. **श्री एम० राम० गोपाल रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के लिये अहमदाबाद में सरदार पटेल 'इंस्टिट्यूट आफ इकनामिक्स एण्ड सोश्यिल रिसर्च' के श्री योगेन्द्र के० अलग द्वारा किये गये अध्ययन के बारे में 10 फरवरी, 1976 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह) : (क) तथा (ख) सरकार ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन (अंकटाड सचिवालय के लिए श्री योगिन्दर सिंह के० अलग द्वारा, जो पहले अहमदाबाद की सरदार पटेल इंस्टीट्यूट आफ इकनामिक्स एण्ड सोशल रिसर्च से सम्बद्ध थे, तैयार किए गए अध्ययन को देखा और उसके निष्कर्षों एवं टिप्पणियों को दिलचस्पी से नोट किया। अध्ययन में की गई बहुत सी टिप्पणियां जैसे पूर्वी यूरोपीय देशों की इंजीनियरी माल के निर्यात तथा तीसरे देशों में संयुक्त उपक्रमों के विस्तार की जांच करने के सुझाव पर सरकार पहले से ही ध्यान दे रही है।

काफी का निर्यात

477. **श्री धामनकर** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में काफी बागानों की संख्या क्या है और काफी को काश्त की बढ़ाने का क्या योजनाएं हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में काफी के उत्पादन की तुलना में भारत से कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की काफी का निर्यात हुआ है; और

(ग) कौन कौन से देश काफी के प्रमुख क्रेता हैं और क्या किसी देश के साथ काफी की सप्लाई के बारे में हाल ही में किसी सन्धि पर हस्ताक्षर किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : : (क) देश में काफी की जोतो की संख्या 80,587 है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा आसाम की, जो अपरम्परागत क्षेत्र हैं, राज्य सरकारो से प्राप्त योजनाओं को आधार बना कर काफी बोर्ड ने इन राज्यों में काफी की खेती के विस्तार के लिए प्रायोगिक परियोजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत 18,550 एकड़ का अतिरिक्त क्षेत्र आता है। इसके अतिरिक्त परम्परागत काफी उत्पादक राज्यों में भी लगभग 80,00 एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र उपलब्ध हो सकता है। इस परियोजना के व्यावहारिक पहलुओं को अभी योजना आयोग काफी बोर्ड तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) वर्ष	निर्यात		उत्पादन
	मात्रा मे० टन में	मूल्य करोड़ रु० में	मे० टन
1972–73	50,856	32.93	62,554
1973–74	52,688	46.01	90,630
1974–75 . .	49,467	51.36	85,954

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, पश्चिम तथा पूर्व यूरोपीय देश, आस्ट्रेलिया आदि। 1976 में सुपुर्दगी के लिए काफी बोर्ड ने सोवियत संघ के साथ 12,500 मे० टन कच्ची काफी तथा 300 मे० टन इंस्टेंट काफी के निर्यात की संविदाएं की हैं।

Non-Nationalised Banks in the Country

478. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the **Minister of Finance** be pleased to state:

(a) the names of the banks in the country which have not been nationalised; and

(b) the basic difference between the working and the banking system of the nationalised and non-nationalised banks ?

Minister of State in charge of Deptt. of Revenue and Banking (Shri Pranab Mukherjee): (*a*). The names of commercial banks which are in the private sector, are given in the statement attached.

(b) All commercial banks, including public sector banks transact business of 'banking' and also engage in any one or more forms of business. in accordance with the provisions of the Banking Regulation Act. 1949. However, public sector banks are discharging a special resposnibility in terms of the objectives of bank nationalisation, to meet progressively and serve better the needs of the development of the economy in conformity with the national policy and objectives. In pursuance of these objectives, public sector banks have been devoting their attention and efforts towards strengthening their branch network in underbanked/under-developed regions of the country, including rural areas, so as to activate the latent growth potential in these regions. They are also sponsoring the setting up of Regional Rural Banks. Continual attention is also being paid by them towards progressively increasing the flow of productive

credit to small borrowers in critical sectors such as Agriculture, Small-Scale Industry, Transport, Small Business and Professional and Self Employment ventures which had been neglected by the banks in the past. Promotion of entrepreneural talent, particularly in backward areas, is sought to be fostered through provision of credit by providing consultancy services and through participation in the implementation of employment promotion programmes. Public sector banks are also implementing a scheme of Differential interest Rate, to provide credit to the small ventures of the weaker sections of the society at concessional rate of 4 per cent.

In other spheres also like association of workers with management, recruitment of candidates belonging to scheduled castes and scheduled tribes, increasing use of Hindi and other regional languages in their documents and correspondence, public sector banks are guided by national policies.

Statement

COMMERCIAL BANK IN THE PRIVATE SECTOR

I. Indian Scheduled Commercial Banks—

1. Andhra Bank Ltd.
2. Bank of Karad Ltd.
3. Bank of Madura Ltd.
4. Bank of Rajasthan Ltd.
5. Bareilly Corporation Bank Ltd.
6. Benares State Bank Ltd.
7. Bhartat Over Seas Bank Ltd.
8. Catholic Syrian Bank Ltd.
9. Gorporation Bank Ltd.
10. Federal Bank Ltd.
11. Hindustan Commercial Bank Ltd.
12. Jammu and Kashmir Bank Ltd.
13. Karnataka Bank Ltd.
14. Karur Vysya Bank Ltd.
15. Kumbakonam City Union Bank Ltd.
16. Lakshmi Commercial Bank Ltd.
17. Lakshmi Vilas Bank Ltd.
18. Lord Krishna Bank Ltd.
19. Miraj State Bank Ltd.
20. Narang Bank of India Ltd.
21. Nedungadi Bank Ltd.
22. New Bank of India Ltd.
23. Oreintal Bank of Commerce Ltd.
24. Punjab and Sind Bank Ltd.
25. Punjab Co-operative Bank Ltd.
26. Purbanchal Bank Ltd.

27. Ratnakar Bank Ltd.
28. Sangli Bank Ltd.
29. South India Bank Ltd.
30. South Indian Bank Ltd.
31. Tamilnad Mercantile Bank Ltd.
32. Tanjore Permanent Bank Ltd.
33. Traders Bank Ltd.
34. United Industrial Bank Ltd.
35. United Western Bank Lt.
36. Vijaya Bank Ltd.
37. Vysya Bank Ltd.

II. Foreign Scheduled Commercial Banks.

1. Algemene Bank Nederland N. V.
2. American Express International Banking Corporation.
3. Bank of America National Trust and Savings Association.
4. Bank of Tokyo Ltd.
5. British Bank of the Middle East.
6. Banque Nationale de Paris.
7. The Chartered Bank.
8. First National City Bank.
9. Grindlays Bank Ltd.
10. Habib Bank Ltd.
11. Mercantile Bank Ltd.
12. Mitsui Bank Ltd.
13. National Bank of Pakistan.
14. Sonali Bank Ltd.

III. Indian Non-Scheduled Commercial Banks.

1. Bank of Cochin Ltd.
2. Bari Doab Bank Ltd.
3. Dhanalakshmi Bank Ltd.
4. Ganesh Bank of Kurundwad Ltd.
5. Jharia Industrial Bank Pvt. Ltd.

6. Kashi Nath Seth Bank Pvt. Ltd.

7. Naini Tal Bank Ltd.

8. Parur Central Bank Ltd.

आसाम में हवाई अड्डे

479. **श्री विश्वनारायण शास्त्री:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में हवाई अडडों पर यात्रियों को सुविधाएं देने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या जोरहाट और तेजपुर में असैनिक हवाई अडडे बनाने का विचार है; और

(ग) क्या लगाये गये मोहनवाड़ी हवाई अड्डे की इंडियन एयर लाइन्स द्वारा उपयोग करने के लिये मरम्मत करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) गौहाटी, सिल्चर, मोहनबाड़ी, नार्थ लखीमपुर और रूपसी के सिविल विमान क्षेत्रों पर यात्रियों के लिये आवश्यक प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हैं;

(ख) नागर विमानन विभाग द्वारा जोरहाट एवं तेजपुर स्थित सिविल एन्क्लेवों के विकास का प्रस्ताव है ताकि वहां यथष्ठ यात्री प्रबंध सुविधायें उपलब्ध करायी जा सकें।

(ग) मोहनबाड़ी विमान क्षेत्र का परित्याग नहीं किया गया है। वस्तुत: वहां के धावनपथ (रनवे) की अपर्याप्त मज़बूती के कारण इंडियन एयर लाइन्स फिलहाल बोइंग 737 तथा अन्य सेवायें छबूआ के सनिक विमान क्षेत्र पर परिचालित कर रही हैं। संसाधनों की स्थिति में सुधार होते ही मोहनबाड़ी विमान क्षेत्र को बोइंग परिचालनों के लिये उपयुक्त बनाने के लिये उसके विकास के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। विकास कार्यक्रम के प्रथम चरण के रूप में 1976–77 के दौरान एफ० 27 तथा एच० एस० 748 विमान सेवाओं के लिये उपयुक्त बनाने के लिये धावनपथ के पर्श के नवीकरण का प्रस्ताव है।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतन से बोनस की वसूली

480. **श्री सरोज मुखर्जी:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के अधिकारियों ने वहां के कर्मचारियों को प्राप्त हुए अतिरिक्त बोनस की राशि नये अधिनियम के अनुसार उनके वेतन से काट लिए जाने के आदेश दिये हैं; और

(ख) क्या इस आदेश से लोक सभा में उनके द्वारा दिये गये इस आश्वासन का उल्लंघन होता है कि नये अधिनियम का प्रभाव जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा और उन्हें अधिकारियों के साथ हुए उनके पहले करार के अनुसार बोनस मिलता रहेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

Complaints Regarding advancing of Loans by Nationalised Banks in Rural Areas

†481. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government have received complaints to the effect that the natiionaltised banks do not advance loans to persons engaged in small and cottage industries in rural areas;

(b) whether Government have also received complaints to the effect that Harijans who have even repaid the loans advanced by banks are not being given loans; and

(c) if so, the action taken by Government against those bank officers?

The Minister of State in Charge of Deptt. of Revenue and Banking (Shri Pranab Mukherjee) (a), (b) & (c). Provision of credit assistance to all viable productive endeavours of small borrowers, particularly of those engaged in agriculture and small and cottage industries in the rural areas, is part of the accepted policy and progammes being implemented by public sector banks. Occasionally, however, complaints regarding operations of specific branches, particularly in regard to the delay or refusal for grant of credit, are received by Government and/or Reserve Bank and these are pursued with the concerned banks for corrective action, wherever necessary.

राष्ट्रीय बैंकों में अधिकारियों को समयपूर्व सेवा निवृत्त किया जाना

482. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के कितने अधिकारियों को आपातकालीन स्थिति की घोषणा के पश्चात् समय पूर्व, सेवानिवृत्त किया गया है?

राजस्व और बैंकिंग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : सरकारी क्षेत्र के बैंकों से इकट्ठी की गई सूचना के अनुसार आपातस्थिति लागू किये जाने के बाद 9 अधिकारियों को कार्यकुशलता में कमी के कारण समयपूर्व सेवानिवृत्त कर दिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रबन्धकों की भर्ती

483. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के प्रबन्धकों की भर्ती के मामलों में कोई एकरूपता नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). सरकार ने कुछ समय पूर्व सरकारी उद्यमो में कार्मिकों की भर्ती सम्बन्धी व्यवस्था की समीक्षा की थी। अगस्त, 1974 में सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के लिए एक नई प्रबन्धकीय नीति की घोषणा की गई जिसके अनुसार सरकारी उद्यमों के अधिकांश प्रबन्धकीय पदों के सम्बन्ध में नियुक्ति, प्रशिक्षण और पदोन्नति की सारी जिम्मेदारी सरकारी उद्यमों को सौंपने का निर्णय किया गया था। किन्तु निदेशक मण्डलों के पूर्णकालिक/अंशकालिक अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति का परमाधिकार सरकार ने अपने पास रख लिया था। सरकार ने एक सरकारी उद्यम चयन मंडल भी बनाया है। इस चयन मंडल को बीमा और बैंकिंग क्षेत्र के उद्योगों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या प्रबन्धाधीन सरकारी क्षेत्र के जितने भी उद्यम हैं उनमें अंशकालिक तथा पूर्णकालिक अध्यक्षों और प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति हेतु व्यक्तियों के चयन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी पूर्णकालिक अधिशासी/कार्यनिदेशकों के चयन के मामले में प्रशासनिक मंत्रालय चयन समितियां गठित करेगा जिनमें सरकारी

उद्यम चयन मंडल का भी एक प्रतिनिधि होगा। बोर्ड के स्तर से नीचे के सभी पदों पर नियुक्तियां करने की शक्तियां उद्यमो के बोर्डों को दे दी गई हैं। किन्तु तीसरे स्तर के पदों अर्थात् महाप्रबन्धकों के सेलेक्शन में सरकारी उद्यम चयन मंडल के सचिव को भी चयन प्रक्रिया में शामिल किया जायगा। बोर्ड स्तर से नीचे के सभी पदों के लिए उद्यम जहां आवश्यक समझें सरकारी उद्यम कार्यालय में सरकारी उद्यम चयन मंडल के सचिवालय में रखे गये डेटा बैंक से उपयुक्त नाम प्राप्त कर सकते हैं और अन्य आवेदनकर्ताओं तथा उद्यम के अपने उम्मीदवारों के साथ उन पर भी विचार किया जा सकता है।

इस प्रकार विभिन्न सरकारी उद्यमों में बोर्ड स्तर के शीर्ष पदों और तृतीय स्तर के पदों अर्थात् महाप्रबन्धकों के पदों को भरने के लिए एक जैसी भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई है। अन्य पदों अर्थात् बोर्ड स्तर से नीचे के पदों के लिए कोई एक समान भर्ती प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है और ऐसी कोई प्रक्रिया चालू करने का प्रस्ताव भी नहीं है क्योंकि इन पदों को भरने का अधिकार सरकारी उद्यमों को सौंप दिया गया है। किन्तु बोर्ड स्तर से नीचे के पदों के लिए सेलेक्शन के सम्बन्ध में उद्यमों के बोर्डों से यह अपेक्षा की गई है कि वे सरकारी उद्यम चयन मंडल द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मुख्य-मुख्य मार्ग-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए छानबीन (स्क्रीनिंग) और चयन (सेलेक्शन) के लिए आवश्यक प्रबन्ध करेंगे।

सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा प्रायोजित प्रत्याशी

484. **श्री राज राज सिंह देव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के प्रबंधक कुछ मामलों में सरकारी उपक्रम ब्यूरो द्वारा प्रायोजित प्रत्याशियों को स्वीकार करने से इंकार कर देते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र की नई प्रबन्धकीय कार्मिक नीति के अन्तर्गत सरकार ने एक सरकारी उद्यम चयन मंडल बनाया है। इस चयन मंडल को सीमा और बैंकिंग क्षेत्र के उद्यमों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या प्रबन्धाधीन सरकारी क्षेत्र के जितने भी उद्यम हैं, उनमें अंशकालिक तथा पूर्णकालिक अध्यक्षों और प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति हेतु व्यक्तियों के चयन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी पूर्णकालिक अधिशासी/कार्य निदेशकों के चयन के मामले में प्रशासनिक मंत्रालय चयन समितियां गठित करेगा, जिनमें सरकारी उद्यम चयन मंडल का भी एक प्रतिनिधि होगा। बोर्ड के स्तर से नीचे के सभी पदों पर नियुक्तियां करने की शक्तियां उद्यमों के बोर्डों को दे दी गई हैं। किन्तु तीसरे स्तर के पदों अर्थात् महाप्रबन्धकों के सेलेक्शन में सरकारी उद्यम चयन मंडल के सचिव को भी चयन प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा। बोर्ड स्तर से नीचे के सभी पदों के लिए उद्यम जहां, आवश्यक समझें सरकारी उद्यम कार्यालय में सरकारी उद्यम चयन मंडल के सचिवालय में रखे गये डेटा बैंक से उपयुक्त नाम प्राप्त कर सकते हैं और अन्य आवेदन-कर्त्ताओं तथा उद्यम के अपने उम्मीदवारो के साथ उन पर विचार किया जा सकता है। इस प्रकार विभिन्न सरकारी उद्यमों में बोर्ड स्तर के शीर्ष पदो के लिए पदधारियों का चयन करने हेतु एक केन्द्रीकृत भर्ती प्रणाली अपनाई गई है। बोर्ड स्तर

से नीचे के पदों के लिए कोई ऐसी केन्द्रीकृत भर्ती प्रणाली नहीं है और उद्यमों को दी गई शक्तियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी कोई प्रणाली चालू करने का विचार भी नहीं है। किन्तु बोर्ड स्तर से नीचे के पदों के लिए सेलेक्शन के सम्बन्ध में उद्यमों के बोर्डों से यह अपेक्षा की गई है कि वे सरकारी उद्यम चयन मंडल द्वारा निर्धारित किये जाने वाले मुख्य-मुख्य मार्ग निर्देशों को ध्यान में रखते हुए छानबीन (स्क्रीनिंग) और चयन (सेलेक्शन) के लिए आवश्यक प्रबन्ध करेंगे।

शीर्ष पदों अर्थात् बोर्ड स्तर के पदों के मामले में चूंकि सरकार ही नियोक्ता प्राधिकारी है, इसलिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धकों द्वारा किसी उम्मीदवार को स्वीकार किए जाने या न किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अन्य सभी पदों के मामले में नियुक्तियां करने की पूरी शक्ति सम्बन्धित प्रबन्धक-वर्ग को प्राप्त है, किन्तु वे सेलेक्शनों की अन्तिम रूप देने से पहले डेटा बैंक से प्रस्तावित उम्मीदवारों पर भी निश्चय रूप से विचार करते हैं, क्योंकि इस सम्बन्ध में वर्तमान अनुदेशों के अन्तर्गत ऐसा करना अनिवार्य है।

डाक तथा तार विभाग में स्टेनोग्राफरों के वेतनमान

485. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक तथा तार विभाग में स्टेनोग्राफरों के वेतनमानों के बारे में तृतीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; जो खण्ड 1, अध्याय 10 के पृष्ठ 48 से 58 तक दी गई है; जिनमें (एक) 330--560 रुपए (दो) 425--700 रुपए और (तीन) 550--750 रुपए का प्रस्ताव किया गया था;

(ख) क्या डाक तथा तार विभाग के स्टेनोग्राफरों को अब तक ये वेतनमान नहीं दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमानों को कब तक लागू किया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क), (ख) और (ग). सचिवालय से बाहर के कार्यालयों में आशुलिपिकों (इनमें डाक-तार विभाग के आशुलिपिक भी शामिल हैं) के वेतनमानों के संबंध में आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया था। आयोग ने, 130--300 रु० तथा 210--425 रु० के संशोधन-पूर्व वेतनमानों को आशुलिपिकों के कार्यात्मक ग्रेडों के लिए क्रमश: 330--560 रु० तथा 425--700 रु० के संशोधित वेतनमानों और कुछ सामान्य मानदण्डों को पूरा करने की शर्तों के अधीन 550--750 रु० के एक प्रवरण ग्रेड (सेलेक्शन ग्रेड) की सिफारिश की थी। आयोग का यह भी विचार था कि 330--560 रुपये के स्तर से ऊपर आशुलिपिकों के लिए किसी भी प्रवरण ग्रेड के दिये जाने की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार डाक-तार विभाग में 425--700 रु० के स्तर के कुछ पदों को समाप्त कर देने की सिफारिश की थी। जबकि डाक-तार विभाग में वर्तमान आशुलिपिक, जो 130--300 रुपये तथा 210--425 रुपये के संशोधन-पूर्व वेतनमानों में थे उन्हें, आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार, क्रमश: 330--560 रुपये और 425--700 रुपये के संशोधित वेतनमान स्वीकार कर दिये गये हैं लेकिन 425--700 रुपये के संशोधित वेतनमान में पदो की संख्या की समीक्षा तथा 550--750 रुपये के प्रवरण ग्रेड के निर्माण संबंधी प्रश्नों पर अभी भी विचार किया जा रहा है। ये विषय इन सामान्य प्रश्नों के साथ जुड़े हुए हैं कि क्या गैर-सचिवालयी कार्यालयों में आशुलिपिकों के लिए जो प्रवरण ग्रेड पहले से ही दिया हुआ था उसे 330--560 रुपये के स्तर से ऊपर बनाये रखा जाना चाहिए

अथवा क्या केवल 425—700 रुपये के स्तर से ऊपर ही प्रवरण ग्रेड दिया जाना चाहिए तथा साथ ही साथ यह भी कि इस प्रयोजन के लिए क्या मानदण्ड अपनाये जायें। इन विषयों की जिनमें वेतन आयोग की सिफारिशों का कुछ संशोधन अन्तर्ग्रस्त है, उनकी संयुक्त परामर्श तन्त्र की राष्ट्रीय परिषद् में कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों से परामर्श करके जांच की जा रही है।

पेंशन के अनिर्णीत पड़े मामले

486. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के कितने मामले (एक) 5 वर्षों से (दो) 4 वर्षों से (तीन) 3 वर्षों से (चार) 2 वर्षों से (पांच) 1 वर्ष से अधिक समय से विभिन्न अवस्थाओं में निपटान के लिये अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ख) क्या इन मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिये सरकार का कोई उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के पेंशन सम्बन्धी मामलों पर विभिन्न विभागों में विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाती है और तदनुसार मांगी गई सूचना एक ही स्थान पर उपलब्ध नहीं है। तथापि नवम्बर, 1974 में महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व से, जो बहुत अधिक संख्या में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में कार्यवाही करता है, एकत्रित की गई सूचना के अनुसार, उस कार्यालय में वर्ष 1973 के केवल 2 मामले तथा वर्ष 1974 के 136 मामले अनिर्णीत पड़े थे।

(ख) 1–3–76 से पेंशन सम्बन्धी कार्यविधियों का और अधिक सरलीकरण करते हुये आदेश जारी कर दिये गये हैं। ऐसी आशा की जाती है कि उनके परिणामस्वरूप पेंशनों की मंजूरी देने में लगने वाले विलम्ब में और भी कमी हो जाएगी।

शिमला में केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

487. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग ने उन नगरों के लिये जो राज्यों की राजधानी हैं, वेतन के 15 प्रतिशत के बराबर मकान किराये भत्ते की सिफ़ारिश की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या शिमला में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वेतन का केवल 7.5 प्रतिशत मकान किराया भत्ता दिया जाता है ; और

(ग) इस असंगति के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं। तीसरे वेतन आयोग ने फ़िलहाल मकान किराये भत्ते की अदायगी की प्रथा का जनसंख्या के आधार पर नगरों के

वर्गीकरणों के सन्दर्भ में चालू रखने की सिफ़ारिश की थी। एतदनुसार वेतन के 15 प्रतिशत पर मकान किराया भत्ता उन नगरों में स्वीकार्य है जिनका उनकी जनसंख्या के आधार पर 'क', 'ख-1' और 'ख-2' के रूप में वर्गीकरण किया हुआ है।

(ख) जनसंख्या के आधार पर शिमला 'ग' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किये जाने की योग्यता रखता है और एतद्नुसार स्वीकार्य मकान किराया भत्ता वेतन का 7½ प्रतिशत है।

(ग) सवाल ही नहीं उठता।

पटसन की वस्तुओं का निर्यात

488. श्री **विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन की वस्तुओं के निर्यात के लिये हाल ही में दी गई रियायतों का उद्योग ने स्वागत किया है ;

(ख) क्या ये रियायतें दिये जाने के बाद पटसन की वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि और आर्डर बुक कराने के लक्षण दिखाई दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) हाल में पटसन धागे, पटसन की रस्सी, निवाड़ तथा टाट पर निर्यात शुल्क हटाये जाने का उद्योग द्वारा स्वागत किया गया है।

(ख) तथा (ग). निर्यात शुल्क केवल 12 फ़रवरी, 1976 को हटाया गया था और इसलिये उसके प्रभाव का अनुमान इतना शीघ्र नहीं लगाया जा सकता।

Damage to Opium Crop

489. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether hailstorm in large parts of Madhya Pradesh and Rajasthan during this year has caused great damage to opium crop ;

(b) whether Mandsaur and Ratlam, the two opium growing Districts in Madhya Pradesh have been badly affected by hailstorm and thus opium production has also been adversely affected; and

(c) steps taken by Government to provide relief to opium growers ?

Minister of State in charge of Department of Revenue and Banking (Shri Pranab Mukherjee) : (a) There were heavy showers and hailstorm with strong winds in certain opium growing areas of Madhya Pradesh and Rajasthan States between 30th and 31st January and 3rd and 4th February, 1976 which have caused some damage to the standing opium crop.

(b) The poppy crop in certain areas of Mandsapur and Ratlam districts in Madhya Pradesh has been affected by adverse weather conditions. The extent of damage is not fully known yet.

(c) The following steps have been taken by the Government to provide relief to the opium cultivators:—

(i) Quick survey of the affected areas has been undertaken by the staff of the Narcotics Department.

(*ii*) Cultivators who wanted to plough back their poppy fields on account of damage caused to the poppy crop and making further cultivation uneconomic have been permitted to do so under departmental supervision.

(*iii*) Agricultural experts have, at the instance of the Department, visited selected affected areas for giving expert guidance and planning further measures for retrieval of the damaged crop.

(*iv*) The extent of damage to the poppy crop this year will be taken into consideration as usual at the time of framing the Licensing Principles for the next crop season.

चीनी और बाँसमती चावल का निर्यात

491. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष वास्तविक उत्पादन की तुलना में चीनी और बासमती चावल का कुल कितने प्रतिशत निर्यात हुआ ;

(ख) क्या उत्पादन की कुल मात्रा में से 50 प्रतिशत बासमती तथा 25 प्रतिशत चीनी का निर्यात करना सम्भव है ; और

(ग) बासमती चावल और चीनी के प्रमुख खरीददार कौन से देश हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1974–75 के दौरान चीनी के उत्पादन का 22.3 प्रतिशत भाग निर्यात किया गया था । जहां तक बासमती चावल का सम्बन्ध है, क्षेत्र तथा उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी यह अनुमान है कि 1974–75 में बासमती चावल के उत्पादन का लगभग 30 प्रतिशत भाग निर्यात किया गया था ।

(ख) यद्यपि यथा संभव अधिक से अधिक चीनी तथा बासमती चावल का निर्यात करने के प्रयास जारी रहेंगे, किन्तु वास्तविक निर्यात उत्पादन, घरेलू, खपत, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों, विदेशी बाजारों में मांग जैसे विभिन्न उपदानों पर निर्भर करेंगे ।

(ग) बासमती चावल के प्रमुख खरीददार हैं : सऊदी अरब, इराक, कुवैत, बहरीन, दुबाई तथा ओमान, और चीनी के प्रमुख खरीदार हैं ईरान, संयुक्त राज्य अमरीका मिस्र तथा सूडान ।

सरकारी क्षेत्र के होटल

492. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के होटलों को विभिन्न देशों में लोकप्रिय बनाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ख) सरकारी क्षेत्र के होटलों में पर्यटकों को क्या विशेष सुविधायें दी जाती हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकारी क्षेत्रीय होटलों को विभिन्न देशों में लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से, भारत पर्यटन विकास निगम विदेशी यात्रा व्यवसाय पत्रिकाओं तथा अन्य समाचार माध्यमों (न्यूज मीडिया) में विज्ञापन देते हैं । भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को प्रदर्शित करने वाले श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम भारत को यात्रा करने वाले विदेशी यात्रा अभिकर्ताओं को तथा विदेश स्थित कुछ केन्द्रों पर भी प्रस्तुत किये जाते हैं । भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों से सम्बधित

प्रचार सामग्री सम्भावित यात्रियों तथा यात्रा अभिकर्ताओं के बांटने के लिये भारत सरकार के पर्यटक कार्यालयों तथा एयर इंडिया के कार्यालयों को नियमित रूप से वितरित की जाती है। स्टेनबर्ग आरक्षण सेवा, यूटेल इन्टरनेशनल तथा जान मिल्लर, आस्ट्रेलिया, के माध्यम से सीधे आरक्षण की सेवा का प्रवन्ध भी विद्यामान है।

(ख) सरकारी क्षेत्रीय होटलों में पर्यटकों को प्रदान की जाने वाली विशेष सुविधाओं में ये सम्मिलित हैं : (i) मुगलाई, काश्मीरी, राजस्थानी, फ्रैंच, चीनी तथा महाद्वीपीय भोजनों की व्यवस्था करने के लिये विशिष्ट रेस्टोरेंट (ii) कला दीर्घायें (आर्ट गैलरी) (iii) बाउलिंग एगले, स्विमिंग पूल, हैल्थ क्लब (iV) योग (V) आयुर्वेदिक तैल स्नान तथा मालिश (Vi) शापिंग सैन्टर (Vii) दृष्टव्यस्थल यात्राएं एवं भ्रमण सेवायें, आदि।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों को राष्ट्रीकृत बैंकों के निदेशक मंडल में नियुक्त करना

493. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कुछ लोगों को सभी राष्ट्रीयकृत बेंकों, स्टेट बैंक आफ़ इंडिया तथा रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया के निदेशक मंडलों में निदेशकों के रूप में नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निदेशकों की संख्या क्या है और उनकी नियुक्ति कब की जानी है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख). आजकल भारतीय रिजर्व बैंक और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मंडलों में गैर-सरकारी निदेशकों/सदस्यों में उन्नीस व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं।

भारत-ब्रिटिश आर्थिक तथा व्यापार संयुक्त समिति

494. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत ब्रिटिश आर्थिक तथा व्यापार संयुक्त समिति भारत को यूरोपीय साझा बाजार के देशों (ई० ई० सी०) से सुविधायें दिलाने में मदद करेगी जो उनके द्वारा लोम कन्वेंशन के अन्तर्गत अफ्रीको, करेवियन तथा प्रशान्त महानगरीय देशों को दी जाती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : भारत-ब्रिटिश आर्थिक समिति दोनों देशों के बीच आर्थिक औद्योगिक सहयोग बढाने के उपायों के बारे में विचार करने तथा उनकी सिफ़ारिश करन के लिए स्थापित की गई है। यह समिति द्विपक्षीय अथवा हित के अन्य मामलो पर विचार विमर्श कर सकती है जिनमें लोम कन्वेशन के अधीन कतिपय विकासशील देशों के सम्बन्ध में यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा उठाये गये कदमों को विश्वव्यापी बनाने की प्रक्रिया को आगे बढाने में ब्रिटेन का समर्थन प्राप्त करना सम्मिलित है।

Raids on Houses of Government Officials

495. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of Government officers and staff in the country, state-wise, whose houses have been raided during the period of emergency and the departments to which they belong :

(b) the nature and quantum of goods as also the cash recovered from them ; and

(c) the number of Government officers and staff who have been detained on charge of possessing illegal wealth ?

Minister of State in Charge of Department of Revenue and Banking (Shri Pranab Mukherjee) (a), (b) & (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Seizure of unaccounted cash and other articles during Raids

496. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of cash and the value of the unaccounted assets unearthed during the raids conducted after the proclamation of emergency in the country ;

(b) the number of persons arrested during these raids and the laws under which they are being prosecuted ; and

(c) whether some of the persons, whose premises were raided have connections with foreign countries and if so, the names of these countries ?

Minister of State in Charge of Deptt. of Revenue and Banking (Shri Pranab Mukherjee): (a) Cash over Rs. 257 lakhs and other assets of the value of over Rs. 1023 lakhs were seized by the Income Tax authorities, as a result of the search and seizure operations conducted by them dring the period from July, 1975 to January, 1976.

Foreign Exchange Enforcement authorities have seized Indian currency of Rs. 21·1 lakhs and foreign currency of Rs. 4·6 lakhs (approxi ate) as a result of the searches conducted by them under Foreign Exchange Regulations Act, 1973 during the period from 26-6-75 to 29-2-76.

(b) Under Direct Tax Laws there is no provision as such for the arrest of persons in whose cases search and seizure operations are conducted.

13 persons were arrested under the provisions of Foreign Exchange Regulations Act, 1973 during the period from 26-6-75 to 29-2-76.

(c) Informaton in respect of Direct Tax Laws is being collected and will be laid on the Table of the House.

Some of the persons arrested under Foreign Exchange Regulations Act were alleged to be making or receiving payments under instructions from persons resident outside India, or maintaining accounts in foreign countries. Their connection is with some persons outside India and no connection has been established with any foreign country as such. The foreign countries involved from where they were receiving payments from some persons or where they have accounts are mainly United Kingdom, United States of America, Canada, Dubai, Muscat, Kenya, Uganda, Tanzania, Singapore, Bahrain, Kuwait, Sri Lanka and Malayasia.

Particulars regarding part (a), (b) and (c) of the question in respect of Customs. Act is being collected and will be laid on the Table of the House.

Spinning Mills sanctioned for Madhya Pradesh

497. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether some spinning mills have been sanctioned for Madhya Pradesh and if so, the total cost thereof ;

(b) whether this number is in conformity with the demand made by Madhya Pradesh Government and the number of weavers in the State ;

(c) whether these mills will start functioning in 1976 and the estimated production thereof; and

(b) number of mills out of them to be in public sector ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh: (a) to (d) : No Industrial license is required for setting up spinning mills upto 50,000 spindles by non MRTP houses in non metropolitan areas.

Export of Kosa Cloth

498. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) total quantum of 'Kosa' cloth exported during 1974-75 and the quantum likely to be exported during the current financial year ;

(b) nature of incentives being given or proposed to be given in order to boost its export ;

(c) whether any export market survey has been conducted to locate the export possibilities of 'Kosa' cloth; and

(d) if so, the results thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) 7·66 lakh sq. metres of Kosa cloth valued at Rs. 1·96 crores were exported in 1974-75. 8 lakh sq. metres of the value of Rs. 2·15 crores are likely to be exported in the current financial year.

(b) Import replenishment licence for import of permissible dyes and chemicals upto 10% of the f.o.b. realisation is granted on exports of Kosa fabrics and made-up articles. Against ready-made garment exports, the import replenishment rate is 12.% of the of.o.b. value for import of dyes, chemicals, trimmings and embellishments. Suitable assistance for promotion of exports is also given.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Trade Agreement with Bangladesh

499. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether trade agreement has been signed recently with Bangladesh; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) and (b) : No Trade Agreement has been recently signed with Bangladesh. However, trade between India and Bangladesh, was reviewed in January, 1976.

Incentives to Handloom and Powerloom Industries

500. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the effective steps taken by Government recently to provide incentives to handloom and powerloom industries in order to step up country's exports ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : Measures have been initiated for improving the production base of handloom fabrics and products. Apart from replenishment to which they are eligible under the licensing policy assistance is being given to exporters of handloom and powerloom products to compete in international markets.

A plan for starting 20 export-oriented production projects in various parts of the country has been approved. These will manufacture handloom fabrics exclusively for exports.

Construction of Aerodrome at Jabalpur

501. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the **Minister of Tourism and Civil Aviation** be pleased to state;

(a) whether Government have announced that Jabalpur (Madhya Pradesh) will be linked with air services and if so. whether work for the construction of an aerodrome there has since been commenced and the time by which it will be completed ;

(b) the expenditure to be incurred by the Central Government and the State Government to complete it; and

(c) the names of the States with which Jabalpur will be linked by air and the revenue likely to be earned as a result thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (*a*), (b) *and* (c): A Civil aerodrome already exists at Jabalpur. The runway has been recently strengthened and is suitable for operations with HS-748 aircraft. At present Indian Airlines have no plans to operate air services to Jabalpur. Director General of Civil Aviation invited applications in December 1975 from private operators to operate air services amongst others on the route Delhi—Allahabad—Jabalpur. But none has so far evinced any interest in operating on this route. If the private operators start air services. Jabalpur will be linked with the Union Territory of Delhi and Uttar Pradesh State and it would not be possible at this stage to assess the likely revenue from the operations of air service to Jabalpur.

आयात में वृद्धि

502. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान 31 दिसम्बर, 1975 तक आपात में भारी वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ख) मात्रा तथा मूल्यवार किन-किन मुख्य वस्तुओं का आयात किया गया तथा उसी अवधि में गत दो वर्षों के दौरान किये गये आयात के आंकड़ों की तुलना में इसकी स्थिति क्या है ; और

(ग) चालू वर्ष के अन्त में व्यापार में अनुमानित अन्तर कितना रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) आयातों में भारी वृद्धि मुख्यतः उन अनेक वस्तुओं की विश्व कीमतों में तीव्र वृद्धि के कारण हुई है जिनका हमारे आपात बिलों में प्रमुख स्थान है, जैसे कि गेहूं, पट्रोल उत्पाद, मशीनें तथा परिवहन उपस्कर आदि। घरेलू उपलब्धता में कमियों को पूरा करने तथा उत्पादन को उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने के लिये कुछ वस्तुओं के अधिक मात्रा में आयात भी किये गये ।

(ख) अप्रैल-नवम्बर, 1975, अप्रैल-नवम्बर, 1974 तथा अप्रैल-नवम्बर, 1973 के दौरान मुख्य वस्तुओं के आयात दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। नवम्बर, 1975 के बाद वस्तुवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 10425/76]

(ग) अप्रैल-दिसम्बर, 1975 तक के अन्त तक व्यापार अन्तराल 1113.8 करोंड़ रुपये था। इन संकेतो के आधार पर वित्तीय वर्ष 1975-76 के अन्त तक यह अन्तराल 1400 से 1500 करोड़ रुपये तक हो जाने की सम्भावना है ।

बादलों को बरसाने योग्य बनाना

503. **श्री राजदेव सिंह:** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन मीटरयोलोजिकल सोसायटी के तत्वावधान में दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय गोष्ठी में एकत्र वैज्ञानिकों के अनुसार बादलों को बरसाने योग्य बनाने के क्षेत्र में हमारे आरम्भिक प्रयास सफल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात पर जोर दिया गया था कि मौसम प्रबन्ध पर राष्ट्रीय नीति इस प्रकार बनाई जाये कि एक राज्य में बादलों को बरसाने योग्य बनाने से किसी निकटवर्ती राज्य के सूखे की स्थिति पैदा न हो ; और

(ग) क्या बादलों का अनिश्चित आचरण ऋतु विशषज्ञों, कृषकों तथा सरकार की निरन्तर चिन्ता का विषय है कि क्या "कोल्ड कलाइड सीडिंग" तथा "वार्य फ्लाइड साडिंग" इस मान्यता पर अपनाया जाये कि बाहरी तत्वों के बादलों को बरसाने योग्य बनाना सम्भव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). गोष्ठी में भाग लेने वाले वैज्ञानिको के सर्वमतानुसार वर्षा की वृद्धि के लिये मेघ बीजा-रोपण अभी प्रयोगात्मक स्थिति में हैं। निर्णायक निष्कर्षों की प्राप्ति के लिये ध्यानपूर्वक आयोजित प्रयोगों को अभी जारी रखने और उनके सतोषजनक रूप से मूल्यांकन की आवश्यकता है। इन प्रयोगों से पर्याप्त रूप से निर्णायक परिणमों की प्राप्ति के बाद ही किसी राष्ट्रीय नीति का निर्धारण किया जो सकता है ।

(ग) जी नहीं, शीत मेघ वपन (कोल्ड क्लाउड सीडिंग) तथा उष्ण मेघ वपन (वार्म क्लाउड सीडिंग) के लिये बादलों की उपयुक्तता का निर्णय वायुमण्डल व बादलों के मापन द्वारा किया जा सकता है ।

सरकारी उपक्रमों में क्षमता का उपयोग

504. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति की घोषणा के बाद प्रत्येक सरकारी उपक्रम द्वारा कितने प्रतिशत क्षमता पर काम किया गया है ;

(ख) गत वर्ष इसकी प्रतिशतता कितनी थी ;

(ग) इनमें से प्रत्येक उपक्रम के लाभ और हानि सम्बन्धी नवीनतम आंकड़े क्या हैं ; और

(घ) गत तीन वर्षों के उनके लाभ और हानि के अनुमानित आंकड़े क्या थे ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 70 विनिर्माणकारी एककों, जिनके सम्बन्ध में सरकारी उद्यम कार्यालय में सूचना उपलब्ध है, में जुलाई से दिसम्बर, 1975 तक की अवधि में उपयोग की गई क्षमता की प्रतिशतता के आंकड़े विवरण-I में दिये गये हैं ।

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के विभिन्न विनिर्माणकारी एककों में 1974–75 के दौरान क्षमता के उपयोग की प्रतिशतता के आंकड़े विवरण-II में दिये गये हैं ।

(ग) उद्यमों के 1975–76 वर्ष के लाभ-हानि के अन्तिम आंकड़े 31 मार्च, 1976 को इस वर्ष के लेखे बन्द हो जाने के बाद ही सुलभ हो सकेंगे, तथापि 27 प्रमुख उद्देश्यों के सम्बन्ध में 1975–76 की पहली तीन तिमाहियों के कर से पूर्व निवल लाभ-हानि के अनुमानित आंकड़े उपलब्ध हैं जो विवरण–III में दिये गये हैं।

(घ) 1972–73, 1973–74 और 1974–75 वर्षों के कर से पूर्व लाभ-हानि के आंकड़े विवरण–IV में दिये गये हैं। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 10426/76]।

भारत-अमरीका व्यापार परिषद् की नई दिल्ली में बैठक

505. **श्री के० एम० मधुकर :**
श्री एम० कतामुत् :
श्री रेाम भगत पासवान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-अमरीकी व्यापार परिषद की बैठक नई दिल्ली में हाल ही में हुई थी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं।

(ख) क्या अमरीकी प्रतिनिधि मण्डल के नेता ने भारत से यह चाहा था कि वह देश में विदेशी पूंजी निवेश के बारे में अपना रवैया स्पष्ट करे; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां। भारत अमरीकी संयुक्त व्यापार परिषद की पहली बैठकें 2 फरवरी से 4 फरवरी 1976 को नई दिल्ली में हुई थी। उक्त बैठक में दोनों पक्षों को एक दूसरे से जानकारी प्राप्त करने और व्यापार तथा पूंजी निवेश के ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने का अवसर प्राप्त हुआ जिनमें परस्पर सहयोग एक दूसरे को लाभकारी हो सकता है ।

(ख) जी, हां। अमरीकी प्रतिनिधिमण्डल के नेता ने ये विचार व्यक्त किये कि यदि भारत के प्रधान मंत्री की ओर से भारत में विदेशी पूंजी का स्वागत करते हुए कोई वक्तव्य जारी किया जाय तो उससे भारत में पूंजी लगाने के लिये विदेशों में अच्छा वातावरण पैदा हो जायेगा ।

(ग) विदेशी निवेश के संबंध में सरकार की नीति देश में और विदेशों में सर्वविदित है। फिर भी संयुक्त व्यापार परिषद की बैठक में व्यक्त किये गये विचारों को नोट कर लिया गया।

बम्बई में दुकानों में तस्करी की वस्तुओं का पुनः पाया जाना

506. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई में विभिन्न दुकानों में तस्करी की वस्तुओं के पुनः पाये जाने के बारे में पता है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसकी जांच करने के लिये क्या कार्य-वाही की गई है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :(क) तथा (ख). तस्कर व्यापारियों के विरुद्ध और कार्यवाही किये जाने के कारण तस्करी की वस्तुएं कम हो गई है और बम्बई में इस प्रकार की वस्तुओं का खुला प्रदर्शन प्रभावी ढंग से रोक दिया गया है। हो सकता है इन वस्तुओं की चोरी छिपे कुछ बिक्री होती हो परन्तु उनके मूल्य अब अपेक्षाकृत बहुत अधिक हैं। कुछ समय पहले इस आशय की कुछ प्रेस रिपोर्टें नोटिस में आयी थीं कि तस्कर आयात की गयी वस्तुयें अब फिर से बम्बई में दिखायी देने लगी हैं। केवल चोरी छिपे किये जाने वाले सौदों के बारे में ही नहीं अपितु निषिद्ध वस्तुयें रखे जाने के बारे में गुप्त सूचना एकत्र करने के लिये भी और अधिक जोरदार प्रयत्न किये गये हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न दुकानों तथा विपणन क्षेत्रों में फेरीवालों पर बहुत से आकस्मिक छापे मारे गये हैं तथा निषिद्ध वस्तुओं के परिवहन, जमा रखने अथवा विक्रय से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाती है।

बीमा कम्पनियों में अधिकारियों के चयन/पदोन्नति के सिद्धांत

507. **श्री प्रशन्न भाई मेहता** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा निगम ने राष्ट्रीयकरण के पश्चात् चार ग्रुपों में गठित विभिन्न बीमा कम्पनियों के अधिकारियों के चयन/पदोन्नति के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त और कसौटी निर्धारित की है ; और

(ख) क्या उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों का कठोरता से पालन किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख). साधारण बीमा निगम ने अपनी सहायक कम्पनियों से विचार-विमर्श करने के बाद कुछ स्थूल निर्देशात्मक प्रतिमान और मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार किये थे जिन समितियों को श्रेणीकरण और पदोन्नति का कार्य सौंपा गया है उनके द्वारा इनका पालन किया गया है।

मयरानी समिति द्वारा की गई सिफारिशें

508. **श्री प्रशन्नभाई मेहता** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) सामान्य बीमा निगम ने सामान्य बीमा समन्वय समिति (मयरानी समिति) की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). साधारण बीमा सेवा एकीकरण समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी सात रिपोर्टों में से तीन रिपोर्टें वेतनमान और सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में थी, अन्य तीन विभिन्न स्तरों के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची के संबंध में थी जबकि शेष एक रिपोर्ट अधिकारियों को खपाने की कसौटी और वरिष्ठता के लिये मार्गदशक सिद्धान्तों के बारे में थी।

केन्द्रीय सरकार ने साधारण बीमा निगम के अधिकारियों तथा पर्यवेक्षी, लिपिकीय व अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतन मानों और उन की सेवाओं की शर्तों के बारे में साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 16(1) (छ) के अन्तर्गत दो योजनायें पहले ही अधिसूचत कर दी हैं। इन योजनाओं को तैयार करते समय समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया था किन्तु कर्मचारियों के साथ बातचीत करने के बाद कतिपय विषयों पर समिति की सिफारिशों में संशोधन करना आवश्यक हो गया था। क्षेत्रीय कर्मचारियों से संबंधित योजना अभी भी विचाराधीन है।

अधिकारियों के वर्गीकरण से संबंधित सिफारिशों को तब तक के लिये अनन्तिम माना गया था जब तक साधारण बीमा निगम द्वारा नियुक्त पुनरीक्षण समिति द्वारा स्वतः ही अथवा प्रभावित अधिकारियों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, उनकी समीक्षा नहीं की जाती। पुनरीक्षण समिति द्वारा इन सूचियों में जिन कतिपय परिवर्तनों की सिफारिश की गई थी उन्हें साधारण बीमा निगम बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था।

पटसन मिलों को सरकारी नियंत्रण में लेना

509. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उत्पादकों और कर्मचारी संघों ने देश में पटसन मिलों को सरकारी नियंत्रण में लेने की मांग की है ; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) देश में पटसन मिलों को सरकारी नियंत्रण में लेने का कुछ ट्रेड यूनियनों तथा दूसरे लोगों ने समर्थन किया है।

(ख) सरकार फिलहाल पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक नहीं समझती।

व्यापार अन्तर

510. **श्री के० म० मधुकर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में हमारे विदेश व्यापार घाटे ने एक नया रिकार्ड स्थापित किया है ;

(ख) क्या इसी अवधि में हमें निर्यात से उत्साहवर्धक आय हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग). अद्यतन विदेश व्यापार आंकडे अप्रैल, 1975 से जनवरी, 1976 तक 10 महीनों की अवधि के हैं। इस अवधि के दौरान व्यापार घाटा 1236 करोड़ रुपये रहा जबकि गत वर्ष की इसी अवधि में 982 करोड़ रुपये था। इस अवधि के दौरान हुए 3023 करोड़ रुपये के निर्यात गत वर्ष की इसी अवधि में हुए 2616 करोड़ रुपये के निर्यातों से 15.6 प्रतिशत अधिक थे।

अमरीका द्वारा भारत से माल की खरीद

511. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1974 के भारत अमरीकी रुपये निधि के आधार पर करार के अधीन अमरीका सरकार द्वारा भारत से 10 करोड़ डालर के माल और सेवाओं की खरीद नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). भारत अमरीकी रुपया करार 1974 के अन्तर्गत अमरीकी सरकार से प्रत्याशा की जाती है कि वह 5 वर्षों की अवधि के दौरान कुल 10 करोड़ डालर का माल और सेवायें खरीदे। अब तक उन की खरीदारियां महत्वपूर्ण नहीं है और अमरीकी प्राधिकारियों के साथ मामले पर अलग से कार्यवाही की जा रही है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पेंशन तथा अन्य उपलब्धियों की वर्तमान प्रक्रिया में संशोधन

512. **श्री समर मुकर्जी :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन तथा अन्य उपलब्धियों के भुगतान की वर्तमान प्रक्रिया में संशोधन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) अर्धवार्षिकी पैंशन और मत्यु व सेवानिवृत्ति उपदान की अदायगी में होने वाले विलम्ब को दूर करने की दृष्टि से और कार्यालयाध्यक्षों द्वारा राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के आहरण और वितरण की कार्यविधियों के सरलीकरण के लिये 28-2-76 को आदश जारी कर दिये गये हैं।

(ख) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पेंशनों का निर्धारण और अदायगी,

(ख) राजपत्रित सरकारी कर्मचारियो के वेतन और भत्तों के आहरण और वितरण के संबंध मैं संशोधित कार्यविधि की मुक्य-मुख्य बातें इस प्रकार है :—

(क) पेंशन सम्बन्धी कार्यविधि

(1) पेंशन की संगणना, 36 महीने की बजाय दस पूर्ण महीनों की औसत परिलब्धियों के आधार पर की जायेगी।

(2) सभी मामलों में अधिवर्षिकी पेंशनों की अदायगी देय महीनों की पहली तारीख से शुरू होगी। इसे सुनिश्चित करने के लिए कार्यालय अध्यक्षों और पेंशन अदायगी आदेश जारी करने के लिए जिम्मेदारी अधिकारियो के लिए विभिन्न अवस्था पर कार्य के लिए एक निश्चित समय सारणी निश्चित कर दी गयी है और प्रत्येक अवस्था के लिए निश्चित विभाजन तारीखें इस प्रकार निर्धारित की गयी हैं कि जब कोई विभाजन तारीख आ जाती है तो कार्य अनिवार्य रूप से अगली अवस्था में चला जायेगा।

(3) विपरीत विशिष्ट संकेत न होने की स्थिति में, केन्द्रीय सरकार के अधीन की गयी सेवा की दो अवधियों के बीच सेवा में आये व्यवधान को किया समझा जायेगा और व्यवधान पूर्व सेवा को पेंशन के लिए हिसाब में लिया जायेगा। इसी प्रकार असाधारण छुट्टी की ऐसी अवधियों को भी जिनके बारे में गैर-अर्हतादायी मानने की विशिष्ट प्रविष्टियां न हों पेंशन के लिए हिसाब में लिया जायेगा।

(4) पेंशन के संबंध में प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है

(5) यदि किन्हीं कारणों से सरकारी कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति के एक महीने पहले पेंशन अदायगी आदेश जारी करना संभव न हो तो कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अनन्तिम पेंशन और मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति उपदान की स्वीकृति तथा भुगतान किया जायेगा। अनन्तिम पेंशन 6 महीने की अवधि के पश्चात् अंतिम हो जायेंगी।

(6) सरकारी कर्मचारी में बकाया देय रकमो (सरकारी आवास से भिन्न) का निर्धारण करने के मामले में पेंशन संबंधी कागजों को तैयार करने की अवस्था में पिछली रिकार्ड की जांच सेवा-निवृत्ति से पूर्व दो वर्ष की अवधि तक ही सीमित रहेगी।

(ख) राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों आहरण और वितरण

(1) पहली अप्रैल, 1976 से राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों की हकदारी का निर्धारण, उन विभागों/कार्यालयों के अध्यक्षों द्वारा किया जायेगा जिसमें वे कार्य कर रहे हैं, न कि महा-लेखाकारों/वेतन तथा लेखा कार्यालयों द्वारा।

(2) राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों का वेतन, जैसा कि अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में होता है, अहारण और वितरण अधिकारियों द्वारा संस्थापना चिट्ठों में दिया जायेगा।

(3) राजपत्रित अधिकारियों के छुट्टी के लेखाओं सहित सेवा-रिकार्ड महालेखाकारों/वेतन तथा लेखाअधिकारियों दवारा विभागीय प्राधिकारियों को स्थानांतरित कर दिये जायेंगे, इस संबंध में व्यवस्था प्रत्येक मंत्रालय के लिए लेखाओं को लेखापरीक्षा में अलग करने की योजना के साथ-साथ की जायेगी।

केरल में हथकरघा उद्योग का विकास

513. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने हथकरघा उद्योग के विकास के लिये चालू वर्ष में कितनी धन-राशि की मांग की है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि की स्वीकृति दी है।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :(क) तथा (ख) : 1975-76 (चालू वर्ष) तथा 1976-77 के लिए हथकरघा उद्योग के विकास के लिए केरल सरकार द्वारा प्रस्ताविक तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित परिव्यय नीचे दर्शाये गये हैं :—

	परिव्यय (लाख रु०)	
	प्रस्तावित	अनुमोदित
1975-76	44.67	42.00
1976-77	293.18	60.00

वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए निधियों का आवंटन केवल राज्य योजना स्कीमों के लिए है। 1976-77 के लिए केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित 2.93 करोड़ रु० की राशि राज्य योजना स्कीमों को जारी रखने के लिए तथा 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय स्कीमों के लिए है। सरकार द्वारा अनुमोदित 60 लाख रु० की राशि में से 46 लाख रु० राज्य योजना स्कीमों को जारी रखने के लिए तथा 14 लाख रु० की एकमुश्त व्यवस्था केन्द्रीय स्कीमों के लिए राज्य द्वारा उतना ही अंशदान किये जाने के लिए है। उपरोक्त के अलावा, पांच वर्षों की अवधि में 1.85 करोड़ रु. के परिव्यय वाली गहन विकास परियोजना तथा पांच वर्षों की अवधि में 40 लाख रुपये के परिव्यय वाली एक निर्यात उत्पादन परियोजना सिद्धांत रूप में राज्य के लिए पहले ही अनुमोदित की जा चुकी है।

बिक्री कर सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति

514. **श्री बसन्त साठे :**
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिक्री कर सम्बन्धी कोई राष्ट्रीय नीति न होने के कारण एक दूसरे के पड़ोसी राज्यों में एक तथा उसी वस्तु पर विभिन्न दरों से कर लगाया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप व्यापार में विविधिकरण और अन्तर्रज्य तस्करी और चोर बाजारी हो रही है :

(ख) क्या सरकार बिक्री कर सम्बन्धी एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

राजस्व और बैंकिग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) : वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर कर लगाना राज्यों द्वारा कराधान का विषय है, इसलिये जिन्सों पर बिक्री-कर की दरें विभिन्न राज्यों में अलग अलग तो होंगी ही। कर की दरों में बहुत ज्यादा अंतर होने से व्यापार इधर का उधर हो जाता है, और कर देने का दायित्व टाला जाता है ; और इसलिए, बिक्री कर की दरों में एकरूपता बांछनीय तो है, परन्तु, राज्य सरकारों को विशेष जिन्सों पर कर की दरें निश्चित करने से पूर्व अपने-अपने राज्यक्षेत्रों की विशेष भौगोलिक और आर्थिक स्थिति का, व्यापार की प्रकृति का, और अन्य संगत तथ्यों का ध्यान रखना होता

है। राज्यों द्वारा बिक्री-कर लगाने के सम्बन्ध में यथासम्भव एकरूपता लाने के प्रयत्न क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से विचार-विनिमय करके लिये जाते हैं।

भारत सरकार के विभागों में समयोपरि भत्ता

515. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा अदा किए गए समयोपरि भत्ते के आंकड़ों की नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार अपने कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते के भुगतान की उक्त पद्धति को मूल रूप से समाप्त करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सभी मंत्रालयों से समयोपरि भत्ते की अदायगियों के संबंध में पूरे आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। समयोपरि भत्ते पर प्रतिबन्ध लगाने संबंधी हाल के अनुदेशों के पश्चात् तत्काल उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में सचिवालय के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते के संबंध में अदा की गयी औसत मासिक व्यय की रकम लगभग 3.46 लाख रुपए है। इसकी तुलना, इन अनुदेशों के जारी करने से पहले, औसत मासिक व्यय की लगभग 8.73 लाख रुपए की रकम से की जाती है।

(ख) प्रशासनिक मजबूरियों के कारण समयोपरि भत्ते को बिल्कुल समाप्त कर देना मुश्किल है। परन्तु इस संबंध में, व्यय को काफी कम कर दिया गया है तथा इसे और कम करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत मिलें

516. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम प्रबन्धाधीन मिलों ने अधिक जमा स्टाक उठाये जाने के कारण हाल ही में अपनी हानि को कम करने में सफलता प्राप्त की है ;

(ख) यदि हां, तो पहले कम स्टाक उठाये जाने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या हानि को बढ़ावा देने वाले अन्य कारण भी थे ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां। हानियां कम करने में जो बातें सहायक हुई उनमें एक कारण मिल उत्पादों का अधिक मात्रा में उठाया जाना है।

(ख) माल के कम उठाये जाने का कारण था सामान्य रूप से बाजार में वस्त्रों की प्रभावकारी मांग का अभाव।

(ग) और (घ) : जिन अन्य कारणो से हानियां हुई, वे थे : बिजली की भारी कटौतियां, अप्रचलित एवं घिसी हुई मशीनें, मिलों की कम उत्पादकता, श्रमिकों की अधिकता तथा कार्यकारी पूंजी की कमी।

सहकारी कताई मिलों का बन्द किया जाना

517. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक सहकारी कताई मिलो को बन्द होने का समाना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) सरकार ने मिलों को बन्द होने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) (क) से (ग) : कुछ सहकारी कताई मिलें अलाभकर कार्यचालन के कारण कठिनाइयां अनुभव कर रही हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रबन्धों की व्यवस्था कर रहा है। फरवरी, 1976 के अन्त की स्थिति के अनुसार तीन सहकारी मिलें वास्तविक रूप से बन्द हो गयी है, दो वित्तीय कठिनाइयों के कारण तथा तीसरी श्रमिकों व प्रबन्धकों के बीच अशान्ति पैदा होने के कारण । अब ऐसा समझा जाता है कि राज्य सरकारें इन मिलों को फिर चालू करने के लिए कार्यवाही कर रही ।

धन उपलब्धता का मूल्यों पर प्रभाव

518. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1975 में जनता के पास धन की उपलब्धता में बहुत अधिक वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) मूल्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) दिसम्बर, 1974 के अन्तिम शुक्रवार और दिसम्बर, 1975 के अन्तिम शुक्रवार के बीच जनता के पास उपलब्ध मुद्रा में जो 1011 करोड़ रुपए (9.0 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी वह पिछले वर्ष की उसी अवधि में हुई 1042 करोड़ रुपए (10.2 प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना में कम थी।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) थोक मूल्यों सूचकांक (1961–62––100) में, 1974 में रूई 27.0 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 1975 में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। किन्तु मूल्य स्तर मुद्रा पूर्ति में होने वाली वृद्धि के अलावा कुल मिला कर वस्तुओं की उपलब्धि तथा सट्टे की प्रवृत्तियां जैसी ब हु त सी बातों पर निर्भर करता है।

पश्चिम एशिया को बिजली के सामान का निर्यात

519. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को पश्चिम एशिया को बिजली के सामान का निर्यात करने में भारी सफलता मिली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम एशियाई देशों को बिजली के सामान के निर्यात 1974–75 में बढ़कर 18.28 करोड़ रुपये के हो गये हैं जबकि 1973–74 में वे 8.46 करोड़ रुपये हुए थे।

निर्यात की प्रमुख मदें ये हैं —इन्सलेटिड केवल तथा तार, बिजली के पंखे तथा हस्ये, एल्यूमीनियम कंडक्टर्स इलैक्ट्रिक कंट्रोल व स्विच गियर, फ्लोरोसेंट टयूबें तथा फ़िक्सचर्स, बिजली का सहायक सामान।

भारतीय बिजली के सामान को खरीदने वाले पश्चिम एशिया के प्रमुख देश ये हैं :—कुवैत, इराक, ईरान, बहरीन, सऊदी अरब, सं० अ० गणराज्य, ओमान तथा कतार।

निर्यात के लिए नकद सहायता

520. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात के लिये नकद सहायता देने सम्बन्धी योजना का विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार का विचार है कि मुख्यत निर्यात संवर्धन के एक उपाय के रूप में नकद मुआवजा सहायता की इस योजना को पुन तैयार किया जाए। ऐसा विचार है कि निर्यात सम्भाव्यता, स्वदेशी उपलब्धता, नए बाजारों में प्रवेश करने की लागत आदि जैसे बहुत से मापदण्डों का संतुलित निर्णय करके विभिन्न निर्यात उत्पादों के लिए नकद मुआवजा सहायता के स्तर निर्धारित किए जाएं।

India's Trade with Arab Countries

521. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether there has been a notable increase in Indian trade with Arab countries recently;

(b) if so, the main features in this regard; and

(c) the export of which commodities to these countries is maximum and the names of the countries which are importing the maximum ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Our total exports to Arab countries amounted to Rs. 423·02 crores during 1974-75 as against Rs. 174·13 crores during 1973-74, registering an increase of 143 % over the exports in 1973-74. Similarly India's exports to the Arab Countries during April—October, 1975-76 were Rs. 230·45 crores as against Rs. 171·11 crores for the corresponding period of 1974-75 showing an increase of over 34%.

(c) The commodity which registered the maximum growth during the period will April—October 1975 was sugar. Leading importers of this item were Arab Republic of Egypt, Sudan and Jordan. The next largest item of export during this period was tea. Leading importers of this item were the Arab Republic of Egypt, Sudan, Dubai and Iraq. Sugar and tea were followed by Iron and Steel. Iraq was the largest importer of this item, followed by Dubai and Saudi Arabia.

एशिया के चाय उत्पादक देशों का साझा बाजार

522. **श्री शशि भूषण** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) एशिया के चाय उत्पादक देशों का एक सहयोग संघ (एशिया कोआपरेशन) सांझा बाजार की भांति गठित करने के बारे में किये गये प्रयास किस सीमा तक सफल हुए हैं जिससे कि इन देशों के बीच प्रतिस्पर्धा न हो; और

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) एशिया के चाय उत्पादक देशों का एक साझा बाजार बनाने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में हथकरघा उद्योग को संकट

523. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघों द्वारा उत्पादित क्रेप माल के लिये निर्यात बाजार में संकट के कारण केरल में हथकरघा उद्योग को गत वर्ष संकट का सामना करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) इस संकट का सामना करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार हथकरघा उद्योग को बचाने के लिये मिलों द्वारा क्रेप के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) निर्यात के लिये परिधान उत्पादन हेतु हथकरघा क्रेपे कपड़े की मांग में तीव्र वृद्धि होने से एक ऐसी स्थिति बन गई जिसमें विद्युतचालित करघों ने भी क्रेप कपड़े का उत्पादन आरम्भ कर दिया। इससे केरल में हथकरघा क्षेत्र के लिये कठिनाइयां पैदा हो गई थीं।

(ग) राज्य सरकार ने विद्युतचालित करघा क्रेप कपड़े को हथकरघा क्रेप के रूप में बेचे जाने पर रोक लगा दी है और हथकरघों पर तथा विद्युतचालित करघों द्वारा तैयार किये गये दोनों प्रकार के क्रेप कपड़े में भेद करने के लिये विशेष मोहर लगाने की भी व्यवस्था की है।

हथकरघों द्वारा क्रेप कपड़े के उत्पादन का विस्तार करने के लिये भी उपाय किये गये हैं ताकि परिधान विनिर्माताओं की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके।

(घ) यह प्रश्न विचाराधीन है।

तस्करी की वस्तुओं का पकड़ा जाना

524. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973–74, 1974–75 और 1975–76 में अब तक तस्करों से पकड़ी गई विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का, पकड़ी गई धनराशि सहित कुल मूल्य क्या है;

(ख) उन तस्करों के नाम क्या हैं जो इस समय गिरफ्तार हैं, जिनकी सम्पत्ति जब्त की गई है और जो फ़रार हैं; और

(ग) क्या सरकार का इन तस्करों के विरुद्ध मुकदमा चलाने का विचार है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत पूर्ववर्ती तीन वर्षों में पकड़े गये विभिन्न सामानों का कुल मूल्य नीचे दिया गया है :—

विवरण

वर्ष	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत पकड़े गये माल का लगभग मूल्य
	(लाख रुपयों में)
1973–74	4145
1974–75	5872
1975–76 (जनवरी, 1976 तक) . . .	3941 (अनन्तिम)

तस्करों और विदेशी मुद्रा के जालसाजों तथा उनके सम्बन्धियों और सहयोगियों के भी परिसरों की तलाशी लेने और माल पकड़ने की कार्यवाहियों के फ़लस्वरूप, आयकर अधिकारियों द्वारा पकड़ी गई नकद रकमों और वस्तुओं के मूल्य का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

वर्ष	पकड़ी गई नकदी	पकड़ी गई वस्तुओं का मूल्य
	(लाख रुपयों में)	(लाख रुपयों में)
1973–74 . . .	7.5	12.2
1974–75	9.3	33.7
1975–76	15.4	5.98

(ख) 28 फ़रवरी, 1976 की स्थिति के अनुसार (जैसा कि संलग्न सूची में दिया गया है), विदेशी मुद्रा अनुरक्षण तथा तस्करी निरोध अधिनियम, 1974 (कोफ़ेपोसा) के उपबन्धों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों से 23 तस्कर नजरबन्द थे। एक तस्कर श्री रावतमल गोल्यान, जिसके विरुद्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा नजरबन्दी आदेश जारी किये जा चुके हैं, अभी तक फ़रार है। श्री रावतमल गोल्यान की कोई सम्पत्ति कुर्क नहीं की गई है। उपर्युक्त के अलावा, 28 फ़रवरी, 1976 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा तस्करों और उनके सहयोगियों के विरुद्ध, नजरबन्दी के 1867 आदेश जारी किये जा चुके थे। इनमें से 272 व्यक्तियों को अभी तक नजरबन्द नहीं किया गया है अथवा वे फरार हैं। राज्य सरकारों द्वारा जिन तस्करों की नजर-

बन्दी के आदेश दिये गये हैं, उनके नामों और अन्य विवरणों के बारे में सूचना बहुत लम्बी होगी। प्रत्येक अलग अलग मामले के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करने में जितना समय और श्रम लगेगा वह सम्भवतः उससे प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। परन्तु, यदि माननीय सदस्य किसी विशेष व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो वह एकत्र करके प्रस्तुत की जायगी।

(ग) विदेशी मुद्रा अनुरक्षण तथा तस्करी निरोध अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत, कानूनी अदालत में मुकदमा चलाने की कोई व्यवस्था नहीं है। परन्तु जिस मामले में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत मुकदमा चलाने के लिये पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, उस मामले में उस अधिनियम के अन्तर्गत यथोचित कार्रवाई की गई है।

नजरबन्द तस्करों की सूची

1. श्री हाजी मस्तान मिर्जा
2. श्री सुकर नारायण बखिया
3. श्री लल्लू जोगी
4. श्री भाना खालपा पटेल
5. श्री रतिलाल देवाभाई नाविक
6. श्री के० एस० अब्दुल्ला
7. श्री कान्ती लाल नानचन्द शाह
8. श्री नाथलाल रूपसी शाह
9. श्री राजाबल्ली हीरजी मेघानी
10. श्री अरविन्द लीलाधर ढोलकिया
11. श्री ललित लीलाधर ढोलकिया
12. श्री वर्द्धराज मुनुस्वामी मुदालियर
13. श्री यूसुफ़ अब्दुल्ला पटेल
14. श्री एस० एम० ए० सिद्दीक
15. श्री वी० एम० जी० मरिअप्पा वण्डायर
16. श्री रामलाल नारंग
17. श्री घमण्डीराम के० वोवानी
18. श्री सैयद इश्तिआक अहमद
19. श्री नन्द किशोर वर्मा
20. श्री दयाशंकर कपूर

21. श्री श्याम बिहारी
22. श्री डाली चन्द
23. श्री श्रीकिशन

आयकर को बकाया राशि

525. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :
श्री जगदीश भट्टाचार्य :
श्री दीरेन दत्त :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर की बकाया राशि के नवीनतम आंकड़े क्या हैं और गत तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में बकाया राशि के आंकड़े क्या थे;

(ख) गत वित्तीय वर्ष में आयकर की कितनी राशि बटटे खाते डाली गई; और

(ग) बकाया राशि वसूल करने के लिये सरकार ने क्या अतिरिक्त कदम उठाये हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) कर की बकाया रकम के आंकड़े प्रत्येक तिमाही के अन्त में संकलित किये जाते हैं। निगम कर सहित आयकर की बकाया के नवीनतम आंकड़े 31 दिसम्बर, 1975 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध हैं। सकल मांग की रकमें और निगमकर सहित आयकर की शुद्ध बकाया की रकमें, उक्त तारीख को और वित्तीय वर्ष 1972–73, 1973–74 और 1974–75 के अन्त में निम्न प्रकार थीं :—

	(करोड़ रुपये में)	
निम्नलिखित तारीख की स्थिति के अनुसार	सकल मांग	शुद्ध बकाया
31–3–1973 . .	790.02	483.10
31–3–1974	815.60	471.13
31–3–1975 .	935.96	537.42
31–12–1975	925.50	654.52

(ख) वित्तीय वर्ष 1974–75 में बटटे खाते डाली गई, निगम कर सहित आयकर की कुल रकम 4.81 करोड़ रुपये थी।

(ग) बकाया मांग की वसूली के लिये, आय कर अधिनियम, 1961 में दिये गये उपायों में से प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक उपाय काम में लाये जाते हैं, और वसूल नहीं होने योग्य मांग को बटटे खाते डाल दिया जाता है।

बजट से पूर्व जमाखोरी रोकने के लिए कार्यवाही

526. **श्री नरेन्द्र कुमारी साँघी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बजट से पूर्व जमाखोरी रोकने के लिए कुछ उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त उपाय अपने उद्देश्य को पूरा करने में कहां तक सफल पाये गये ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क). जी, हां ।

(ख) देश में बजट से पूर्व जमाखोरी को रोकने के लिये सरकार द्वारा किये गये मुख्य उपाय नीचे बताये गये हैं :

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 224(3) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने 15 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले 4 सप्ताहों के दौरान घरेलू खपत के लिये उत्पादन शुल्क लगने योग्य माल की निकासियो को सीमित कर दिया है। इस अवधि के दौरान, घरेलू खपत के लिये किसी कारखाने अथवा मालगोदाम से उत्पादन शुल्क लगने योग्य माल की अनुमत्य साप्ताहिक निकासी पिछले एक वर्ष की साप्ताहिक औसत निकासियों की मात्रा अथवा मूल्य के जैसी भी स्थिति हो, 120 प्रतिशत तक सीमित है। तथापि, आवश्यक वस्तुओं, सांविधिक वितरण नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं, रक्षा अथवा अन्य सरकारी आदेशो के अन्तर्गत सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं आदि के संबंध में इन प्रतिबंधों में ढील देने के लिये उपबंध किया गया है;

(2) राज्य सरकारों को निदेश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि निर्मित वस्तुओं की नियमित निकासी की वितरण-व्यवस्था (पाइप लाइन्स) के जरिये शीघ्र प्रेषित किया जाता रहे ताकि उपभोक्ताओ को वे वस्तुएं मिलती रहें;

(3) पैकेज में रखी गई वस्तुएं (विनियमन) आदेश, 1975 को, जिसमें दरें, निर्माता के नाम तथा मूल्य को अनिवार्य रूप से अंकित करने की व्यवस्था है, अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से सख्ती से लागू किया जा रहा है कि बजट पूर्व जमाखोरी को समाप्त किया जाता है;

(4) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि मूल्य तथा स्टाक प्रदर्शित करने से संबंधित आदेशों को उपभोक्ता संरक्षण के एक आवश्यक उपाय के रूप में कार्यान्वित किया जाता रहे; तथा

(5) राज्य सरकारों को निदेश दिया गया है कि वे क्षेत्रीय स्तर पर निम्नलिखित व्यवस्था करें :—

(i) जहां कहीं उपभोक्ता से इस आशय की कोई शिकायत प्राप्त हो कि फुटकर विक्रय केन्द्रों पर माल की कमी है अथवा कोई स्टाक उपलब्ध नहीं है, वहां क्षेत्रीय अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिये तुरन्त व्यवस्था करेंगे कि थोक-विक्रेता अथवा अर्थ-थोक विक्रेता से माल सप्लाई किया जाता रहे; तथा

(ii) जिन मामलों में इस तरह की व्यवस्था के जरिये कमी को पूरा नहीं किया जा सके उनमें सिविल पूर्ति तथा सहकारिता विभाग को तुरन्त ही टेलीफोन/तार द्वारा सूचना भेज दी जायेगी जो निर्माताओं के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में जल्दी से माल भेजने की व्यवस्था करेगा।

(ग) उपर्युक्त विभिन्न उपायों को पर्याप्त उपाय कहा जा सकता है क्योंकि इस वर्ष बजट पूर्व जमाखोरी उल्लेखनीय प्रतीत नहीं होती।

भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 16 फरवरी, 1976 भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में

27 माघ, 1897 (शक)

प्रकाशनार्थ।

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

16 फरवरी, 1976

नई दिल्ली,

27 माघ, 1897 (शक)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा०का०नि० 83-अ.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 224 के उपनियम (3) के अनुसरण में, 1976 की फरवरी के सत्रहवें दिन आरम्भ होने वाली और 1976 के मार्च के पन्द्रहवें दिन समाप्त होने वाली (दोनों दिनों को सम्मिलित करते हुए,) अवधि को उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिसके दौरान उत्पाद-शुल्क योग्य माल को, जो स्थानीय उपभोग के लिए हो, हटाया जाना उक्त उपनियम के उपबंधों के अधीन होगा।

(कृष्णाकान्त)

अवर सचिव, भारत सरकार

(सं० 29/76-सी०ई०)

नियंत्रित कपड़े का उत्पादन और उसकी आवश्यकता

527. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय नियंत्रित कपड़े के उत्पादन तथा उसकी आवश्यकता की तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : कंट्रोल के कपड़े का उत्पादन इसलिए किया जाता है ताकि कुल मिलाकर जनता के कमजोर वर्गों की कपड़े की आवश्यकता

पूरी हो सके। साथ ही उनकी आवश्यकताएं कंट्रोल की किस्मों तक ही सीमित नहीं हैं क्योंकि खपत पैटर्न में नकली रेशम के वस्त्र, ब्लैन्डिड वस्त्र तथा हौजरी का माल भी सम्मिलित है। कंट्रोल के कपड़े के उत्पादन के वर्तमान स्तर जनता के कमजोर वर्ग की कंट्रोल के कपड़े की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त दिखाई पड़ते हैं।

भारत के राज्य व्यापार निगम द्वारा सऊदी अरब के साथ करार

528. **श्री हरि सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत के राज्य व्यापार निगम ने भेड़ों की सप्लाई के लिए सऊदी अरब के साथ करार पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सऊदी अरब को निर्यात के लिए ये भेड़ें किस एजेंसी द्वारा तथा कहा से खरीदी जायेंगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख). निर्यात के लिए खरीदारियां राज्य व्यापार निगम के सहयोगी सप्लायरों द्वारा की जाएँगी। अधिकांश खरीदारियां राजस्थान सरकार के भेड़ तथा ऊन निदेशालय के कार्यालय के माध्यम से राजस्थान से की जायेगी। शेष खरीदारियां मध्य प्रदेश तथा गुजरात से सहयोगी सप्लायरों द्वारा की जाएगी।

दिल्ली के क्लबों में आयातित शराब का स्टाक

529. **श्री हरि सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क विभाग के तस्करी निरोधक शाखा ने 23 जनवरी, 1976 को दिल्ली के सभी क्लबों में आयातित शराब के स्टाक को सीलबंद कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन क्लबो के नाम क्या हैं तथा सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख). 23–1–1976 को दिल्ली समाहर्ता–कार्यालय के तस्करी-विरोधी एकक ने प्रेस क्लब आफ इंडिया तथा दिल्ली फ्लाइंग क्लब, नई दिल्ली का निरीक्षण किया और आयातित शराब के उनके स्टाक को सीलबन्द किया। जनवरी, 1976 में अन्य तारीखों को दिल्ली के जिन अन्य क्लबो का निरीक्षण किया गया था उनके संबंध में इसी प्रकार की कार्रवाई की गई थी। क्लब ने, जैसा कि सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की क्रमश: धारा 11-ग तथा 11-ङ के अधीन अपेक्षित है, आयातित शराब के बारे में विभाग के पास घोषणा-पत्र दायर नहीं किया था और निर्धारित रेकार्ड नहीं रखा था जिसके कारण सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन शराब को जब्त किया जा सकता है और क्लबों पर अर्थ-दण्ड लगाया जा सकता है। जैसी कि अधिनियम में व्यवस्था है, शराब को जब्त कर लिया गया और जब्ती की एवज में जुर्माना लगाया गया।

पेंशनभोगियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान

530. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री बसन्त साठे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशन भोगियों को मंहगाई भत्ते की कुछ और किस्तें मंजूर की गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग). जीवन-निर्वाह के खर्चे में वृद्धि होने के कारण पेंशन भोगियों को राहत की तीन किस्तें पहले ही मंजूर की जा चुकी हैं। उनको और राहत देने संबंधी प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

कानपुर स्थित लक्ष्मी रतन काटन मिल्स तथा एथरटन वैस्ट मिल्स को अपने अधिकार में लेने के बारे में निर्णय

531. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री मोहम्मद इस्माइल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर स्थित लक्ष्मी रतन काटन मिल्स तथा एथरटन वेस्ट मिल्स को अपने अधिकार में लेने के बारे में आगे क्या कार्यवाही हुई है ;

(ख) क्या इस संबंध में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार तथा कानपुर स्थित काटन मिल्स के बैंकर्स के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया है ताकि उन्हें फिर से चालू करने के लिए व्यवस्था की जा सके। प्रशासनिक तथा प्रबन्धकीय आवश्यकताओं के लिए भारी धनराशि और कारगर व्यवस्थाओं की जरूरत है जिन्हें अन्तिम रूप देने में समय लग रहा है। सरकार इस ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दे रही है कि मिलों को शीघ्रातिशीघ्र फिर से चालू करने की सर्वोत्तम व्यवस्था किस प्रकार की जाए।

यूरोप के चर्मकार और चमड़ा निर्माता भारत के साथ सहयोग करने के इच्छुक

532. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री एम० कल्याणसुन्दरम् :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय देशों के चर्मकार और चमड़ा निर्माता, चमड़ा निर्यात के नये कार्यक्रम में भारत के साथ सहयोग करने के लिये तैयार हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). यूरोपीय आर्थिक समुदाय के शिष्टमंडलों ने, जो हाल ही में भारत आये थे, भारतीय चमड़ा हितों के साथ इस प्रकार के सहयोग की संभाव्यताओं पर बातचीत की। प्रतिनिधि अपनी वापसी पर अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट अपने महासंघों को प्रस्तुत करेंगे। उस के बाद ही इसके नतीजे मालूम होंगे।

पटसन वस्तुओं पर निर्यात शुल्क

533. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटसन वस्तुओं पर से निर्यात शुल्क हटाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इससे पटसन उद्योग को कहां तक सहायता मिलेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). सरकार ने पटसन की निम्नलिखित मदों पर निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया है :

		रुपये/प्रति मे० टन	
मद	तारीख	से	तक
		रु०	
कालीन अस्तर (प्राइमरी तथा सेकेन्डरी)	3–5–75	200	कुछ नहीं
हेसियन	5–6–75	600	कुछ नहीं
टाट	12–2–76	150	कुछ नहीं
पटसन धागा	–वही–	150	कुछ नहीं
पटसन डोरी	–वही–	150	कुछ नहीं
पटसन निवाड़	–वही–	200	कुछ नहीं

परन्तु पटसन केनवस तथा तिरपाल पर 200 रुपये प्रति मे० टन और बटे हुए पटसन तथा रस्से पर 150 रुपये प्रति मे० टन की दर से निर्यात शुल्क लगाया जा रहा है।

(ग) आशा है कि निर्यात शुल्क हट जाने से हमारा पटसन माल विदेशी बाजारों में प्रतियोगिता में ठहर सकेगा।

पर्यटक यातायात

534. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1975 के दौरान पर्यटक यातायात में कोई वृद्धि हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : जी, हां। 1975 में कुल 465,275 पर्यटक आए जोकि 1974 में आए पर्यटकों से 42,114 अथवा 10 प्रतिशत अधिक रहे।

भारत और पश्चिमी जर्मनी के बीच आर्थिक सम्बन्ध

535. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में ठहरने के दौरान पश्चिम जर्मनी के आर्थिक सहयोग मंत्री ने कहा कि उनके देश का दृष्टिकोण भारत के साथ आर्थिक संबंध दृढ़ करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या उस देश से आई० डी० ए० शर्तों पर और सहायता की आशा है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). जर्मन संघीय गणराज्य के आर्थिक सहयोग मंत्री परम श्रेष्ठ श्री एगोन भार के जनवरी, 1976 में हाल के भारत के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने के विभिन्न उपायों पर विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि :

(i) भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई, विद्युत उत्पादन और पारेषण और उर्वरकों का उत्पादन भावी आर्थिक सहयोग के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र होंगे।

(ii) दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, विशेषकर ऊर्जा के नए श्रोतों के विकास तथा ऊर्जा से परम्परागत श्रोतों के अधिक कुशल उपयोग में सहयोग को बढ़ाया जाए।

(iii) दोनों देशों के बीच व्यापार का विस्तार किया जाए।

(iv) जर्मन संघीय गणराज्य से गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा अधिक पूंजी लगाए जाने और दोनों देशों के उद्यमों के बीच तकनीकी और वित्तीय सहयोग की सम्भाव्यताओं का पता लगाया जाएगा।

(v) अन्य देशों में परियोजनाओं की स्थापना करने में दोनों देशों के औद्योगिक उद्यमों के बीच निकट सहयोग भावी सहयोग का महत्वपूर्ण क्षेत्र हो।

(ग) जी, हां। 1976-77 के वित्तीय वर्ष से शुरू करके जर्मन संघीय गणराज्य से भारत को सहायता अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की शर्तों के अनुसार दी जाएगी अर्थात उधार के रूप नें दी गई सहायता 10 वर्षों की रियायती अवधि सहित 50 वर्षों में चुकानी होगी और उस पर 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज लगेगा।

भारत और अल्जीरिया के ीच व्यापारिक समझौता

536. **श्री जगन्नाथ मिश्र** :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में अल्जीरिया के साथ कोई व्यापारिक समझौता हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) करार की मुख्य मुख्य बातें निम्नोक्त प्रकार है :—

(1) दोनों देश, एक दूसरे को वाणिज्य को परम मित्र व्यवहार प्रदान करेंगे ।

(2) दोनों देशों के बीच व्यापार से सम्बन्धित भुगतान, मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में किए जाएगें ।

(3) व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों का आयोजन करने और उनमें भाग लेने के लिये दोनों देश एक दूसरे को सुविधाएं प्रदान करेंगे ।

(4) इस करार में दोनों देशों के बीच व्यापार का विकास सुनिश्चित करने के लिए तथा इस करार के कार्यान्वयन का पुर्नावलोकन करने के लिए एक संयुक्त समिति स्थापित करने की व्यवस्था है ।

(5) यह करार एक वर्ष की अवधि के लिए वैध है और इसके बाद और आगे इतनी ही अवधियों के लिए स्वतः नवीकृत हो जाएगा ।

बैंकों के माध्यम से निर्यात के लिए नकद सहायता

537. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैंकों के माध्यम से निर्यात के लिये नकद सहायता देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या लाभ हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख). निर्यातकों को बैंकों के माध्यम से नदक मुआवजा सहायता देने की प्रस्थापना विचाराधीन है ।

पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों के साथ व्यापार

538. **श्री एम० कत्तामुत्तु :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों के साथ हमारे व्यापार में काफी वृद्धि हो रही है ;

(ख) क्या समाजवादी देशों के साथ हमारा व्यापार अनुकूल शर्तों पर चल रहा है; और

(ग) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और हमारे कुल विदेश व्यापार की तुलना में समाजवादी देशों के साथ हमारा वर्तमान विदेश व्यापार कितना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). जी हां।

(ग) पूर्व यूरोपीय समाजवादी देशों के साथ (यूगोस्लाविया को छोड़कर) भारत का व्यापार अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में सन्तुलित समाशोधन लेखाओं द्वारा किया जाता है। भारत मे किए गए आयातों से जो धनराशि एकत्र होती है उसे इन देशों के भारतीय रुपयों के लेखाओं में जमा कर दिया जाता है जिसे केवल भारत से निर्यातों द्वारा ही निपटाया जा सकता है।

पिछले तीन वर्षों में भारत और पूर्व यूरोपीय समाजवादी देशों (यूगोस्लाविया समेत) के साथ कुल कारोबार निम्नलिखित था :—

(करोड़ रुपये)

वर्ष	आयात	निर्यात	योग
1972–73 . .	231	470	701
1973–74 . .	400	488	888
1974–75 . .	653	681	1334
1975–76 . .	265	335	600

अप्रैल–सितम्बर

हमारे अखिल विश्व व्यापार में पूर्व यूरोपीय समाजवादी देशों से किये गये आयातों का भाग लगभग 14 प्रतिशत और उन्हें किये गये निर्यातों का भाग लगभग 21 प्रतिशत है।

कंट्रोल का कपड़ा

539. **श्री रानेन सेन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में मिलों के पास 6000 वर्गमीटर न बिका हुआ कंट्रोल का कपड़ा पड़ा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) इस समय देश में कपड़ा मिलों द्वारा कंट्रोल का कुल कितना कपड़ा तैयार किया जाता है ; और

(क) इसमें पश्चिम बंगाल की कपड़ा मिलों का दायित्व कितना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). 31–1–1976 को, ऐसे नियंत्रित कपड़े का स्टाक, जो पश्चिम बंगाल में मिलों के पास बिना बिका या बिके बाद बिना उठाया हुआ बचा रहा, लगभग 8369 गांठें होने का अनुमान है। यह संग्रह कपड़े के मंदे बाजार के कारण हो गया। मिलों से नियंत्रित कपड़े को जल्दी निपटाने के लिये उसके आबंटन तथा माल उठाने की प्रक्रियाओं को हाल में सरल बना दिया गया है।

(ग) तथा (घ): गत तीन तिमाहियों में नियंत्रित कपड़े का कुल उत्पादन और पश्चिम बंगाल की मिलों के लिये निर्धारित दायित्व निम्नोक्त प्रकार है :—

(आंकड़े दस लाख वर्गमीटरों में)

अवधि	पश्चिम बंगाल में मिलों के लिये निधारित दायित्व	देश में कुल उत्पादन
अप्रैल-जून, 1975	10.58	177.87
जुलाई-सितम्बर, 1975 . .	8.83	145.65
अक्तूबर-दिसम्बर, 1975 . . .	9.96	168.57

श्रीलंका के साथ व्यापारिक समझौता

540. **श्री राम सराय पाँडे :**
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका के साथ हाल ही में कोई व्यापारिक समझौता किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). श्रीलंका के साथ हाल ही में कोई व्यापार करार नहीं किया गया। परन्तु 9 तथा 10 फरवरी, 1976 को आर्थिक, व्यापार तथा तकनीकी सहयोग के लिये भारत-श्रीलंका संयुक्त आयोग की एक बैठक हुई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दोनों देशों के बीच व्यापार के प्रवाह की समीक्षा की गई थी।

पर्यटन कार्यालय

541. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन,** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश स्थित हमारे पर्यटक कार्यालयों का कार्य सन्तोषजनक न होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) उनके कार्य को सुधारने और उनके कारगर ढंग से काम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). भारत सरकार के विदेशों में स्थित पर्यटन कार्यालयों का काम अच्छा रहा है। इन

कार्यालयों के प्रभावी कार्य का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि 1975 में हमारे देश में पर्यटकों के आगमन में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि विश्व-व्यापी वृद्धि केवल 2 प्रतिशत थी और लम्बी यात्रा वाले पर्यटन के क्षेत्र में तो 15 प्रतिशत की कमी ही हुई ।

2. भारत के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख विदेशी पर्यटक मण्डियों में पर्यटन विभाग के 14 पर्यटन कार्यालय हैं। इन कार्यालयों के कार्यों में ये शामिल हैं :—भारत के पर्यटक—आकर्षणों का प्रचार; पर्यटक सूचना का प्रसार; प्रदर्शनियों तथा विशेष भारत-रात्रियों का आयोजन; समाचार-पत्रों में विज्ञापन एवं लेखादि जारी करना; भारत में उपलब्ध नवीनतम सुविधाओं के बारे में मासिक सूचना-पत्रों को जारी करना ; दूरदर्शन, यात्रा क्लबों, विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों आदि के माध्यम से भारत पर बने पर्यटन वृत्त चलचित्रों का प्रदर्शन, आदि ।

3. विदेश स्थित पर्यटन कार्यालय भारत सम्बन्धी पर्यटन चलचित्रों और संदर्भ ग्रन्थों का संग्रह रखते हैं; तथा यात्रा व्यवसाय के लिए समय समय पर सूचना पत्र जारी करते रहते हैं जिनमें कि भारत में उपलब्ध नवीनतम सुविधाओं तथा पर्यटन के आधारभूत उपादानों के विकास के बारे में सूचना का प्रकाशन होता है। पर्यटन कार्यालय महत्वपूर्ण यात्रा-लेखकों, पत्रकारों और चलचित्र निर्माताओं के लिए पर्यटन विभाग के अतिथियों के रूप में भारत दर्शन की व्यवस्था भी करता है जिसके परिणामस्वरूप भारत को यात्रा पत्रिकाओं और दूरदर्शन कार्यक्रमों आदि में निःशुल्क प्रचार का लाभ प्राप्त होता है। विदेश स्थित पर्यटन कार्यालयों द्वारा भारत आने वाले संभावित पर्यटकों को पर्यटन साहित्य की औसतन 40 लाख प्रतियां बांटी जाती हैं ।

भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष

542. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के विरुद्ध शुरू की गई जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क), (ख) और (ग). भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा दिये गये कुछ फ़र्नीचर के ठेकों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच जारी है।

भूमिहीन मजदूरों के लिए संस्थागत ऋण

543. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिहीन मजदूरों को संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिये अन्य एजेंसियां बनाने के लिये नई योजनायें तैयार की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख). वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अधीन की जा रही है। इन बैंकों के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है छोटे

और मार्जिनल किसानों, भूमिहीन किसानों तथा ग्रामीण शिल्पियों को, प्रभावशाली ढंग से मदद देने का प्रयास करना। फ़रवरी, 1976 के अन्त तक ऐसे 10 बैंकों की स्थापना की जा चुकी है।

ग्रामीण बैंक सीधे तथा उन कृषक सेवा समितियों के माध्यम से ऋण की व्यवस्था करेंगे, जिनका मुख्य उद्देश्य किसानों को विशेष रूप से छोटे, मार्जिनल किसानों और खेतीहर मजदूरों को समेकित सहायता देना है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने फ़ालतू जमीन पाने वाले भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को उनकी कार्यचालन पूंजी के लिये तथा दीर्घकालीन आवश्यकताओं के लिये वित्तीय सहायता देने की योजना बनाई है। ये बैंक भूमिहीन मजदूरों को तथा विशेष रूप से बंधुआ मजदूरी से छुड़ाये गये मजदूरों को कृषि से सम्बन्धित कार्य करने के लिये भी प्रोत्साहित कर रहे हैं।

Development of Bird Sanctuary near Bharatpur

544. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Tourism & Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Prime Minister recently visited the bird sanctuary near Bharatpur ;

(b) whether she made some suggestions for its development and if so, whether any scheme has been formulated for its development on the basis thereof ; and

(c) the expenditure to be incurred thereon and the time by which the scheme will be implemented ?

Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes Sir, the Prime Minister went to the sanctuary on a private visit on 8th February.

(d) and (c). The Prime Minister observed that the road passing through the sanctuary is a disturbance. A comprehensive management plan for the sanctuary already exists, in which this item, along with other measures for the improvement of the sanctuary, has been taken into account. The management plan is still under Government's consideration.

Seizure of Contraband Goods

545. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Finance** by pleased to state :

(a) whether custom officers have seized contraband articles worth Rs. 2·25 lakh from two ships known as Dwarika and mohammadi and if so, the names of persons found smuggling such contraband goods ; and

(b) whether it has also been found out as to who had sent these contraband goods and whether any of them has been arrested ?

Minister of State in Charge of Department of Revenue and Banking (Shri Pranab Mukherjee) : (a) and (b). During January-February, 1976, contraband goods valued Rs. 3·07 lakhs approximately were seized from the ship S. S. Dwarika. During the same period contraband goods valued Rs. 3·83 lakhs approximately were also seized from the ship S. S. Mohammadi. It has not yet been found out as to who had sent these contraband goods. However, in connection with the seizures made from the ship S. S. Dwarka, two persons, Thottiyal M. Abdul Rehman and A. C. Fernandez have been arrested. The goods seized from the ship S.S. Mohammadi were unclaimed. Further investigations are in progress.

Confiscation of Properties of Smugglers

546. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the names of smugglers whose property has been confiscated or on whom notices have been served for confiscation of their property alongwith the value thereof after enforcement of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act ?

Minister of State in charge of Department of Revenue and Banking (Shri Pranab Mukherjee) : Competent Authorities who are entrusted under the Smugglers and Foreign Exchange manipulators (Forfeiture of Property) Act with the task of confiscating the properties took over towards the and of January, 1976. Notices for confiscation have so far been issued in 27 cases (smugglers relatives/associates) and the relevant details are as per **annexure.**

(Placed in Library *See* No. L/T 10427).

गैर योजना व्यय और योजना व्यय में अनुपात

547. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष सहित गत तीन वर्षों में भारत के प्रत्येक राज्य में गैर-योजना व्यय और योजना व्यय में क्या अनुपात रहा है ;

(ख) क्या केन्द्रीय और राज्य सरकारें इस अनुपात में सुधार करने और उत्पादक व्यय में वृद्धि सुनिश्चित करने और गैर-उत्पादक व्यय में कमी करने का कोई प्रयत्न कर रही हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) प्रत्येक राज्य के पिछले तीन वर्षों के विकास एवं विकास-भिन्न व्यय का ब्यौरा सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 10428/76]

(ख) और (ग). केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों का यह प्रयास रहा है कि पिछले वर्ष में प्राप्त की गई मूल्यों में स्थिरता को किसी प्रकार के खतरे में न डालते हुये महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पूंजी लगाकर विकास की गति को तेज किया जाये । चालू वर्ष की केन्द्रीय आयोजना एवं राज्यों की आयोजनाओं में अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जैसे कृषि, सिंचाई, विद्युत उर्वरक, कोयला, पैट्रोलियम एवं सीमेंट, कागज, जहाज निर्माण और परिवहन जैसे अत्यावश्यक उद्योगों में पूंजी लगाने के लिये उच्च प्राथमिकता दी गई है । 1974–75 के लिये निर्धारित परिव्यय की तुलना में 1975–76 के लिये केन्द्र तथा राज्यों के स्वीकृत आयोजना परिव्यय में 23.6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है । साथ ही अनावश्यक और अनुत्पादक व्यय को कम करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है ।

तस्करी के माध्यम से धन का अवैध अन्तरण

548. **श्री सुरेन्द्र महन्ती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी के माध्यम से अब भी काफ़ी धनराशि अवैध रूप से देश के बाहर भेजी जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख). विभिन्न स्रोतों से प्राप्त गुप्त सूचना रिपोर्टों से पता चला है कि तस्करी और काले धन के विरुद्ध सरकार द्वारा चलाये गये सम्मिलित अभियान के परिणामतः इस प्रकार का धन जमा करने वाले व्यक्ति भारतीय मुद्रा को वास्तविक रूप में भेजकर अपनी परिसम्पत्तियां विदेशों को अन्तरित कर रहे हैं । अधीनस्थ कार्यालयों को एतदनुसार सतर्क कर दिया गया था । अब जो रिपोर्ट प्राप्त

हुई है उनसे पता चलता है कि वहिर्गमन के स्थलों पर अधिकाधिक सतर्कता बरतने के कारण मुद्रा का इस प्रकार बाहर जाना लगभग बन्द हो गया है ।

छापों के दौरान निरपराध लोगों को तंग किये जाने के बारे में शिकायतें

549. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय के विभिन्न विभागों द्वारा मारे गये छापों और तलाशियों के दौरान यह पाया गया कि उनमें सीमा-शुल्क, उत्पादन-शुल्क तथा आयकर विभाग के कुछ अधिकारी भी ग्रस्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

(ग) क्या समाहर्ता कार्यालय द्वारा मारे गये छापों के दौरान कानपुर के कुछ अधिकारियों द्वारा निरपराध व्यक्तियों को तंग करने के लिये कष्टपूर्ण तरीके अपनाने के बारे में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई थी ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

Promotion of S. C. and S. T. Employees of Reserve Bank

551. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether hurdles have been put in the promotion of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees for Reserve Bank for the last many years ;

(b) whether some memoranda have been sent to him in this regard ; and

(c) if so, Government's reaction thereto ?

Minister of State in Charge of Department of Revenue and Banking (Shri Pranab Mukherjee) (a) to (c) : Government have been receiving representations from Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees of Reserve Bank of India and various other associations looking after the interest of these communities, demanding reservations in posts filled by promotion.

According to the Bank the various schemes governing promotions of employees from one cadre to another have been formulated after protracted deliberations with the employees associations/unions. The Bank, therefore, considers it necessary to take these associations and other representative bodies into confidence before making reservations for Scheduled Castes/Tribes in posts filled by promotion. This has obviously taken time. The bank has now informed that this question is under its active consideration and a final decision will be taken before long.

Submission of memorandum by S.C. Employees of Reseeve Bank of India Hyderabad

552. **Shri Ramavatar Shashtri** : Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) whether 50 Scheduled Caste employees working in the Reserve Bank of India. Hyderabad submitted any memorandum to him in the month of January, 1976 ;

(*b*) if so, the main points thereof ; and

(c) the reaction of Government thereon ?

Minister of State in Charge of Department of Revenue and Banking (Shri Pranab Mukherjee): (a) to (c). The Scheduled Castes/Scheduled Tribes employees of Reserve Bank of India, Hyderabad in their Memorandum dated 23-1-1976 have listed points relating to implementation of Government orders providing reservations for these communities in post

filled by promotion and adequate training arrangements for these employees to enable them to take up higher responsibilities.

Reserve Bank has already issued suitable instructions for making adequate training arrangements for SC/ST employees. According to the Reserve Bank, the question of providing reservations in posts filled by promotion is under its active consideration and a final decision will be taken before long.

कोचीन से मंगलोर और बम्बई होते हुए दिल्ली तक विमान सेवा

554. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से यात्रियों द्वारा इस सेवा के उपयोग की संभावना को ध्यान में रखते हुये कोचीन से मांगलोर और बम्बई होते हुए दिल्ली तक विमान सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). इंडीयन एयरलाइन्स बम्बई और कोचीन के बीच एच एस 748 विमान द्वारा दो सीधी सेवाओं का परिचालन कर रही है। इन सेवाओं से कोचीन से दिल्ली आने वाले यात्रियों को बम्बई में उसी दिन की संपर्क सेवा उपलबध हो जाती है। इसी प्रकार दिल्ली से कोचीन जाने वाले यात्रियों को भी बम्बई में उसी दिन की संपर्क सेवा उपलब्ध हो जाती है। इंडियन एयरलाइन्स का कोचीन को मंगलौर से विमान सेवा द्वारा जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मॉंगलौर से कालीकट होते हुए कोचीन तक विमान सेवा

555. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मांगलौर से कालीकट होते हुये कोचीन तक विमान सेवा आरम्भ करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). इंडियन एयरलाइन्स का निकट भविष्य में कालीकट के मार्ग से मांगलौर से कोचीन के लिये विमान सेवा परिचालित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि सफारी एयरवेज ने बम्बई कालीकट कोचीन मार्ग पर विमान सेवा परिचालन के लिये आवेदन पत्र दिया है। आवेदन विचाराधीन है।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई योजनायें

556. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिये नई योजनायें तैयार की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है। जब कि निर्यात संवर्धन के चालू उपायों का बराबर पुनर्विलोकन किया जाता रहता है, बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार नये उपाय भी किये जाते हैं। हाल ही में जो उपाय किये गये है उनमें उल्लेखनीय है; पटसन उत्पादों पर निर्यात शुल्क का समाप्त किया जाना, पैशगी लाइसैंसों पर सीमा शुल्क की छूट, सीमाशुल्क व उत्पादनशुल्क की वापसी के तथा नगद मुआवजा सहायता के भुगतान की नयी प्रक्रिया, विदेशों में प्रदर्शनियों मेलों में अधिक जोरदार ढंग से भाग लेना तथा कारोबार के संबंध में यात्रा के लिये विदेशी मुद्रा रिलीज करने की नई उदार प्रक्रिया आदि।

स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि

557. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 के अन्त तक स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा उसके सहायक बैंकों चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों, अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा गैर-अनुसुचित वाणिज्यिक बैंकों में कुल जमा राशि कितनी थी;

(ख) वर्ष 1975 के अन्त तक गैर-बैंकिंग कम्पनियों में कुल जमा राशि कितनी जमा थी, और

(ग) क्या 1974 और 1975 के वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि की वृद्धि दर में कमी हुई है?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) सम्बन्धित आंकड़े नीचे दिये जा रहे हैं :–

जमायें (अन्तः बैंक जमाओं को छोड़कर)

दिसम्बर, 1975 के अन्त की स्थिति

बैंक समूह	करोड़ रुपयों में
1. स्टेट बैंक आफ इंडिया और उसके अनुषंगी बैंक . .	3822
2. 14- राष्ट्रीयकृत बैंक	7533
3. अन्य अनुसूचित वाणिज्यि बैंक	2127
4. गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक†	20

आंकडे अनन्तिम हैं

†मार्च 1975 के बारे में हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि गैर बैंकिंग कम्पनियां द्वारा भेजी गई विवरणियों के आधार पर उन की जमाओं विषयक उपलब्ध आंकड़े जिनका सर्वेक्षण पूरा

हो चुका है, मार्च, 1975 के अन्त के बारे में है। उस तारीख को गैर बैंकिंग कम्पनियों की जमायें 727.8 करोड़ रुपये थी।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंक की जमाओं में वृद्धि की दर जो कि 1973 के दौरान 22.1 प्रतिशत थी, घटकर, 1974 के दौरान 11.84 प्रतिशत हो गई थी, परन्तु 1975 के दौरान वृद्धि की यह दर बढ़कर 17.05 प्रतिशत हो गई है।

लघु उदयोग तथा राज्य सरकारों की अवासा योजनाओं की सहायता करने में जीवन बीमा निगम की भूमिका

558. **श्री पी० रंगानाथ शिनाय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग तथा विभिन्न राज्य सकारों की आवास योजनाओं को सहायता देने में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा क्या भूमिका निभाई गई है ; और

(ख) क्या जीवन बीमा निगम की वर्ष में 1976 में इन क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों का प्रसार करने की कोई योजना है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जीवन बीमा निगम, राज्य वित्तीय निगमों द्वारा जारी किये गये शेयरों और बंध पत्रों में अंशदान करके और सहकारी समितियों तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिए ऋण की मंजूरी कर के लघु क्षेत्र के उद्योगों की सहायता करता है ।

जीवन बीमा निगम निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये गये आवंटन के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों को आवास ऋण देता है ।

(ख) साधनों की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए, जीवन बीमा निगम वित्तीय वर्ष 1976-77 में इन योजनाओं के अन्तर्गत बजट संबंधी आवंटनों में वृद्धि की परिकल्पना करता है ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उद्योग को दी गई वित्तीय सहायता

559. **श्री पी० रंगानाथ शिनाय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने वर्ष 1975 में सरकारी उद्योगों, गैर सरकारी क्षेत्र के बड़े तथा मध्यस्तरीय उद्योगों तथा लघु उद्योगों को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने लघु उद्योगों को अपेक्षाकृत कम सहायता दी है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) से (ग) पिछले 1974-75 जुलाई-जून के लेखा वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०

डी० बी० आई०) द्वारा सरकारी क्षेत्र, संयुक्त तथा सहकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक प्रतिष्ठानों की मंजूर की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है :--

(लाख रुपयों में)

योजना	1974-75 (जुलाई-जून) के दौरान मंजूर की गई वित्तीय सहायता			जोड़
	सरकारी क्षेत्र	संयुक्त तथा सहकारी क्षेत्र	गैर सरकारी क्षेत्र	
1. औद्योगिक प्रतिष्ठानों को प्रत्यक्ष ऋण (निर्यात के लिए दिये गये ऋणों को छोड़कर) तथा उनके शेयरों की हामीदारी .	27.10	26.20 (4.60)	25.10	78.40
2. औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त पोषण .	---	0.70*	105.00	105.70
3. पुनर्भुगतान .	23.20	1.80*	89.40	114.40
4. निर्यात के लिए प्रत्यक्ष ऋण .	8.70	---	7.20	15.90
5. निर्यात ऋणों का पुनर्वित्त पोषण	0.30	--5	17.50	17.80
जोड़ .	59.30	28.70	244.20	332.20

टिप्पणी : (क) कोष्टक में दिये गये आंकड़े सहकारी क्षेत्र को दी गयी सहायता के द्योतक है जो मुख्य आंकड़ों में शामिल हैं।

(ख) ये आंकड़े केवल सहकारी क्षेत्र के द्योतक हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र के छोटे पैमाने, मध्यम पैमाने और बड़े पैमाने के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को मंजूर की गई सहायता का वर्गीकरण केवल निम्नलिखित के सम्बन्ध में उपलब्ध है :-

(क) उपर्युक्त क्रम सं० 1 की प्रत्यक्ष परियोजना सहायता; और

(ख) उपर्युक्त क्रम सं० 2 के औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त पोषण। सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित है :—

(करोड़ रुपयों में)

निजी क्षेत्र के उद्योगों का वर्गीकरण	प्रत्यक्ष सहायता	पुनर्वित्त
1. छोटे पैमाने के . . .	—	73.10
2. मध्यम पैमाने के . .	7.20	31.90
3. बड़े पैमाने के . .	17.90	—
	25.10	105.00

राज्यो के वित्तीय निगम, निगमित और सहकारी क्षेत्रों के ऐसे प्रतिष्ठानों को ऋणो के रूप में अधिकतम 30 लाख रुपये तक की प्रत्यक्ष सहायता मंजूर करते हैं जिनकी शेयर पूंजी और प्रारक्षित निधि एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सामान्यता : औद्योगिक प्रतिष्ठानों की रुपया ऋणों के रूप में प्रत्यक्ष सहायता की मंजूरी की केवल ऐसी मांगों पर विचार करती हैं जो 30 लाख रुपये से अधिक की हो। इसीलिए छोटे पैमाने के उद्योग प्रत्यक्ष सहायता के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्य क्षेत्र में सामान्यतः नहीं आते।

विकास बैंक की सहायता उन औद्योगिक छोटे पैमाने के क्षेत्र को भारतीय औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त की बैंक की योजनाओं के माध्यम से दी जाती हैं जो मुख्य रूप से छोटे और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के लिए हैं। छोटे पैमाने की भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की जो सहायता 1973-74 (जुलाई-जून) में 2510 आवेदन पत्रों पर 27.80 करोड़ रुपये (66 प्रतिशत) थी, वह बढ़कर 1974-75 (जुलाई-जून) में 6007 आवेदन पत्रों पर 73.10 करोड़ रुपये (69 प्रतिशत) हो गई।

न्यूयार्क में भारतीय व्यापार मेला

560 श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूयार्क में फरवरी, 1976 के शुरू में समाप्त हुए भारतीय व्यापार मेले से भारत ने अच्छा व्यापार किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ;

(ग) भारत से भाग लेने वालों की कुल संख्या क्या थी; और

(घ) क्या अमरीका में आयोजित यह पहला प्रमुख प्रकार का भारतीय व्यापार मेला था।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अमरीकी बाजार में उपभोक्ता तथा हल्के इंजीनियरी माल दोनों की बिक्री बढ़ाने के लिए व्यापार विकास प्राधिकरण ने न्यूयार्क में ग्राहक विक्रेता मिलन आयोजित किया था ।

इस मिलन के परिणामस्वरूप लगभग 9 करोड़ रुपये मूल्य के क्रयादेश मौके पर ही मिल गये । जिस उपभोक्ता माल के क्रयादेश मिले उसमें सिले-सिलाये परिधान, हस्तशिल्प की वस्तुएं, चमड़े का माल और कार एन्टेना तथा स्पीकर्स शामिल थे । इंजीनियरिंग माल जिनके लिए क्रयादेश बुक किये गये थे, वे थे : इलेक्ट्रोनिक्स संघटक, बाईसिकल के हिस्से, दस्ती औजार, गढ़ाई तथा ढलाई का माल मौके पर मिले क्रयादेशों के अलावा, अमरीकी बाजार में इन उत्पादों के लिए भारी मांग पैदा हुई जिससे दीर्घावधि विपणन सम्बन्ध हो जाने की आशा है ।

(ग) 97 ।

(घ) जी हां ।

कोणार्क (उड़ीसा) का विकास

561. **श्री अर्जुन सेठी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे हाल ही में कोणार्क गये थे जहां उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मन्दिर स्थित है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वे आश्वस्त हुए थे कि अधिक पर्यटक आकर्षित करने के लिये तथा उसके अनुरक्षण के लिये उसके और विकास के हेतु तुरन्त ध्यान दिया जाना आवश्यक है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) स्मारक के संरक्षण की समस्या की देख-रेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जा रही है तथा और आगे यह सुनिश्चित करने के लिए, कि स्मारक का प्राकृतिक सौंदर्य आस-पास के अव्यवस्थित विकास से नष्ट न होने पाए जिससे कि वहां का पर्यावरण विकृत हो जाए, पर्यटन विभाग ने निर्माण और आवास मंत्रालय के नगर व ग्राम आयोजना संगठन (टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग आर्गनाइ-जेशन) से कोणार्क के सूर्य मंदिर के आस-पास विकास कार्यों को हाथ में लेने अनुमति प्रदान करने के लिए एक आवश्यक पूर्वापेक्षा के रूप में एक मास्टर प्लान (भूमि प्रयोग योजना) तैयार करने का अनुरोध किया है । मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जाने वाला है । उसके बाद ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा राज्य सरकार के परामर्श से स्कीमों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व किसी को सौंपा जाएगा ।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा शाखा विस्तार

562. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष देश में वाणिज्यिक बैंकों की सार्वाधिक शाखायें, खुली;

(ख) यदि हां' तो उन केन्द्रों में, जहां पहले कोई बैंक नहीं था, कुल कितने बैंक खुले;

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कितनी-कितनी शाखायें खोली गयीं; और

(घ) क्या इनमें से किसी बैंक ने वर्ष 1975 में भारत से बाहर भी शाखाएं खोली हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां ।

(ख) 1975 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोले गये नये कार्यालयों की कुल संख्या 2334 थी (जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 14 कार्यालय शामिल हैं) इनमें से 734 कार्यालय ऐसे स्थानों पर खोले गये जहां पहले से कोई बैंक कार्यालय विद्यमान नहीं थे ।

(ग) 1975 वर्ष के दौरान वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोले गये कार्यालयों की बैंक समूहवार संख्या नीचे दी जा रही है :--

भारतीय स्टेट बैंक समूह . .	512
14 राष्ट्रीयकृत बैंक . .	1103
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक . . .	14
अन्य भारतीय अनुसूचित बैंक .	684
गैर अनुसूचित बैंक . .	21
जोड़ . . .	2334

(घ) 1975 वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने भारत से बाहर 14 नये कार्यालय तथा एक चलता फिरता कार्यालय, खोले ।

एयर इंडिया में प्रशिक्षित विमान चालकों की कमी

563. **श्री धामनकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोइंग 707 तथा नये बोइंग 747 के लिए एयर इंडिया में प्रशिक्षत विमान चालकों की बहुत कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन विमानों के चालकों के 'कमान्ड तथा सिमुलेटर' प्रशिक्षण के लिये क्या तुरन्त कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) (क) और (ख) एयर इण्डिया में फिलहाल विमान चालकों की कुछ कमी है जिसका कारण यह है कि कुछ विमान चालकों ने त्याग पत्र दे दिए हैं तथा कुछ और अस्थायी तौर पर डाक्टरी जांच में अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं ।

(ग) विमान चालकों का बोइंग 707 तथा 747 विमानों पर दोनों प्रधान विमान चालकों (कमाण्डरों) एवं प्रथम अधिकारियों (फर्स्ट आफिसर्स) के रूप में गहन प्रशिक्षण जारी है ।

Amount disbursed by way of overtime allowance by Nationalised Banks

564. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) amount disbursed by way of overtime allowance by nationalised banks during the period July. 1975 to 31st December, 1975 ; and

(b) the name of the bank among them that paid the maximum amount of overtime allowance?

Minister of State in Charge of Department of Revenue and Banking (Shri Pranab Mukherjee): (a) and (b) Information regarding the amount of overtime allowancepaid by the nationalised banks to their employyees during the period July, 1975 to 31st December, 1975 is being collected to the extent available and will be laid on the Table of the House.

Tourist Traffic

565. **Shri Shankar Dayal Singh**: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the total number of foreign tourists who visited India last year ; and

(b) the name of the country from where the number of tourists was the largest ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh): (a) Tourist arrivals in 1975 aggregated 465, 275.

(b) The largest number of tourists came from the United Kingdom (68,848 tourists). in 1975.

Measures taken by Nationalised banks under 20-Point Economic Programme

566. **Shri Snakar Dayal Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the measures taken by the nationalised banks under 20-point economic programme announced by the Prime Minister to eliminate wasteful expenditure ?

Minister of State in Charge of Department of Revenue and Banking (Shri Pranab Mukherjee): Public sector banks have reporte that steps have been taken to effect all-round economy in expenditure. particularly the expenditure relating to consumption of stationery, user of staff cars, telegrams and telephones, travelling allowances on tours of the officials. expenditure on furniture and fittings, on printing and publicity and on renovaton as well as construction of new buildings except in unavoidable cases. Measures have also been taken to secure an overall increase in the efficiency and productivity of the banks employees through stri nforcement of punctuality and discipline and better deployment of manpower. Public sectoı banks have also reported a substantial reduction in their expenditure on overtime allowance during the peri od July-December. 1975.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

राष्ट्रीय कृषि आयोग का वर्ष 1976 का प्रतिवेदन

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय कृषि आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन दिये जाने के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राष्ट्रीय कृषि आयोग—1976 के प्रतिवेदन—भाग 1 से 15 की एक प्रति।

(3) राष्ट्रीय कृषि आयोग के अन्तिम प्रतिवेदन में की गई महत्वपूर्ण सिफ़ारिशों सम्बन्धी एक टिप्पण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) राष्ट्रीय कृषि आयोग—1976 के प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण अंग्रेजी संस्करण के साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी॰ 10418/76]

सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंक विनियम, 1951 के संशोधन

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): मैं श्री प्रणव कुमार मुखर्जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 269 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 28 फ़रवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10419/76)

(2) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंक विनियम, 1951 के संशोधनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10420/76]

जीवन बीमा निगम (संशोधन) नियम

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 16 फ़रवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 80(ङ) में प्रकाशित हुए थे। सभा पटल पर रखती हूं। [ग्रन्थालय में रखी गयी देखिये संख्या एल टी० 1421/76]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 121 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 12 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखती हूं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–10422/76]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा 10 मार्च, 1976 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 8 मार्च, 1976 को पास किये गये भारतीय प्रकाश स्तम्भ (संशोधन) विधेयक, 1976 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

(दो) कि राज्य सभा ने 10 मार्च, 1976 की अपनी बैठक में तमिलनाडु राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1976 पास किया है ।

(तीन) कि राज्य सभा ने 10 मार्च, 1976 की अपनी बैठक में भारतीय मानक संस्था (प्रमाण चिन्ह) संशोधन विधेयक, 1976 पास किया है ।

राज्य सभा द्वारा पारित किये गये विधेयक

BILLS PASSED BY RAJYA SABHA

महासचिव : मैं निम्नलिखित विधेयक, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सभा पटल पर रखता हूं —

(1) तमिलनाडु राज्य विधानमण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1976 ।

(2) भारतीय मानक संस्थान (प्रमाण चिन्ह) संशोधन विधेयक, 1976 ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार, 15 मार्च, 1976 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) वर्ष 1976–77 के बजट (रेल) पर आगे सामान्य चर्चा ।

(2) मूंगफली के छिलके, मूंगफली की गिरी और काफी पर निर्यात शुल्क सम्बन्धी अधिसूचना का अनुमोदन करने वाले संकल्प पर चर्चा ।

(3) तमिलनाडु राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1976, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।

(4) वर्ष 1976–77 के बजट (सामान्य) पर सामान्य चर्चा ।

(5) वर्ष 1976–77 की लेखानुदान की मांगों (सामान्य) को सभा के मतदान के लिए रखना ।

जैसा कि पहले सूचित किया जा चुका है, वर्ष 1976–77 का सामान्य बजट सोमवार, 15 मार्च, 1976 को सायं 5 बजे पेश किया जायेगा ।

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

सदस्य निर्वाचित करने के लिये राज्य सभा से सिफारिश

श्री पट्टाभिराम राव (राजा मुण्डी) मैं प्रस्ताव करता हूं:—"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति से श्री वी० एन० गाडगिल द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण रिक्त स्थान पर संयुक्त समिति में अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य सभा का एक सदस्य निर्वाचित करे तथा राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार निर्वाचित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—"कि यह सभा राज्य सभा से सिफ़ारिश करती है कि राज्य सभा लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति से श्री वी० एन० गाडगिल द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण रिक्त स्थान पर संयुक्त समिति में अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य सभा का एक सदस्य निर्वाचित करे तथा राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार निर्वाचित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अनुदानों की अनुपूरक माँगे (सामान्य) 1975-76 —जारी

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1975-76—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब हम वर्ष 1975-76 के अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर आगे चर्चा करेंगे।

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : एक माननीय सदस्य ने सरकार पर आरोप लगाये हैं कि सरकार निहित स्वार्थ वाले लोगों के हाथों में खेल रही है और प्रजातान्त्रिक संस्थाओं का मज़ाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने यहां तक कहा है कि कांग्रेस दल को किस प्रकार काम करना चाहिये। मैं उनसे स्थिति के वास्तविक रूप में देखने का अनुरोध करूंगी। उन्हें सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखना चाहिये। आज की स्थिति एक वर्ष पहले से भिन्न है। एक वर्ष पहले मूल्य बढ़ रहे थे। महंगाई भत्ता बढ़ रहा था और इन सब बातों से जनसाधारण की कठिनाइयां भी बढ़ रही थीं। साथ ही व्यापार, कृषि तथा उद्योग के क्षेत्र में समूची अर्थ-व्यवस्था की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। किन्तु आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चहुंमुखी विकास हुआ है। यहां तक कि आर्थिक सर्वेक्षण से भी यह झलक देखने को मिलती है। चाहे मुद्रास्फीति विरोधी उपाय का एकमुश्त कार्यक्रम हो अथवा जमाखोरों तथा आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध खुली लड़ाई, समूची जनता ने इन उपायों का हार्दिक स्वागत किया है। यह समूची अर्थव्यवस्था में एक सामान्य सुधार ही नहीं अपितु आज आपात स्थिति में लोगों में अनुशासन

की भावना जागी है। आज हम देख रहे हैं कि लोगों में सुखद भविष्य के लिए आशाएं जागी हैं। इस वातावरण में अभी बहुत कुछ किया जा सकता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने महंगाई भत्ते की चर्चा भी की है। इस सम्बन्ध में सरकार पहले ही कह चुकी है कि और महंगाई भत्ता देने की मांग विचाराधीन है और जब भी इस पर निर्णय लिया जायेगा तो कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से परामर्श लिया जायेगा। इसके लिये वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखना होगा।

पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता देने की चर्चा भी की गयी है। हमें पेंशनभोगियों की दशा के बारे में पुनः याद दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि पेंशनभोगी कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यह एक मानवीय समस्या है। किन्तु इस मानवीय समस्या पर बजट स्थिति को ध्यान में रख कर ही विचार करना है। बजट पेश होने में अब अधिक दिन नहीं हैं। ये सारी बातें विचाराधीन हैं। श्री सेठिया ने अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को आवास निर्माण हेतु अग्रिम ऋण देने की बात की है। भारत सरकार ने निर्णय किया है कि पूरी राशि दी जाये।

सरकार ने मछली पकड़ने के ट्रेलरों का पूरा भुगतान पोत निर्माण कारखाने को पेशगी करने का निर्णय किया है। इसके साथ रुके हुये भुगतान के लिए खरीदार से वसूली करने की व्यवस्था करके गारंटी देने की व्यवस्था भी की गई है। यह व्यवस्था किसी भी प्रकार के विलम्ब को समाप्त करने के लिए की गई है।

किसी की स्मृति में डाक टिकट जारी करने के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि किस व्यक्ति की स्मृति में टिकट जारी किया जायेगा, इसका निर्णय पहले ही से ले लेना चाहिए। इस सम्बन्ध में हमारा कोई मतभेद नहीं है। किसी व्यक्ति के किसी क्षेत्र में सर्वोपरि होने पर उसके नाम पर विचार किया जा सकता है।

इस समय हमें छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिये। संसद् अपना कर्तव्य नहीं निभाती यदि वह जनता के सामने देश का सही चित्र पेश नहीं करती और केवल कुछ अनियमितताओं को ही महत्व देती है। यदि अधिकारियों या किसी के विरुद्ध किसी विशेष अनियमितता की ओर सरकार का ध्यान दिलाया जाता है तो हम उस पर कार्यवाही करने को तैयार हैं।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : अनुपूरक मांगों से मुख्य प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या बजट और बेहतर ढंग से तैयार नहीं किया जा सकता। ताकि अनुपूरक मांगों के माध्यम से इतना अधिक धन नहीं मांगना पड़े ? मन्त्री महोदय और सरकार इस बात पर ध्यान दें कि बजट के समय इन बातों पर विचार क्यों नहीं किया जाता।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : सुधार की सदैव गुंजाइश रहती है। उठाई गई सभी बातों पर विचार किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पहले अनुपूरक मांगें केवल तभी पेश की जाती थीं जब अपरिहार्य कारण होते थे या जिनकी आरम्भ में आशा नहीं होती थी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1975–76 की निम्नलिखित अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	कृषि और सिंचाई मंत्रालय		
2.	कृषि	16,54,11,000	—
3.	मीन उद्योग . .	35,43,000	1,16,00,000
4.	पशुपालन और डेरी विकास .	3,94,90,000	—
6.	खाद्य विभाग .	72,72,80,000	139,61,81,000
	वाणिज्य मंत्रालय		
12.	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	1,000	2,000
	संचार मंत्रालय		
13.	संचार मंत्रालय . .	25,25,000	—
15.	डाक तार कार्य चालन व्यय	46,30,35,000	—
17.	डाक तार पर पूंजी परिव्यय	—	20,00,00,000
	रक्षा मंत्रालय		
18.	रक्षा मंत्रालय .	6,51,000	7,70,000
19.	रक्षा सेवाएं-सेना .	26,47,28,000	—
21.	रक्षा सेवाएं-वायु सेना	23,32,91,000	—
	शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय		
25.	शिक्षा . . .	9,41,00,000	—
	ऊर्जा मंत्रालय		
27.	ऊर्जा मंत्रालय . . .	5,93,000	—
28.	विद्युत विकास . . .	—	6,16, 0,000
29.	कोयला और लिग्नाइट . .	77,11,000	31,18,91,000

1	2	3	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
विदेश मंत्रालय			
30.	विदेश मंत्रालय . .	4,95,25,000	—
वित्त मन्त्रालय			
31.	वित्त मंत्रालय . . .	90,69,000	—
33.	संघ उत्पाद शुल्क . .	7,87,97,000	—
34.	आय पर कर, संपदा शुल्क, धन कर और दान कर . .	6,66,74,000	—
35.	स्टाम्प . .	7,27,94,000	—
36.	लेखा परीक्षा . . .	1,98,06,000	—
37.	करेंसी, सिक्का निर्माण और टक्साल .	8,80,68,000	,32,17,000
38.	पेंशने . . .	3,00,00,000	—
39.	अफीम और एल्कलाइड फैक्टरियां .	3,10,60,000	—
40.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण . . .	34,20,57,000	—
41.	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय	52,14,44,000	293,75,58,000
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय			
43.	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय	3,62,000	—
44.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	15,10,24,000	7,33,69,000
45.	परिवार नियोजन .	15,13,27,000	—
गृह मंत्रालय			
46.	गृह मंत्रालय .	15,96,000	—
47.	मंत्रिमंडल . . .	23,36,000	—
48.	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	96,47,000	—
49.	पुलिस . .	20,09,91,000	35,00,000
50.	जनगणना . . .	10,00,000	—
51.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय .	25,65,65,000	3,31,21,000
52.	दिल्ली . . .	12,25,70,000	6,80,63,000

1	2	3	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
53.	चंडीगढ़ . . .	1,88,52,000	27,50,000
54.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह .	3,31,34,000	37,20,000
56.	दादरा और नागर हवेली . .	19,37,000	—
57.	लक्षद्वीप . . .	42,94,000	—
	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय		
58.	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	38,13,000	—
59.	उद्योग . . .	3,88,07,000	41,38,84,000
60.	ग्रामोद्योग और लघु उद्योग .	—	1,32,32,000
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
62.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय .	7,54,000	—
64.	प्रसारण .	7,41,79,000	—
	श्रम मंत्रालय		
66.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	2,21,10,000	—
	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय		
69.	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	9,85,000	—
70.	पेट्रोलियम और पेट्रो-रसायन उद्योग .	2,46,89,000	11,50,01,000
71.	रसायन और उर्वरक उद्योग	1,37,000	18,00,01,000
	नौवहन और परिवहन मंत्रालय		
75.	नौवहन और परिवहन मंत्रालय .	15,60,000	—
76.	सड़कें . .	8,65,44,000	—
77.	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन .	3,01,89,000	20,07,11,000
	इस्पात और खान मंत्रालय		
79.	इस्पात विभाग . .	29,69,000	79,04,00,000
81.	खानें और खनिज .	5,12,74,000	25,48,00,000

1	2	3	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
	पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय		
83.	पूर्ति और निपटान	40,00,000	—
84.	पुनर्वास विभाग	2,30,52,000	88,34,000
	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय		
86.	मौसम विज्ञान	1,40,63,000	—
87.	विमानन	4,04,37,000	—
88.	पर्यटन . . .	11,00,000	—
	निर्माण और आवास मंत्रालय		
89.	निर्माण और आवास मंत्रालय	7,46,000	—
90.	लोक निर्माण . .	1,45,62,000	1,00,00,000
92.	आवास और शहरी विकास	2,82,86,000	3,31,67,000
93.	लेखन सामग्री और मुद्रण .	4,43,02,000	—
	परमाणु ऊर्जा विभाग		
95.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान विकास और औद्योगिक परियोजनाएं	1,38,00,000	—
96.	न्युक्लीय विद्युत स्कीमें	5,97,00,000	1,26,00,000
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग		
101.	भारतीय सर्वेक्षण	1,50,00,000	—
	संसद्, संसदीय कार्य विभाग, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग		
105.	राज्य सभा . .	7,80,000	—
107.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय .	30,000	—

विनियोग (संख्या 3) विधेयक

APPROPRIATION No. 3 BILL

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि वित्तीय वर्ष 1975–76 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1975–76 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कति-

पय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1975–76 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1975–76 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और वियनयोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गए ।

Clauses 2 and 3, the Schedule, Clause 1, the enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

रेल (बजट), 1976–77—सामान्य चर्चा

RAILWAY (BUDGET) 1976-77—GENERAL DISCUSSION

अध्यक्ष महोदय : अब हम रेलवे बजट पर चर्चा आरम्भ करते हैं । इसलिये 12 घंटे का समय नियत किया गया है ।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : बजट पेश करते समय मंत्री जी ने यातायात क्षमता में अत्यधिक सुधार आदि अनेकों उपलब्धियों का दावा किया है। तथापि बजट सम्बन्धी कागजातों के साथ पेश किये प्रतिवेदन से उनके इन दावों की पुष्टि नहीं होती। रेलों की अर्थ-व्यवस्था में गतिरोध आ गया है और रेल अभिसमय समिति ने हाल ही में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भी कहा है कि यह बहुत खराब है।

रेल अर्थ-व्यवस्था सीधे देश की अर्थ-व्यवस्था से सम्बन्धित है। यद्यपि रेल मंत्रालय के अनुसार रेल अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है पर वह यह दावा करना चाहते हैं कि उसमें अत्यधिक सुधार हुआ है। यह रेल प्रशासन की आत्म-तुष्टि को दर्शाता है।

आत्म-तुष्टि का एक अन्य उदाहरण है यातायात के बढ़ने के सम्बन्ध में बढ़ा-चढ़ा कर दावे करना। रेल मंत्री ने अपने भाषण में यह दावा किया है कि कोयले, इस्पात और सीमेंट की ढुलाई में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है पर इन सभी वस्तुओं का स्टाक अभूतपूर्व ढंग से बढ़ गया और इनके प्रबन्धकों के पास इसे रखने की जगह तक नहीं है। स्टाक को कम करने की उनकी इच्छा के कारण ही कुछ समय के लिये रेल यातायात में वृद्धि हो गई थी क्योंकि कुछ समय पहले उनकी सप्लाई कम थी। अतः सप्लाई पहले ही मांग से बढ़ गई है और कुछ दिन बाद इन वस्तुओं की उठाई या खपत कम हो जायेगी। इसलिये यदि रेल मंत्री स्थिति के बारे में ऊंचे दावे करने के बजाय उसका निष्पक्ष भाव से अन्तर्दर्शन और विश्लेषण करते तो बेहतर होता।

यद्यपि विभिन्न मंत्रालय नये-नये आंकड़े दिखाकर यह बताते हैं कि उत्पादन बढ़ गया है लेकिन यह भी तथ्य पूर्ण है कि मांग घट रही है और बहुत से कारखाने बन्द हो रहे हैं तथा वहां जबरी छुट्टियां दी जा रही है और तालाबन्दी हो रही है। यह आम बात हो गई है।

रेलवे बोर्ड की सांख्यिकीय जादूगरी से आंकड़ों को तोड़ा-मरोड़ा गया है और वास्तविक स्थिति को छुपाया गया है। उदाहरणार्थ जब रेल मंत्री ने कर्मचारियो के लिये लागत के आंकड़े दिये तो उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि लागत बहुत बढ़ गई है। लेकिन कर्मचारियों पर होने वाली लागत का ब्यौरा देते समय उन्होंने प्रथम श्रेणी के अधिकारियों तथा अधिक आय प्राप्त करने वाले अन्य अधिकारियों की प्रति व्यक्ति लागत का औसत लगाया है। रेल कर्मचारियों को अब भी सबसे कम वेतन मिलता है। अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के समान उनके वेतन स्तर को ऊंचा उठाने सम्बन्धी उनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है।

राष्ट्रीय श्रम आयोग ने रेलवे के चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के वास्तविक वेतन में गतिरोध के बारे में प्रश्न उठाया है। प्रतिवेदन के प्रकाशन और तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद भी रेल कर्मचारियों का वास्तविक स्तर ऊंचा नहीं उठा है।

रेलवे की अर्थ-व्यवस्था अच्छी न होने के बावजूद भी सरकार सामान्य राजस्व के लिये लाभांश देना चाहती है। 1974–75 के दौरान सरकार ने सामान्य राजस्व में 187.47 करोड़ रुपया लिया था। पांच वर्ष पहले यह राशि 150.67 करोड़ रुपये थी। इससे पता चलता है कि सरकार राजकोष के लिये रेलवे संसाधनों को राजस्व का स्रोत के रूप में प्रयोग करना चाहती है। यही आशा है कि रेलवे की अर्थ-व्यवस्था इस संकट पर काबू नहीं पा सकी है।

मंत्री महोदय ने दावा किया है कि यात्री किराये में वृद्धि नहीं की गई है। लेकिन उन्होंने पहले ही यात्री किराये में 33 प्रतिशत की वृद्धि की है जिससे यात्रा करने वाली जनता पर बहुत भार पड़ा है। इस वर्ष रेल भाड़े की दरों में जितनी वृद्धि की गई है उससे अन्ततोगत्वा सामान्य

जनता पर अतिरिक्त भार पड़ेगा क्योंकि उद्योगपति इस भार को बड़ी सुगमता से अन्तिम उपभोक्ता पर डाल देंगे।

देश में कोयला मिलने के बावजूद भी रेल मंत्रालय रेलों का अधिकाधिक डीजलीकरण कर रहा है और करोड़ों का डीजल विदेशों से आयात कर रहा है। रेल मंत्रालय की इस नीति से कोयले की मांग घट रही है और आयातित तेल की मांग बढ़ रही है। इस पर भी रेल मंत्रालय का दावा है कि इसने आत्मनिर्भरता के मामले में काफी प्रगति की है।

मंत्री महोदय का यह दावा है कि रेलवे ने वैगन बनाने वाले उद्योगों के अधिकांश उत्पादन को उठा लिया है, सही नहीं है। यदि ऐसा होता तो वैगन बनाने वाले उद्योग बंगाल तथा देश के अन्य भागों में कर्मचारियों की बड़ी सख्या में, हजारों की संख्या में, जबरी छुट्टी क्यो करते? नई कम्पनी 'रेल इंडिया टैक्नीकल एण्ड इकोनामिक सर्विसेस लिमिटेड' स्थापित करने के सम्बन्ध में किये गये लम्बे चौड़े दावों का भी यही हाल है जिसे कि विदेशों मे नई लाइनों के निर्माण का कार्य करना है। हम जब कि अपने देश थे नई रेल लाइनों को बिछाने के कार्यक्रम को नहीं ले रहे हैं इससे देश की रेल अर्थ-व्यवस्था में गतिरोध का पता चलता है।

उत्पादन बढ़ाने तथा कार्यभार बढ़ाने की उत्सुकता में सरकार रेल संचालनों की सुरक्षा की उपेक्षा कर रही है। उनके अपने कथनानुसार पिछले 15 वर्षों में 53,308 लोग हताहत हुये और 36,813 लोग घायल हुये। ऐसा लगता है कि रेलवे ने लोगों के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा हो। मुआवजे की दर बढ़ा देने से दुर्घटनाओं को कम नहीं किया जा सकता।

यह दुःख की बात है कि रेल प्रशासन ने कर्मचारियों के सम्बन्ध में अपना पुराना रवैया अभी तक नहीं बदला। लगभग 1000 स्थायी कर्मचारियों तथा 7,000 अस्थायी और नैमितिक कर्मचारियों को अभी तक काम पर वापस नहीं लिया गया। इस सदन में बार-बार आश्वासन दिया गया है कि जिन व्यक्तियों के प्रति हिंसा अथवा तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों का आरोप नहीं है उनके मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा तथा उन्हें काम पर वापस बुला लिया जायेगा। यद्यपि हमने कई ऐसे व्यक्तियों के नाम बताये हैं फिर भी उन्हें काम पर वापस नहीं लिया गया है। नौकरशाही अफसरों का जनता विरोधी तथा कर्मचारी विरोधी रवैया ही इसके लिये जिम्मेदार हैं। इस रवैये के कारण रेल विभाग में औद्योगिक श्रम सम्बन्धों में सुधार नहीं हो सकता।

यह बड़े आश्चर्य की बत है कि जहां एक ओर कर्मचारियों पर 33 प्रतिशत कार्यभार बढ़ गया है वहां दूसरी ओर उनके वेतन में बिल्कुल वृद्धि नहीं हुई है। यही नहीं उनमें से अधिकांश लोगों की छंटनी की धमकी दी जा रही है। उन्हें भय है कि कभी भी सरकार उन्हें निकाल बाहर करेगी क्योंकि सरकार को थोड़े कर्मचारियों से अधिक फल की प्राप्ति हो रही है। पूंजी-वादी प्रणाली में जब उत्पादन बढ़ जाता है और और नई तकनीक लागू की जाती है और मानव श्रम के स्थान पर मशीनें लगाई जाती हैं तो हजारों कर्मचारी बेकार हो जाते हैं। इसी कारण तकनीक में सुधार का समर्थन करते हुये हमें आधुनिक तकनीक का विरोध भी करना है क्योंकि इससे हजारों कर्मचारी बेकार हो जाते हैं। समाजवादी प्रणाली में कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं होगा क्योंकि यह मौलिक अधिकारों में दिया गया है।

अभी तक 25 रेल कार्मिक संघ कर्मचारी आंसुका के अन्तर्गत नजरबन्द हैं। उन्हें नजरबन्द रखने का मुख्य उद्देश्य मजदूर संघ को समाप्त करना है। आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ ऐसोसिएशन द्वारा प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने रेल मंत्रालय के विरुद्ध कुछ गम्भीर आलोप लगाये हैं। 1973 में लोको हड़ताल हुई थी। उस समय एक समझौता हुआ था जिसके अन्तर्गत एक शिकायत समिति बनाई गई थी। सरकार ने कुछ आश्वासन दिये थे। उनकी शिकायत यह है कि वे आश्वासन पूरे नहीं किये गये हैं। यह निर्णय किया गया था कि सीधी भर्ती नहीं होगी।

बचत के नाम पर अधिक कोयला उपयोग में लाने वाले व्यक्तियों को दण्डित किया जा रहा है। इस अपराध पर रेल चालकों को सेवानिवृत्त किया गया है। एक अन्य कर्मचारी पर 11,000 रुपये जुर्माना किया गया है, जोकि उसके वेतन से 450 रुपये प्रति मास की दर से काटा जा रहा है। इस प्रकार कई कर्मचारी भुखमरी का सामना कर रहे हैं। आज जबकि व्यापक आर्थिक उपाय बरते जा रहे हैं, यह सब होते हुये भी राष्ट्रीय राजस्व का बहुत ह्रास हो रहा है। रेलवे की अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाने के लिये खर्चों में कमी लाई जानी चाहिये। आजकल निराशा बढ़ रही है। स्थिति किस भी समय भड़क सकती है। श्रमिक संगठनों को तोड़ने के लिये भारी रकमें व्यय की जा रही हैं

इन वास्तविकताओं पर ध्यान दिया जाये, केवल तभी प्रबन्धमें सुधार हो सकता है तथा कर्मचारियों की दशा में सुधर सकती है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : मैं रेल मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किये गये वर्ष 1976-77 के रेल बजट का स्वागत करता हूं।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर तीन मिनट पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at three minutes past fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**
Mr. Deputy Speaker in the Chair.]

रेलवे (बजट), 1976-77 —सामान्य चर्चा—जारी

प्रो० नारायण चन्द पराशर : पिछले कई वर्षों के पश्चात इस वर्ष बचत का रेल बजट प्रस्तुत किया गया है।

वर्ष 1974-75 का बजट 113.82 करोड़ रुपए के घाटे में समाप्त हुआ जबकि 1973–74 में घाटा 115.51 करोड़ था। इस वर्ष बचत के बजट के कारण विपक्ष द्वारा विरोध का भी कम अवसर रहा।

जहां तक देश की संचार व्यवस्था का सम्बन्ध है रेलवे बजट देश की समग्र रूपेण प्रगति का द्योतक है। रेल बजट के समुचित मूल्यांकन हेतु हमें समूचे देश को ध्यान में रखना चाहिए। इस बजट में नई लाइनों का मात्र आश्वासन ही दिया गया है। इससे हमें निराशा हुई है। पिछले 9–10 वर्ष में 19.2 किलोमीटर रेलवे लाइनें बिछाई गई जोकि प्रति वर्ष 190 किलोमीटर बैठती हैं। 1974-75 में केवल 56 किलोमीटर ही नई लाइने बनी हैं। इस बारे में हम मंत्री महोदय से पुनः आश्वासन चाहते हैं। 200 करोड़ रुपए भूमिगत रेलों तथा 60 करोड़ रुपए महानगरीय रेलों के लिये स्वीकृत किये गये हैं। इसकी तुलना में यह निराशाजनक है कि इस वर्ष नई लाइनों के लिये 17.50 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से 13.95 करोड़ रुपए 14 विकासशील लाइनों के लिये हैं। इसलिए मैं योजना आयोग तथा रेल मंत्री का ध्यान इस मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि नई लाइनें बिछाने के लिये अधिक पूंजी दी जाये।

इस बारे में मैं संसद् की लोक लेखा समिति के 17वें प्रतिवेदन की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 25 वर्षों में देश में रेलवे लाइनें बिछाने में एकरूपता नहीं बरती गई। यह आवश्यक है कि 25 वर्ष से की जा रही भूल को अब सुधारा जाये तथा जिन राज्यों अथवा क्षेत्रों की उपेक्षा की गई है उन्हें उनका भाग दिया जाये।

वर्ष 1973–74 का रेल बजट रखते हुए श्री ललित नारायण मिश्र ने कहा था कि नई लाइनों का निर्माण सरबद्ध क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुरूप किया जाना चाहिए।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्री मिश्र का मनतव्य उनके साथ समाप्त हो गया है। यदि श्री मिश्र की नीति जारी रहती तो बजट में दो तीन नई लाइनों की व्यवस्था होती।

13 अगस्त, 1974, को हिमाचल प्रदेश में नांगल-तलवाड़ा रेलवे लाइन की व्यवस्था का आश्वासन देते हुए रेल मंत्री द्वारा यह शर्त लगाई गई थी कि राज्य सरकार जमीन की कीमत दे। मुख्य मंत्री ने इसका वचन दे दिया था। अब उस लाइन का अन्तिम रूप से सर्वेक्षण हो गया है, मैं रेल मंत्री से इस लाइन को बजट में सम्मिलित किये जाने का आग्रह करता हूं।

यदि इसके लिये धन की कमी है तो मैं उसके लिये एक सुझाव देता हूं। पांचवीं योजना में महानगरीय परियोजनाओं के लिये 200 करोड़ की व्यवस्था की गई है। समूचे देश का एकरूपेण विकास करने के लिये क्या यह आवश्यक नहीं है कि उसमें से कुछ धन को बचा कर उपेक्षित क्षेत्रों के लिये लगाया जाये।

किसी लाइन का उद्घाटन किये जाने के पश्चात् यह आवश्यक है कि केन्द्रीय मंत्री महोदय तथा राज्य के मुख्य मंत्री की प्रतीष्ठा को ध्यान में रखते हुए उसका निर्माण किया जाये। लोक लेखा समिति ने भी सिफ़ारिश की है कि जिन लाइनों का उद्घाटन पिछले 4-5 वर्ष में किया गया है उन्हें प्राथमिकता दी जाये।

आरम्भ की गई परियोजनाओं तथा उन परियोजनाओं जिन पर सभा में अभिवचन दिया गया है कि उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए अन्यथा समूचे देश में एक प्रकार से निराशा फ़ैल जायेगी तथा

ग्रामीण क्षेत्रों के लोग महानगरों में बसने लगेंगे। देश के प्रत्येक राज्य में एक विधान सभा है, एक उच्च न्यायालय है, एक राज्यपाल है तब क्या यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक राज्य को रेल द्वारा जोड़ा जाये।

विपक्ष के सदस्यों ने कहा था कि कुछ व्यक्तियों को रेल हड़ताल के बाद नहीं लिया गया। इस पर रेल मंत्री ने बताया था कि हिंसा के मामलो में, जिन पर न्यायालय विचार कर रहे हैं, कुछ नहीं किया जा सकता। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जिन व्यक्तियों को बहाल नहीं किया गया उन पर पुन: विचार किया जाये। हिंसा के आरोपों के मामलों को भी मंत्री महोदय स्वयं अथवा उनके सहयोगी मंत्री समय निकालकर निपटाएं।

मैं श्री मुखर्जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि आपातकालीन स्थिति में औद्योगिक सम्बन्धों में ह्रास हुआ है। आपात स्थिति में रेलों की कार्यक्षमता में पर्याप्त सुधार हुआ है। एक जांच से स्पष्ट हुआ है कि रेलवे के 95 प्रतिशत कर्मचारी समय पर आते हैं। मैं रेलवे प्रशासन में सुधार लाने के लिये श्री कमलापति त्रिपाठी को बधाई देता हूं।

मैं हिमाचल प्रदेश में कालका—परामनु और जगाधरी—बांटा लाइनों का तथा पंजाब में चण्डीगढ़—राजपुरा लाइनों के बनाने का समर्थन करता हूं। कांगड़ा वैली रेलवे के लिये सरकार न केवल संसद के प्रति अपितु पूरे देश के प्रति वचनबद्ध है। नांगल—तलवाड़ा लाइन का देश भर के लगभग 50 संसद सदस्यों ने समर्थन किया है। रेल मंत्रालय के सम्मुख पूंजी की समस्या को ध्यान में रखते हुए फ़ैसला किया गया था कि प्रधान मंत्री द्वारा तथा भूतपूर्व रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र द्वारा उद्-घाटित रेलवे लाइनों को पूरा किया जायेगा। उत्तर तथा पश्चिम भारत के राज्यों के मुख्य मंत्रियों की भी राय है कि पहले से उद्घाटित लाइनों को पहले पूरा किया जाये। पिछले प्रगतिशील दशक में संतोष-जनक प्रगति हुई है। हमें उम्मीद है कि वर्तमान दशक पहले से अधिक गतिशील रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं रेल बजट का समर्थन करता हूं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर) : यात्री भाड़ों में वृद्धि न किये जाने का हर कोई स्वागत करेगा। ऊपरी तौर पर देखने से यह बजट बचत का बजट है। परन्तु रेल मंत्री के भाषण का अवलोकन करने पर पता चलता है कि रेलवे में वित्तीय सुधार नहीं किया जा सका। बार बार देखने में आया है कि संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्यवाही नहीं की गई है। मैं ने पिछले वर्ष भी कहा था कि रेलवे बोर्ड के बारे में प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिएं। वर्ष 1965—66 तक हमारा बजट बचत का रहा है। तत्पश्चात घाटे के रेल बजट ही लाये गये है। वर्तमान बजट कहने को बचत का बजट है परन्तु वास्तविक वित्तीय स्थिति क्या है ? आर्थिक विकास एवं प्रगति के लिये आवश्यक नई लाइनों का निर्माण वित्तीय अभाव के कारण नहीं किया जा रहा। विकास तथा देश की अर्थ-व्यवस्था के लिये नई लाइनों की आवश्य-कता है। लोक लेखा समिति ने बताया है कि रेलवे बोर्ड जिसमें कि विशेषज्ञ होने चाहिए, रेलवे की वित्तीय प्रबन्ध व्यवस्था को वैज्ञानिक नहीं बना पाया और न ही रेलो के लिये कोई वैज्ञानिक तथा युक्तिसंगत प्रक्रिया अपनायी जा सकी है।

लोक लेखासमिति ने इस आशय की ओर भी ध्यान दिलाया है कि रेलवे प्रशासन राजधानी जैसी प्रतिष्ठित गाड़ियां चलाने में तो बहुत तीव्रता बरतता है परन्तु कोई दीर्घकालीन योजना तैयार नहीं कर पाया है जिससे अधिकांश रूप से तदर्थ रूप से काम चल रहे हैं। रेलवे बोर्ड ने बार बार बताया है कि विश्व के कितने देश रेलों द्वारा सामाजिक दायित्व निभाने के लिये प्रतिपूर्ति करते हैं। जिन कम्प-नियों के कर्मचारी मासिक टिकटों का उपयोग करते हैं उन्हें रेलवे को प्रतिपूर्ति करनी चाहिए।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : आप चाहते हैं कि रेलवे लोक डीजल से धन लें ?

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं ऐसा नहीं कहती । मैंने अपना सुझाव दे दिया है । यदि इसे स्वीकार किया जाता है तो रेलों की हानि में 40 करोड़ रुपए की कमी आ जायेगी ।

इस वर्ष के बजट में जनता की सेवाओं में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं ।

मंत्री महोदय ने कहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम को दृढता से क्रियान्वित किया जा रहा है । लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता । इस 20 सूत्री कार्यक्रम में एक मद यह भी है कि कर्मचारियों को प्रबन्ध में शामिल किया जाए । इस बारे में क्या किया जा रहा है ।

दुर्घटनाओं को कम करने तथा बिना टिकट यात्रा को समाप्त करने के लिये कर्मचारियों के सहयोग के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ? रेलवे में अभी तक भी बन्धक मजदूरी चालू है । इसे समाप्त करने के यत्न किये जाने चाहिए । अवांछनीय तत्वों से छुटकारा पाने के लिये सेवानिवृत्ति का सहारा लिया जा रहा है । रेलवे प्रशासन में बड़ी हास्यप्रद बातें हो रही है । तंग किये जाने के मामलों पर बड़े अनमने ढंग से कार्यवाही की जा रही है । उपेक्षा बरतने के भी कई मामले ध्यान में आये हैं यद्यपि सभी अदालती मामलों को वापस ले लिया है ।

रेलवे कर्मचारियों को वर्दी दी जाती है । वर्दी ठीक माप की नहीं बनवाई जाती है ।

दुर्घटनाओं के कारणों के बारे में आंकड़े इस प्रकार है : 1972–73 में 2309 इंजनों के फ़ेल हो जाने के मामले हुए । वर्ष 1973–74 में यह आंकड़े 3896 थे जोकि वर्ष 1974– 75 में बढ़कर 6757 हो गये । कहा जाता है कि कार्यक्षमता में सुधार हो गया है तथा कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है । रेलवे बोर्ड में कुछ विशेषज्ञ वर्षों से कार्यरत हैं । परन्तु उनकी विशेषता इसी बात में है कि वे मंत्री महोदय तथा उनके दो सहयोगियों को गुमराह कर सकते हैं ।

तमिलनाडु के बारे में जो चर्चा हुई है उससे आपको मालूम हो गया है कि पुलिस किस प्रकार कार्य करती है । सुरक्षा अधिकारी क्या करते रहते हैं ? क्या रेलवे बोर्ड तथा रेलवे प्रशासन के अधिकारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने से वह क्यों डरते हैं ?

मंत्री महोदय ने सदन में अनेक बार आश्वासन दिया है कि जिन कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमें नहीं चल रहे हैं उन्हें पुन: सेवा में वापिस ले लिया जायेगा परन्तु अभी तक इस आश्वासन को क्रियान्वित करने के लिए कुछ नहीं किया गया है । एक ओर तो यह स्थिति है परन्तु दूसरी ओर देखिये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा से सम्बन्द्ध एक व्यक्ति को वापिस सेवा में ले लिया गया है । इतना ही नहीं अपितु उसकी पदोन्नति भी कर दी गई है । जबकि अन्य मजदूर संघों से सम्बद्ध व्यक्तियों को बहाल नहीं किया गया है । मैं यह जानना चाहती हूं कि सरकार यह दोहरी नीति क्यों अपनाती है । यह कितनी विचित्र बात है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा चलाने वाले लोग ही आपात स्थिति में अल्प संख्यकों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किये गये हैं । क्या यह स्थिति चलने दी जायेगी ? मैं समझती हूं कि रेलवे प्रशासन की पुनव्यवस्था की जानी चाहिये जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक रेलवे प्रशासन के कार्यकरण में सुधार की आशा नहीं की जा सकती ।

आप आये दिन आपात स्थिति की बात करते रहते हैं । आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बात की जाती है । हम लम्बे समय से ठीक व्यवस्था को समाप्त

करने की मांग करते चले आ रहे हैं। संसद ने इस कार्य के लिए एक समिति का गठन भी किया था परन्तु उसका परिणाम क्या निकला? इस समिति के एक सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया गया। क्या यह संसद की मानहानि नहीं है?

अब रेलवे कर्मचारियों को अबंटित आवास की समस्या को ही लीजिये। बोकारो तथा भिलाई जैसे स्थानों में जहां कि निजी आवास लगभग न होने के बराबर है वहां रेल कर्मचारियों को काफी अधिक किराया देना पड़ता है। क्या रेल की अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए तथा रेल प्रशासन कुशल ढंग से चलाने के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि रेलवे अपने आवासीय क्वार्टरों का निर्माण करें। मंत्री महोदय ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। यद्यपि उनका भाषण बहुत ही अच्छा भाषा में था। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि रेल कर्मचारियों द्वारा प्रबन्ध व्यवस्था में भाग लेने की व्यवस्था को क्रियान्वित करने के लिए हमें ठोस कदम उठाने चाहिये।

जहां तक नई रेलवे लाइनों का प्रश्न है, अच्छी तथा महत्वपूर्ण रेलवे लाइनें बिछाने के लिए हमें अल्पावधि में क्रियान्वित किया जा सकने वाला एक वास्तविक कार्यक्रम बनाना चाहिये। इसी प्रकार पुरानी लाइनों की मुरम्मत भी की जानी चाहिये तथा मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित किया जाना चाहिये।

मैंटोपलायम से कोचीन तक एक नई एक्सप्रेस गाड़ी चलाई गई है। पहले इस गाड़ी का लाभ सरकारी प्रैस में काम करने वाले कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों द्वारा उठाया जाता था परन्तु जब इसे ही एक्सप्रेस बना दिया गया तो इसका छोटे स्टेशनों पर रुकना बंद कर दिया गया अब परिणाम यह हुआ है कि यह छोटे स्टेशनों पर नहीं रुकती है तथा खाली जाती है। यदि हमें अपना औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना है तो हमें अपने रेलवे के कार्यकरण में मूलभूत परिवर्तन करना होगा। इससे सम्बन्धित एक व्यापक योजना संसद में पेश की जानी चाहिये जिसमें एक ओर उनकी वित्तीय व्यवस्था का पुर्नगठन हो तथा दूसरी ओर रेलवे की भावी योजनाओं की तस्वीर भी हो।

श्री एस० ए० कादर (बम्बई-मध्य -दक्षिण) : यह कहना काफी हद तक सही है कि आपातकालीन स्थिति के बाद भारत सरकार के अन्य किसी विभाग की अपेक्षा रेलवे के कार्य सम्पादन में अधिकाधिक सुधार हुआ है। परन्तु इसके साथ ही हमें यह नहीं समझ लेना चाहिये कि हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, अभी हमें और अधिक उपलब्धियों की ओर अग्रसर होना है।

रेलवे के बारे में अभी बहुत कुछ करना शेष है। रेल संगठन एक ऐसा महत्वपूर्ण संगठन है जिस पर सम्पूर्ण राष्ट्र की प्रगति निर्भर करती है। अतः इसके कार्यकरण को हमें क्षेत्रीयता या राज्य विशेष की दृष्टि से नहीं देखना चाहिये। रेलवे बजट पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि रेलवे की आय जोकि 1951–52 में 200 करोड़ रुपये थी, वह अब बढ़कर 1800 करोड़ रुपये हो गई है। परन्तु इसके साथ ही यह भी सत्य है कि रेलवे की लाइनों का अपेक्षित विस्तार नहीं हो पाया है। हमें इस ओर आवश्यक ध्यान देना चाहिये क्योंकि अर्थ व्यवस्था पर सभी पहलुओं से प्रभाव पड़ता है।

अलाभप्रद रेलवे लाइनों से रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ रही है। इनमें से कुछ लाइनें तो ऐसी है जिन्हें असानी से बंद किया जा सकता है और उनके बंद करने से जनता को भी अधिक कठिनाई नही होगी। इसमें भी संदेह नहीं कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए नई लाइनें बिछाई जा सकती है।

एक अन्य बात की ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। रेलवे में माल चोरी बहुत अधिक हो रही है। यह ठीक है कि आपात स्थिति के कारण अब उसमें कुछ कमी हो गई है परन्तु

फिर भी यह एक सर्वविदित तथ्य है कि सम्बन्धित पक्षों द्वारा किये जाने वाले क्षतिपूर्ति के दावों से रेलवे के राजकोष से काफी धनराशि निकल जाती है। इसकी रोकथाम के लिए अपेक्षित कदम उठाये जाने चाहियें क्योंकि ऐसा करने से हम करोड़ों रुपये की बचत कर सकते हैं।

अब हम लगभग 500 करोड़ रुपये का सामान रेलवे स्टोर के लिए खरीदते हैं तो इनमें से कुछ सामान ऐसा भी है जिसका कि आयात किया जाता है परन्तु यदि रेलवे से सम्बद्ध सामान को खरीदने के लिये पूर्ण सतर्कता बरती जाये तो उससे करोड़ों रुपये की बचत हो सकती है।

आजकल उत्पादन एककों की पूर्ण स्थापित क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है। वाराणसी स्थित डीजल लोको मोटिव वर्क्स या चितरंजन तथा पेराम्बूर स्थित फैक्टरियों में स्थापित उत्पादन क्षमता से कम उत्पादन हो रहा है। मेरा सुझाव है कि यदि इन तीनों फैक्टरियों के उत्पादन एककों को रेलवे प्रशासन से अलग करके एक स्वतंत्र निगम के अधीन कर दिया जाये तो उनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग अच्छे ढंग से किया जा सकेगा।

अब मैं एक दो बातें गाड़ियों के चलने के बारे में कहना चाहता हूं और उनके बारे में मैं प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ कहता ही हूं। मेरा अनुभव यह है कि गाड़ियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए जो समय दिया जाता है वह अधिक होता है। मैंने इस सम्बन्ध में श्री कुरेशी को पत्र लिखा था और इसके उत्तर में जो उनका पत्र मुझे प्राप्त हुआ है उसमें उन्होंने यह स्वीकार किया है कि गाड़ियों को 10 से 15 मिनट तक कुशन समय दिया जाता है। मेरा सुझाव है कि यह समय कम किया जा सकता है। यदि प्रतिदिन हमारी यात्री गाड़ियों की संख्या 2500 है तो हम प्रत्येक गाड़ी एक घंटा देर से चलाते हैं तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमें 2500 घंटों की हानि होती है। मैं समझता हूं कि यह काफी महत्वपूर्ण मामला है तथा मंत्री महोदय को इस ओर अपेक्षित ध्यान देना चाहिये।

आर० डी० एस० ओ० एक महत्वपूर्ण संगठन है। इस संगठन ने सुझाव दिया था कि रेल में डिब्बों की छत 'ग्लासफाइबर' से बनाई जानी चाहियें क्योंकि डिब्बों की छतें गर्मियों में अधिक गर्म तथा सर्दियों में अधिक सर्द हो जाती है, यह हर्ष की बात है कि अब इस सम्बन्ध में कुछ किया जा रहा है। जब मैं पैरम्बूर गया तो मैंने देखा कि छतों पर फाइबरग्लास का प्रयोग किया गया है। पूछने पर पता चला कि इससे तापमान काफी कम होगा। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने फाइबर ग्लास के प्रयोग की सिफारिश करने से पूर्व कोई परीक्षण करवाया था ? यदि नहीं तो पैरम्बूर कारखाने को इसका प्रयोग करने के लिए क्यों कहा गया ? पैरम्बूर कारखाने का कहना है कि इसके प्रयोग से केवल एक या दो सैंटीग्रेड तापमान कम होगा।

इस बात की भी जांच कराई जानी चाहिए कि हमने तीन या चार करोड़ रुपये की जो राशि व्यय की है उसका रेलवे को लाभ पहुंच रहा है अथवा नहीं। प्रायोगिक अनुसंधान का समुचित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए।

वर्ष 1940 में मैंने बम्बई निगम में एक प्रस्ताव रखा था कि मध्य तथा पश्चिमी रेलवे को बोरी बन्दर से विरार तथा चर्च गेट से कल्याण तक गाड़ियां चलानी चाहिए। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह जब बम्बई आएं तो हम सबको बुलाकर रेलवे की कठिनाइयों से अवगत हों तथा कोई हल निकालें।

रेलवे बजट पेश करने के लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। लेकिन साथ ही हमें कठिन परिश्रम करना होगा तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करना होगा। रेलवे अधिनियम में भी संशोधन किया जाना चाहिए ताकि रेलवे का कार्य सुचारू रूप से चल सके।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : रेल मंत्री बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतने बड़े उपक्रम को घाटे की स्थिति से उबारने के लिए प्रयत्न किए हैं।

रेल मंत्रालय में गत एक वर्ष में श्री त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व के कारण ही यह सफलता प्राप्त हुई है। रेलवे की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। मंत्री महोदय ने डिब्रुगढ़ एक्सप्रैस गाड़ी चलाकर जनता की मांग को पूरा किया है।

गत एक वर्ष में 56 नई रेलगाड़ियां चलाई गईं। यह सब मंत्री महोदय के कठिन परिश्रम का परिणाम है।

रेलवे बजट प्रगतिशील बजट है। अब रेलवे यातायात को पूरी तरह संभालने में पूरी तरह सक्षम है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। रेलवे कर्मचारी अब सही समय पर आते हैं तथा प्लेटफार्म साफ सुथरे रहते हैं यह एक सराहनीय बात है। रेलवे के किराए में भी कोई वृद्धि नहीं की गई है।

यह बहुत अच्छी बात है कि खाद्यान्नों, उर्वरकों, खाद्य तेलों तथा मध्य वर्ग के परिवार में काम आने वाली वस्तुओं के लाने-ले जाने पर कर नहीं लगाया गया है।

इसके अतिरिक्त रेलों की यातायात क्षमता, समय पर गाड़ियों के चलने, अनुशासन और सेवा के अच्छा होने में अत्यधिक सुधार हुआ है। रेल मंत्री ने कहा है कि गाड़ियों के आने जाने का पूरा अध्ययन किए जाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं यह बड़ा ही सराहनीय कदम है।

यह बड़ी असंतोषजनक बात है कि 23 करोड़ रुपये की प्रत्याशित बचत 63 करोड़ रुपये का घाटा बनकर रह गई है। 7 करोड़ रुपये की आवर्तियों तथा 23 करोड़ रुपये की प्रत्याशित बचत 63 करोड़ रुपये का घाटा बनकर रह गई है। चालू वर्ष के योजना परिव्यय में केवल 32 करोड़ रुपये की सीमान्त वृद्धि की गई है। इससे नई लाइनों की मांग पूरी नहीं हो सकती। मैं इस बजट को विकासोन्मुख बजट नहीं कह सकता क्योंकि इसमें केवल 32 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और यह राशि नई रेलवे लाइनें बिछाने, नई रेलगाड़ियां शुरू करने आदि के लिए पर्याप्त नहीं है।

वर्ष 1976-77 तक ऋणग्रस्तता 492 करोड़ रुपये तक हो जाएगी। रेलवे की वित्तीय स्थिति वैसी होनी चाहिए जो वर्ष 1960 में थी।

मंत्री महोदय ने कहा कि रेलवे मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त कम्पनी खोलने का प्रस्ताव है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसे स्वायत्त निगम और कम्पनियां खोलते समय हमें बड़ी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि निगम के अधिकारी प्रायः नौकरशाह, पदोन्नति के इच्छुक होते हैं। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस बात को ध्यान में रखें।

मंत्री महोदय का कहना है कि यात्री यातायात में 4 प्रतिशत कोच यातायात में 5 प्रतिशत तथा भाड़े यातायात में 12 प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह बड़ी सराहनीय बात है और यदि इसे क्रियान्वयन में लाया गया तो इससे कई कठिनाइयां दूर हो जायेंगी। इस दिशा में सभी सम्भव कार्यवाही की जानी चाहिए। रेलवे भारत का सबसे बड़ा उपक्रम है और इसके लिए इसे पूंजी निवेश पर काफी आय

कमानी पड़ेगी। राजस्व पूंजी निवेश के समनुरूप होना चाहिए। जनता के धन का सदुपयोग किया जाना चाहिए।

जहां तक अलाभप्रद लाइनों का सम्बन्ध है रेलवे को हमेशा लाभ प्रेरित उद्देश्यों से काम नहीं करना चाहिए। यह सच है कि पिछड़े क्षेत्र में तथा पर्वतीय क्षेत्र में चलने वाली गाड़ियों से उतनी आय नहीं हो सकती जितनी महानगरों में चलने वाली गाड़ियों से होती है।. सरकार को केवल जनता का हित देखना चाहिए।

बिना टिकट यात्रा करने वालों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को पकड़ने के अभियान में ढील नहीं देनी चाहिए। वास्तव में पूर्व रेलवे की कुछ गाड़ियों में फिर से लोगों ने बिना टिकट यात्रा करनी शुरू कर दी है। इस प्रवृत्ति को शीघ्र रोका जाना चाहिए।

वैगनों में क्षमता से अधिक लदान करने से कोई लाभ नहीं। इससे कोई लाभ नहीं। इससे राजस्व में वृद्धि नहीं होती। इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए।

रेलवे में प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है। रेलवे बोर्ड को जब भी कोई मांग भेजी जाती है तो उसका नकारात्मक उत्तर मिलता है। रेलवे बोर्ड को चाहिए कि वह मांगों की पूर्ति करें।

पूर्वी रेलवे में क्यूल और भरवा के बीच दोहरी लाइन बिछाने की कई बार मांग की गई परन्तु इसको पूरा नहीं किया गया। अब पूर्वी रेलवे में दिल्ली और गोहाटी के बीच गोहाटी मेल चलाई गई है। यह एक सराहनीय कदम है। लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमने हल्दिया के लिए रेल लाईन की मांग की थी। रेलवे की औपचारिक परामर्शदात्री समिति की गत बैठक में मुझे बताया गया कि सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। हमें यह बताया जाना चाहिए कि काम कब शुरु करने का प्रस्ताव है? घोघा स्टेशन पर एक विक्रय ठेके को भी समाप्त कर दिया गया है। इस बारे में मैंने कुरेशी साहब को लिखा था और अब मैं मंत्री महोदय का ध्यान भी इसी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने मंत्री महोदय को कई पत्र लिखे हैं कि इस बारे में एक नया ठेका दिया जाए ताकि यात्रियों को चाय वगैरा पीने की सुविधा मिल सकें। तीन वर्ष बीत गए हैं लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

रेलवे की यह नीति है कि जो कर्मचारी लम्बे अरसे से काम कर रहे हैं उनको अवसर दिया जाएगा लेकिन देखने में यह आया है कि बड़े-बड़े अधिकारियों के सम्बन्धियों को नौकरियां दी गई हैं। मेरा अनुरोध है कि कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों के बच्चों को रोजगार दिलाने के बारे में एक समिति की नियुक्ति की जाए जो इस मामले की छान-बीन करे कि किन अधिकारियों के बच्चों को नौकरी दी गई ?

वास्तविक सफलता तभी मिल सकती है जब प्रशासनिक सुधार किया जाए। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को चाहिए कि वे जन भावनाओं को ध्यान में रखकर कार्य करें।

अंत में, मैं मंत्री महोदय को ऐसा बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूं और यह आश्वासन देता हूं कि हम सब उनको भविष्य में भी सहयोग देते रहेंगे।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(भाग III का संशोधन)

(श्री भोगेन्द्र झा द्वारा)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को शुरु करेंगे।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

यह विधेयक एक ऐसे विषय के बारे में है जिस पर गत 6 वर्ष से देश में चर्चा चल रही है। संविधान सभा में भी इस विषय पर चर्चा की गई थी और इसके गुणदोषों पर विचार किया गया था।

हम सब जानते हैं कि स्वतन्त्रता संघर्ष के दौरान हमने यह प्रण लिया था कि हम ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं रहेंगे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ने के लिए हमने सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समानता का नारा दिया था। संविधान बनाते समय उसका सारभूत तत्व प्रस्तावना में रख दिया गया। संविधान के किसी भी अनुच्छेद, भाग या अध्याय की चर्चा करते समय प्रस्तावना को ध्यान में रखा जाता है। जो भी अनुच्छेद या खंड संविधान की प्रस्तावना, संविधान के मूल ढांचे के विपरीत जाता है उसे संविधान-विरोधी करार दिया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19(1) (च) तथा 19(1)(6) की व्यवस्था करते समय हमेशा उदारता से काम लिया। जब मूल्य पृष्ठ अनुसूची लागू की गई तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपना यह निर्णय दिया कि ऐसा संविधान के मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमें विचार प्रगट करने की पूरी स्वतन्त्रता है लेकिन समाचार पत्रों का नियन्त्रण ऐसे लोगों के हाथ में रहा है जो सम्पादकीय ज्ञान नहीं रखते। आपातस्थिति के बाद वह यह अधिकार सीमित हो गया है फिर भी समाप्त नहीं हुआ।

हम सबका यह लक्ष्य रहा है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित किया जाए और शिक्षा के मामले में किसी से भेदभाव न बरता जाए। लेकिन फिर भी आर्थिक भेदभाव करता जा रहा है। यदि कोई छात्र अपनी फीस देने में असमर्थ होता है तो उसका नाम काट दिया जाता है। विद्या मन्दिर करागारों में परिवर्तित हो गए हैं जहां सरस्वती माता धन की चारदीवारी में कैद है। ऐसा व्यक्ति तो शिक्षा केन्द्रों में प्रवेश पा जाता है जिनके मातापिता समृद्ध हैं, चाहे यह समृद्धि काले धन का परिणाम क्यों न रही हो और तब प्रशासन में उच्च अधिकारी बन जाता है परन्तु ऐसा व्यक्ति प्रवेश नहीं पा सकता जो ईमानदार और बुद्धिमान है। बड़े शर्म की बात है कि स्वतन्त्रता के 28 वर्षों के बाद भी हम नागरिकों को शिक्षा का समान अधिकार नहीं दे पाए हैं।

न्यायालयों में भी न्याय नहीं मिल रहा। यदि किसी के घर में चोरी हो जाती है या किसी पर हमला किया जाता है या मारपीट की जाती है और वह न्यायालय की शरण लेना चाहता है तो सबसे पहले उसे स्टाम्प फीस देनी पड़ती है, फिर वकीलों की फीस चुकानी पड़ती है। गरीब आदमी के पास चाहे खाने के लिए कुछ न हो परन्तु उसे न्यायालय की फीस चुकानी

ही पड़ती है। बड़े शर्म की बात है कि हमारे न्यायालय में न्याय भी बिकता है। यदि कोई अमीर है तो वह पैसे देकर न्याय खरीद सकता है। हमें कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने 12 कत्ल किए हैं फिर भी बरी हो गए हैं। यह सब पैसे के कारण है। वस्तुतः यह बड़े दुःख की बात है।

यदि धर्म की बात की जाए तो बड़े बड़े तस्करों तथा चोर बाजारी करने वालों ने मन्दिर बना रखे हैं। उन्हें स्वयं तो पूजा करने के लिए समय नहीं होता और वे एक पुजारी को नौकरी पर रख लेते हैं। बड़े बड़े तस्कर हाजी मस्तान बन गए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे देश में धर्म भी बिकता है। इससे स्पष्ट है कि हमारी कथनी और करनी में अन्तर है। यहां चुनाव भी पैसे के बल पर जीता जाता है। न्यायालय भी उसी के पक्ष में निर्णय देते हैं जो धनवान हैं।

श्री नेहरू के काल में चर्चा का विषय यह भी रहा था कि समाज के हितों को व्यक्ति के हितों से ऊपर माना जाए अथवा व्यक्ति के हितों को समाज के हितों से ऊपर माना जाए। मेरे विचार में यह चर्चा बेकार थी। व्यक्ति और समाज के हित अलग अलग नहीं हो सकते। अतः इनमें अन्तर करना व्यर्थ है। हमारी समस्या यह रही है कि समाज स्वयं तथा समाज का प्रत्येक व्यक्ति धन के प्रभाव से दबाया जाता रहा है। अतः समाज और व्यक्ति एक तरफ रहे और धन दूसरी तरफ। हमारी प्रशासनिक प्रणाली, शैक्षणिक प्रणाली, न्यायिक प्रणाली दोषपूर्ण है और इसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

गत कुछ वर्षों में यह परम्परा सी रही है कि धनवान लोग विधान सभाओं और संसद में निर्वाचित हो कर आते हैं और सभा को भंग करने की मांग शुरू कर देते हैं।

एक ओर तो ऐसे लोग हैं जो जनता को झूठे वायदे करके उन्हें प्रदर्शन करने पर मजबूर करते हैं और दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो यह समझते हैं कि जब तक धन की ताकत पर अंकुश नहीं लगाया जाता तब तक प्रजातन्त्र नहीं टिक सकता। इस लिए हमें प्रजातन्त्र के समर्थकों के पक्ष में कार्यवाही करनी होगी।

[**श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुए**
Shri Ishaque Sambhali in the Chair.]

सत्तारूढ़ दल का कहना है कि वे इस विषय पर सोच रहे हैं और फिलहाल इस बारे में विधेयक पेश करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो विधेयक मैं पेश कर रहा हूं, इस पर मेरे विचार में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

इस स्थिति में इस विधेयक को स्वीकार किया जाना चाहिये। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक पर संशोधनों सहित विचार करें।

एक माननीय सदस्य : गुजरात में दलबदल के बारे में आपका क्या विचार है।

श्री भोगेन्द्र झा : यह तब तक जारी रहेगा जब तक धनशक्ति रहेगी।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) दलबदल का क्रम काफी पहले से चलते चलते आज गुजरात तक पहुंच गया है।

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : राज्य विधान सभा में बजट पर चर्चा के दौरान गुजरात सरकार पराजित हुई है और अध्यक्ष ने विधान सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगति कर दिया है। बाद की घटनाओं की मुझे कोई जानकारी नहीं। मेरे विचार में मुख्यमंत्री ने भी त्यागपत्र दे दिया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस पर कोई चर्चा न हो।

श्री भोगेन्द्र झा : जिस सरकार का वहां पत्तन हुआ था वह लोकहित की सरकार न थी। वह जनविरोधी सरकार थी **(व्यवधान)** मेरे विचार में सत्तारूढ़ दल दलबदलुओं को हार नहीं पहनायेगी। **(व्यवधान)**। दलबदल के मामले में धनशक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे कभी किसी दल को लाभ पहुंचता है और कभी किसी अन्य दल को। सत्तारूढ़ दल इसका उपयोग अपनी सुविधा के अनुसार करता आ रहा है दुख की बात तो यही है **(व्यवधान)**।

श्री एफ० एच० मोहसिन : यह प्रासंगिक नहीं है। यदि आप ऐसा कहें तो मुझे उत्तर देना पड़ेगा।

श्री भोगेन्द्र झा : अब समय आ गया है जब हमें धन शक्ति तथा मतशक्ति के बीच के संघर्ष का समाधान करना है। ऐसी स्थिति में संविधान में संशोधन करना चाहिये तथा उस भाग को इससे हटाना है जो नागरिको के मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाता है। जहां तक शहरी आजादी का सम्बन्ध है, इसकी व्याख्या हमें नई तरफ से करनी चाहिये। राष्ट्रविरोधी काम करने वालों को देश की मुख्यधारा के साथ रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

उपखंड (च) की जो व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के सहित अन्य न्यायालयों ने की है, वह हमारी लोकतांत्रिक पद्धति के रास्ते में बड़ा रोड़ा है। "सम्पत्ति का अधिग्रहण, धारण, करना और निपटान करना" शब्दो को उपखण्ड में से निकाल दिया जाए। तथापि "किसी भी रोजगार को अपनाने अथवा कोई भी काम करने" को अपनाने अथवा कोई भी काम करने" शब्द उपखण्ड (छ) में रहने दिये जायें।

इसमें संदेह नहीं कि हम पूरी तरह से एक पूंजीवादी व्यवस्था और पूंजीवादी न्यायपालिका प्रणाली के अन्तर्गत रह रहे हैं। जब तक यह प्रणाली रहती है, वर्तमान प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन होना कठिन है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये कुछ और कानून भी पास करने होंगे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हुं "कि विधेयक को उस पर राय जानने के लिये उसे मई, 1976 के आखरी सप्ताह के अन्त तक परिचालित किया जाये।"

श्री दशरक्ष देव (त्रिपुरा-पूर्व) : मैं कुछ शर्तों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसका उद्देश्य अन्य बातो के साथ संविधान के अनुच्छेद 15(4) का भी संशोधन करना है। संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15 (4) में "आर्थिक रूप से" शब्द जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है ताकि आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियां भी इस अनुच्छेद के अन्तर्गत आ जाएं।

अनुच्छेद 15 विशेषकर अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए है। यह समझ नहीं आता कि प्रस्तावित संशोधन इसके कैसे अनुकूल होगा क्योंकि यदि -आर्थिक रूप से" शब्द अनुच्छेद 15 में जोड़ दिए जाएं तो भी इसमें सभी जातियों व समुदायों के पिछड़े लोग आ जायगे। केवल संविधान को बदलने से ही आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों का उद्धार नहीं होगा। उनके साथ न्याय नहीं होगा। इसके लिये देश को सामाजिक व्यवस्था को बदलना होगा। "आर्थिक रूप से" पिछड़े इन शब्दों के अन्तःस्थापना पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इस अनुच्छेद में इस प्रकार के संशोधन करके आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की स्थिति सुधारने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता।

संविधान के अनुच्छेद 16 में धर्म, समुदाय, जाति, जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर सार्वजनिक रोजगार के मामले में भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की गई है लेकिन इसमें उस व्यक्ति को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गयी है जो भिन्न राजनैतिक विचारधारा रखता हो। जाति, वंश और राजनैतिक विचारों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक रोजगार के मामले में सभी को अवसर की समानता प्रदान की जाये।

श्री मूलचन्द डागा : चाहे वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का ही व्यक्ति क्यों न हो।

(व्यवधान)

श्री दरशथ देव : भिन्न राजनैतिक विचारधाराओं के कारण किसी को भी रोजगार से वंचित नहीं किया जाना चाहिये। लेकिन यदि वह देश की एकता के विरुद्ध कोई काम करता हो तो यह बात भिन्न है, यह बात ठीक नहीं है कि भिन्न विचारधारा रखने वाले व्यक्ति को रोजगार न दिया जाये।

संवैधानिक दृष्टि से भिन्न राजनैतिक विचारधारा रखने पर कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है। प्रजातन्त्र के विकास हेतु विचार प्रकट करने की आजादी की रक्षा का जानी चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 19 में भाषण की स्वतन्त्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इन अधिकारों को कभी भी कार्यपालिका वापिस ले सकती है। कई बार कार्यपालिका प्रदत्त अधिकारों का दुरुपयोग करती है। अनुच्छेद 19 के खण्ड 2, 3 और 4 को हटाने के लिए जो संशोधन लाए गए हैं वह बिल्कुल सही दिशा में लाए गए हैं और यह इसलिए लाए गए हैं ताकि कार्यपालिका अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके।

प्रस्तावक ने ठीक ही कहा है कि अनुच्छेद 22 में इस आशय का कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकद्दमा चलाए नजरबन्द न किया जाए, एक उपबन्ध होना चाहिए। यह एक स्वागत योग्य संशोधन है।

अनेक मामलों में कार्यपालिका को सुरक्षा प्रदान की जाती है। नजरबंद किये गये, व्यक्ति को नजरबन्दी के कारण नहीं बताये जाते।

जब मुझे 1968 में निवारक नजरबन्दी अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया तो मुझ पर यह आरोप लगाया गया था कि मैंने लोगों को दूसरों के घर जलाने के लिए उकसाया था। लेकिन तथ्य यह था कि मैं यह घटना होने के 20 दिन पहले से अगरतला

जी0 बी0 अस्पताल में बीमार पड़ा था और इस घटना के 30 दिन बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली थी। मेरा ओपरेशन हुआ था। आप ही बताइये कि मैं किस प्रकार 100 मील दूर जाकर लोगों को भड़का सकता था। मैं उच्चतम न्यायालय में गया लेकिन माननीय न्यायाधीश ने कहा कि हमें मामले के गुण-दोष का विवेचन करने का अधिकार नहीं। अतः यह बात असंगत है। परिणामस्वरूप मुझे 12 महीने जेल में रहना पड़ा। कार्यपालिका के पास असाधारण शक्तियां हैं। इसी लिए मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : यह भावना देश में व्यापक रूप से व्याप्त है कि संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। कांग्रेस दल की भी एक समिति बनाई गई है जो इस विषय पर विचार कर रही है। अब श्री भोगेन्द्र झा ने एक विधेयक प्रस्तुत किया है। श्री झा ने अनुच्छेद 15 में संशोधन करके उसमें आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए, शब्द अन्तः स्थापित करने की बात कही है। यह बहुत अच्छा संशोधन है। क्योंकि अनेक मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जो अत्यन्त निर्धन हैं लेकिन उन्हे वे सुविधाएं भी नहीं मिलती जो अनुसूचित जातियों को मिल रही हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार इस संशोधन पर अवश्य ध्यान दे।

उनका दूसरा संशोधन यह है कि किसी भी व्यक्ति को जति, धर्म, नस्ल या राजनीतिक विचारों के कारण रोजगार के अयोग्य न समझा जाये। लेकिन 'राजनीतिक विचार' शब्दों से बहुत गड़बड़ हो जायेगी। हम नहीं चाहते कि समय की कसौटी पर खरी न उतरने वाली नीतियों के समर्थक सरकारी सेवाओं में आयें। अन्यथा समाजवाद की ओर अग्रसर होने के हमारे मार्ग में कई बाधाएं उत्पन्न हो जायेंगी।

सम्पत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकार नहीं माना जाना चाहिए। अनुच्छेद 19 का लाभ बड़े-बड़े पूंजीपतियों को ही मिलता है। लेकिन ईमानदारो से अर्जित सम्पत्ति मनुष्य के परिश्रम का फ़ल होता है जिसे संरक्षण मिलना चाहिये। अवैध ढ़ंगों से प्राप्त सम्पत्ति जब्त की जा सकती है और सम्पत्ति के अधिग्रहण सम्बन्धी अधिकार पर संसद कानून द्वारा उचित शर्तें लगा सकती हैं। तस्करों की सम्पत्ति के समपहरण के लिए संसद पहले ही कानून पास कर चुकी है। इसलिए उस सम्बन्ध में सदस्य को कोई भय नहीं होना चाहिए।

मेरा नम्र निवेदन है कि सदस्य महोदय विधेयक को वापिस ले लें।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि श्री भोगेंद्र झा का विधेयक पास किया जाये। उन्होंने जो संशोधन रखे हैं। वे नितान्त लाभदायक हैं। अनुच्छेद 15 में आर्थिक दृष्टि पिछड़े शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। श्री दशरथ देव ने भी उनका विरोध नहीं किया केवल परिणाम पर सन्देह व्यक्त किया है। परन्तु परिणाम तो सामूहिक प्रयत्नों पर ही निर्भर करते हैं।

अनुसुचित जातियों तथा अनुसुचित जनजातियों या धार्मिक दृष्टि से अल्पमत वाले लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। हमें उन्हें ही लाभ पहुंचाना है। इसलिए इन शब्दों को अन्तःस्थापित किया जाये।

श्री शुक्ल ने अनुच्छेद 16 'राजनीतिक विचार' अन्तःस्थापित किये जाने का विरोध किया है। परन्तु उन्हें यह समझना चाहिये कि जब कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में ले लिया जाता है तो उसे सरकारी अनुशासन से रखने के लिए कई ढंग और साधन होते हैं। यदि सरकार कार्यकुशल है तो किसी उचित व्यक्ति को उचित स्थान के लिए चुनते समय उसके राजनीतिक विचारों को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि चुने जाने के पश्चात उस व्यक्ति को सरकारी अनुशासन में रहना ही होगा।

फिर सम्पत्ति के अधिकार का प्रश्न है। इसे मूल अधिकार में शामिल नहीं किया जाना चाहिये। आपको मालूम ही है कि सम्पत्ति के लिए किस-किस ढंग से धन एकत्र किया जाता है। धन का दुरुपयोग लाकहीड निगम के मामले से स्पष्ट हो जाता है। बहुराष्ट्रीय निगम विभिन्न देशों में अपने हितों के लिए सभी प्रकार के अनुसूचित कार्य करती हैं। फिर श्री झा ने यह नहीं कहा है कि निजी सम्पत्ति का उन्मूलन कर दिया जाये। हम यह नहीं चाहते। हां, सम्पत्ति के विनियमन के लिए नियम बनायें जायें।

हम तो चाहते हैं कि ऐसी सम्पत्ति को समाप्त किया जाये जिसके कारण श्रमिकों का शोषण होता है। स्वर्गीय श्री मोहन कुमारमंगलम ने भी न्यायालय तथा उसके बाहर कहा था कि सम्पत्ति का अधिकार समाप्त होना चाहिये। इस लिए श्री झा का संशोधन पूर्णतया उचित है।

अनुच्छेद 22 में श्री झा ने जो संशोधन रखा है उसमें सरकारी भावनाओं का भी ध्यान रखा है। उन्होने बिना विचारण के मुकदमा चलाये जाने का विरोध किया है। लेकिन आर्थिक अपराधों और तोड़-फोड़ के मामलों को अपवाद माना है। लोकतांत्रिक ढंग से गठित सरकार को हिंसात्मक तरीकों से उखाड़ने के मामलों पर भी विचारण बिना मुकदमा चलाने का उन्होंने विरोध नहीं किया। श्री झा ने अकाट्य तर्क प्रस्तुत किये हैं।

मैं समझता हूं कि इस विधेयक को सैधातिक रूप से स्वीकार कर लेने में सरकार को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। राष्ट्रव्यापी जो चर्चा इस विषय में चल रही है कि संविधान के ढांचे में परिवर्तन किया जाये उसमें भी सरकार को इस से बहुत सहायता मिल सकती है। इसीलिये मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि सरकार भी इसे स्वीकार कर ले।

Shri M. C. Daga (Pali) : The Bill seeks to insert the words 'political views' in clause (2) of Article 16 of the Constitution, so that no discrimination is made in the matter of employment under the State on ground of political views. Political views are not considered while selecting people for employment. There is no mention of 'political views' in Article 16. It simply says :

"No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them, be ineligible for, or discriminated against in respect of, any employment or office under the State".

Therefore, this amendment is unnecessary.

The hon. Member has moved an amendment that clanses 2 to 4 to Article 19 should be deleted, It is not proper. Restrictions imposed in clauses 2 to 4 are justified and imposed in

National interest. Our constitution acknowledges that there cannot be any such thing as absolute or uncontrolled liberty, for that would lead to anarchy and disorder. Liberty has to be limited in order to be effectively possessed. The question, therefore, arises in each case of adjusting the conflicting interests of the individual and of the society.

There is a proposal to take away right to property. It is not a good proposal. Property means property properly earned by the person. The Government have already imposed reasonable restrictions on property. The right to property is essential to encourage individual initiative so that there is advancement and progress.

It is also said that private trade should be abolished. I am of the view that only reasonable restrictions should be imposed on such freedoms.

The amendments have been moved half heartedly. I will request the hon. member to withdraw these amendments. No hon. member of this House would like to support these amendments.

Mr. Chairman : I think there are several members who would like to speak on this Bill.

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मेरा सुझाव है कि चर्चा की अवधि डेढ़ घंटा बढ़ा दी जाए।

सभापति महोदय : क्या सभा अवधि को बढ़ाने के पक्ष में है ?

कई माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : चर्चा की अवधि डेढ़ घंटा बढ़ाई जाती है।

Shri M. C. Daga : Article 19 of the Constitution gives a list of individual liberties and prescribes in the various clauses restraints that may be placed upon them by law so that they may not conflict with public welfare and general morality.

The restrictions, which are essential for regulating society must be imposed. Just now Mr. Dasaratha Deb has stated that liberty of the press has been cutailed. It is true. We are passing through the period of emergency. Newspapers were using provocative language and thus the restrictions were necessary.

श्री दशरथ देब : प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई है। मैं आदिम जातियों के लिए त्रिपुरी भाषा में एक पत्र प्रकाशित कर रहा था। लेकिन त्रिपुरा सरकार ने मेरा पत्र इसलिए बन्द कर दिया है क्योंकि वहां त्रिपुरी भाषा को सेंसर करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। क्या यह विचार स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध नहीं है ?

Shri M.C. Daga : Restrictions were imposed under the Circumstances when opposition parties in India were dreaming of a total revolution. These parties have their vested interests. The Government have controlled the situation by declaring emergency in the country. It has resulted in discipline in every sphere of life.

I request Shri Bhogendra Jha to withdraw his amendment.

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं यह आशा कर रहा था कि कांग्रेस सदस्य इस विधेयक का समर्थन करेंगे। एक ओर तो ये सदस्य 20 सूत्री कार्यक्रम की बात करते हैं और अपने आपको दलितों एवं निर्धनों का मित्र बताते हैं और दूसरी ओर सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त करने वाले विधेयक का विरोध करते हैं। कांग्रेस सदस्य समाजवाद की बात करते हैं। लेकिन जब इस विधेयक को सदन में पेश किया गया तो वे इसका विरोध करने लग गए।

मैं श्री भोगेन्द्र झा द्वारा पेश किए गए विधेयक से पूरी तरह सहमत हूं। मैं आशा करता हूं कि कांग्रेस दल के कुछ सदस्य इस विधेयक का समर्थन अवश्य करेंगे। बड़े आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी जन सभाओं में तो समाजवाद की बात करती है और जब कोई समाजवादी विधेयक सदन में लाया जाता है तो उसके सदस्य बिल्कुल चुप होकर बैठ जाते हैं। ऐसा करके वे एकाधिकारियों के अधिकारो की रक्षा कर रहे हैं।

श्री निम्बालकर (कोहलापुर) : प्रत्येक सदस्य ने विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों का हवाला दिया है। सत्य तो यह है कि हम देश की आन्तरिक परिस्थितियों को बाह्य परिस्थितियों के सन्दर्भ में नहीं देखते। हम यह नहीं सोचते कि देश की आन्तरिक परिस्थितियों का देश की बाह्य परिस्थितियों पर असर पड़ता है। यदि हम देश की आन्तरिक परिस्थितियों को बाह्य परिस्थितियों के सन्दर्भ में नहीं देखना चाहते तो विदेश मंत्री की क्या आवश्यकता है।

यह कहना तो सही है कि हम दूसरे देश की आन्तरिक परिस्थितियों में हस्तक्षेप नहीं करते। परन्तु साथ ही हमारा यह भी कर्त्तव्य है कि हम किसी देश को अपनी आन्तरिक परिस्थितियों म हस्तक्षेप न करने दें।

देश की वर्तमान परिस्थितियों का इस विधेयक के साथ गहन सम्बन्ध है। आज ऐसे कई देश हैं जो हमारे देश की आन्तरिक परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हम यह ध्यान में रखना चाहिये कि हमारे देश में जो कुछ घटित होता है उसका अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार जो कुछ अन्य देशों में घटित होता है उसका हमारे देश पर प्रभाव पड़ता है।

प्रधानमंत्री तथा सरकार का यह पहला कर्त्तव्य है कि वह देश को बाहरी आक्रमण और प्रभाव से बचाए। हालांकि इस विधेयक का उद्देश्य अच्छा है फिर भी मेरे विचार में यह अव्यवहारिक है।

मतदान आयु 18 वर्ष करने के बारे में भी विधेयक लाया गया है। विधेयक पेश करने से पूर्व हम देश की वर्तमान परिस्थितियों तथा भविष्य को देखना चाहिए और हम इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम देश को बाहरी खतरों से किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं।

बार-बार यह पूछा जाता है कि आपातस्थिति कब समाप्त होगी। यह प्रश्न पूछना व्यर्थ है और उसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। प्रतिपक्षी सदस्यों तथा कांग्रेस सदस्यों को चाहिए कि वे देश तथा देश के हितों को सब से ऊपर समझें। हमें चाहिए कि अपने हितों से ऊपर देश के हित को समझें।

यदि हमसे कुछ अधिकार छीने जाते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ अधिकार मिलने भी चाहिएं। यदि हमसे सम्पत्ति के अधिकार छीने जाते हैं तो इसके बदले में हमें कौन से अधिकार मिलने वाले हैं? मेरे विचार में सम्पत्ति की कोई आवश्यकता नहीं। हमें ऐसी परिस्थितियां बनानी चाहिएं जिसमें सम्पत्ति की आवश्यकता ही न पड़े।

प्रत्येक भारतीय नागरिक को शिक्षा सुलभ होनी चाहिए। शिक्षा केवल अमीरों के लिए ही नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को उसकी शिक्षा के अनुरूप नौकरी

दी जानी चाहिए । अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति को निशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जानी चाहिएं । वृद्धावस्था पेंशन तथा भविष्य निधि का प्रावधान भी किया जाना चाहिए । अगर ऐसी सुविधाएं प्रत्येक व्यक्ति को दे दी जाएं तो फिर कोई भी व्यक्ति सम्पत्ति रखना नहीं चाहेगा । अतः ऐसी परिस्थितियां बनाई जानी चाहिएं जिसमें किसी को सम्पत्ति की आवश्यकता ही महसूस न हो ।

अब प्रश्न उठता है कि भूमि सीमा किस प्रकार निर्धारित की जाए । मेरे विचार में एक किसान ट्रैक्टर की सहायता से जितनी भूमि जोत सकता है, उतनी भूमि सीमा निर्धारित की जानी चाहिए । एक दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि भूमि की सीमा निर्धारित कर दी जाए और जो कोई भी उस निर्धारित सीमा से अधिक भूमि जोतना चाहता है, वह अतिरिक्त भूमि पर 5 प्रतिशत मुल्यानुसार कर दे । इस प्रकार वह कर देने के उद्देश्य से अधिक उत्पादन करेगा । इस प्रकार उत्पादन भी बढ़ेगा और राजकोष में धन भी आएगा । इस धन को उद्योगीकरण में लगाया जा सकता है । हमारे देश में औद्योगिक श्रमिक कृषि श्रमिक से साढ़े तीन गुना अधिक उत्पादन करता है । सत्य तो यह है कि कृषि श्रमिकों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और यदि वे अधिक उत्पादन कर भी लें तो भी उसका अनुपात वही रहता है ।

हम समाज को तो सुदृढ़ बना रहे हैं परन्तु व्यक्ति विशेष पर ध्यान नहीं दे रहे। हम व्यक्ति को जितना मजबूत बनायेंगे, हमारा राष्ट्र भी उतना ही मजबूत बनेगा । जब तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं ढाल लेते, तब तक कोई लाभ नहीं हो सकता ।

हमारे देश की वर्तमान परिस्थितियों में सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त करना हितकारी नहीं है । ऐसा करना अव्यवहारिक होगा। ऐसा विधेयक पेश किया जाना चाहिए जो लोगों की बेहतरी के लिए हो और हम ऐसे विधेयक का स्वागत करेंगे ।

Shri Satpal Kapur (Patiala) : There is no confusion in the congress party about the Constitution (*Interruptions*). .Ours is a democratic party following the socialist path. On the other hand C.P.I.(M) is not playing comparatively better role for bringing about socialism in the country. It has rather been joining hands with the rightists and fascists. It has not so far done away with the anti-democratic forces of the country.

I have nothing to say against CPI which has been building mass movement and following the policies of of Smt. Gandhi. Congress party is a serious political party committed to the masses of the country. The policies and ideologies of the Congress party are clear and there should be not doubt about that.

So far as socialism is concerned, it will have to be brought about in this country keeping in view the conditions prevailing here.

Shri Bhogendra Jha : No country copies the socialism of another country.

Shri Satpal Kapur : Then you should cooperate with us.

Shri Dasaratha Deb : You simply deliver speeches.

Shri Satpal Kapur : All the steps taken by us both in the private and public sectors are directed towards socialism.

There are certain parties in the country which preach one thing and practise another thing. There is lot of difference between what they say and what they actually do. They talk about socialism and indulge in fascism. This is nothing but double standard.

श्री दशरथ देव : ऐसा न कहें । आपके दल में ही डबल स्टेंडर्ड है ।

सभापति महोदय : कृपया बाधा न डालें ।

श्री दशरथ देव : जब ये हमारे दल के बारे में ऐसा कहते हैं तो मुझे आपत्ति करनी ही होगी ।

सभापति महोदय : श्री दशरथ देव, क्या आप "नानसेंस" शब्द को वापस ले रहे हैं ?

श्री भोगेन्द्र झा : इन्होंने कहा है कि इनका दल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर पाबन्दी लगाने के पक्ष में है । यदि ऐसा है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए ।

Mr. Chairman : Every hon. member has right to express his views. The hon. member Shri Dasaratha Deb should not use the term 'non-sense'.

Shri Satpal Kapur : I admit that there are a lot of difficulties which we have to face in so far as our Constitution is Concerned. In our Constitution right to property is a fundamental right. This provision stands in the way of proper implementation of 20 point programme. Our experience is that whenever a progressive legislation is passed a writ is filed. A number of writs have been filed under Article 226. The right to property should not be a fundamental right. We want to usher in socialism. We will have to create a propertyless society.

There is also need to amend Article 311. Persons belonging to I.A.S. or I.P.S. and other civil servants who stood in the way of implementation of progressive policies should not be given any protection.

It is the prerogative of Parliament to frame Laws. But the Supreme Court has the power to set aside a Law passed by Parliament. This is a basic contradiction in our Constitution. Parliament passed a law after going into pros and cons of the matter. But the Supreme. Court can make a law passed by Parliament ineffective. This is an encraochment on the rights of Parliament. The time has come to change this scheme of things.

There is need to bring about changes in the Constitution in the light of the experience gained in the working of the Constitution during the last 25 to 30 years. The Supremacy of Parliament has to be made clear beyond any doubt. Hurdles in the way of bringing about economic reforms will have to be removed.

The resolution seeks to consolidate the gains of the present atmosphere in the country. The present discussion aims at creating an atmosphere in which working class realises that steps being taken by this parliament are in the best interest of the countrymen and that we are capable of accomplishing the tasks entrusted by the Parliament.

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : इस प्रस्ताव के बारे में अनेक माननीय सदस्यों के विचारों को मैंने सुना है । श्री सतपाल कपूर ने इसके लगभग सभी पहलुओं को छूने का प्रयास किया है लेकिन प्रश्न उत्पन्न होता है कि सम्पत्ति का मालिक व्यक्ति, समाज, अथवा राज्य—इनमें से कौन हो । समाज में व्यक्ति के हितों की रक्षा करने के लिये किस प्रकार की प्रणाली अपनायी जायेगी ? यही समस्या हमारे सामने है ।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण गैर-सरकारी कार्य के अगले दिन जारी रखें ।

इसके बाद लोक सभा सोमवार, 15 मार्च, 1976 / 25 फाल्गुन, 1897 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday. the 15th March, 1976/25th Phalguna 1897 (Saka)

GMGIPND—LSIII—945(ai)LS 9-7-76—200
म०प्र०भा०स०मु० मि०रो०न०दि०—एल०एस० III 945एल०एस०9-7-76—200